कुरुक्षेत्र

सितम्बर 98

मूल्य : पांच रुपये

महिला शिक्षा : दशा और दिशा

बावनवें स्वतंत्रता दिवस पर

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि भारत की विश्व-शांति और निरस्त्रीकरण में गहरी आस्था है। भारत की स्वतंत्रता की 51वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र को लालकिले की प्राचीर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत अपनी ओर से अणु अस्त्र का पहले प्रयोग नहीं करेगा। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के प्रति आस्था दुहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी ओर से नये अणु परीक्षणों पर पाबंदी लगा दी है।

पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने में अपनी प्रतिबद्धता दुहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के साथ सभी आपसी समस्याओं का हल ढूंढने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आगामी गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन के अवसर पर वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ फिर से संवाद करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसका हल बातचीत से नहीं हो सकता हो।

जम्मू-कश्मीर में और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उग्रवादियों की गतिविधियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया है। सीमा पार से प्रतिदिन होने वाली आतंकवादी कार्रवाईयों को अघोषित युद्ध बताते हुए श्री वाजपेयी ने आश्वासने दिया कि सरकार पूरी ताकत के साथ इन गतिविधियों का मुकाबला कर रही है और आतंकवाद को परास्त किया जाएगा।

राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की सफलतापूर्वक रक्षा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं और अर्द्ध-सैनिक बलों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है। श्री लाल बहादुर शास्त्री के 'जय जवान, जय किसान', नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस नारे में 'जय विज्ञान' के रूप में एक नया आयाम जोड़ा है, जो एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरने का मूल मंत्र है। श्री वाजपेयी ने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि इससे वे किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकेंगे।

पोखरण में इस वर्ष 11 और 13 मई को किए गए परमाणु परीक्षणों के औचित्य की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परीक्षण देश की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए थे। उन्होंने कहा कि पोखरण के ये विस्फोट एक रात का खेल नहीं है, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों की वर्षों की तपस्या का फल है। परीक्षा की इस घड़ी में लोगों द्वारा व्यक्त किए गए पूर्ण समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस कार्य की नींव रखी थी, उन्होंने उस पर इमारत खड़ी करने का प्रयास किया है।

पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत की उपलब्धियों और कमजोरियों का यर्थाथपरक मूल्यांकन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने लोकशाही का दीप हमेशा जलाए रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के जरिए यह सिद्ध कर दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता-परिवर्तन किया जा सकता है। श्री वाजपेयी ने कहा कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता एक-दूसरे के पूरक हैं। अपना व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब स्कूल मास्टर का लड़का धूल और धुएं भरी बस्ती से उठकर लालकिले की ऐतिहासिक प्राचीर से राष्ट्रीय तिरंगा फहराएगा। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने खेतिहर मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों और खेतिहर मजदूरों के कारण भारत आज खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि किसानों की स्थिति बदतर हुई है और कुछ प्रदेशों में कर्ज का बोझ असह्य होने के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। ऐसे किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फसल बीमा योजना में नई फसलें जोड़ी जाएंगी और नये भौगोलिक क्षेत्र में इसे बढ़ाया जाएगा। किसानों की सही आर्थिक स्थिति की जांच-पड़ताल करने के लिए और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग गठित किया जाएगा। श्री वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने उड़ीसा के बोलनगीर-कालाहांडी-कोरापुट क्षेत्र में भूख से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योजना आयोग से इस क्षेत्र में 'रोजगार आश्वासन योजना' की रकम दुगनी कर देने के लिए कहा है।

(शेष आवरण पृष्ठ 3 पर)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय
की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 43 | अंक 11 | भाद्रपद-आश्विन 1920 | सितम्बर 1998

कार्यकारी संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
रजनी

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011-3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
के.एस. जगन्नाथ राव

आवरण सज्जा
एम.एम. परमार (मुख पृष्ठ)
सलिल शैल

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत, विज्ञापन और प्रसार संख्या प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

मूल्य एक प्रति : पांच रुपये
वार्षिक शुल्क : 50 रुपये
द्विवार्षिक : 95 रुपये
त्रिवार्षिक : 135 रुपये

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

इस अंक में

● महिला शिक्षा की स्थिति : दशा और दिशा	रमेश चन्द्र पारीक	3
● पर्यावरणीय शिक्षा : क्यों और कैसे	डा. गणेश कुमार पाठक	6
● पंचायती राज और शिक्षा : एक संभावित अवधारणा	एम.एस. जानी	8
● महिलाएं, पंचायत और गरीबी उन्मूलन	डा. महीपाल	10
● महिलाओं की शिक्षा : सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता	योगेश चन्द्र शर्मा	13
● मजदूरों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अभिनव पहल	सरस्वती चाकरे	15
● कर्मण्येवाधिकारस्ते (कहानी)	कुलवन्त राजपूत	16
● ग्रामीण राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम : अपने लक्ष्य से दूर	डा. राजमणि त्रिपाठी	21
● बालिका समृद्धि योजना : एक परिचय	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल	25
● खंड अधिकारियों को सलाह (स्थायी स्तम्भ)	चक्रवर्ती राजगोपालचार्य	29
● पंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका	डा. नीलिमा कुंवर और सीमा कनौजिया	32
● महिला आरक्षण विधेयक	सिमरन कौर	34
● ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में प्रौद्योगिकी	डा. दिनेश मणि	35
● ग्रामीण सेवाएं और वाणिज्य बैंक	डा. अशोक अग्रवाल	37
● महिला सरपंच : कुछ संभावनाएं	धीरज चौधरी	40
● नीबू सेवन : स्वस्थ जीवन का सशक्त आधार	डा. विजय कुमार उपाध्याय	42
● प्यासे ग्रामीणों के लिए सुजलम परियोजना	डा. एस.आर. सिंह	43

पाठकों के विचार

पंचायती राज संस्थाओं के प्रति रचनात्मक सोच आवश्यक

कुरुक्षेत्र का जुलाई 1998 का अंक *बजट और गांव* अपने शीर्षक के अनुरूप पूर्णत: सफल कहा जा सकता है क्योंकि इस अंक में न सिर्फ वर्तमान बजट (1998-99) का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सुबोध मूल्यांकन किया गया है बल्कि ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका, सहकारिता आंदोलन, ग्रामीण समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रांतियां तथा ग्राम्य विकास में युवाओं की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण और अहम् सवालों पर लिखे गए लेख भारत की ग्राम्य समस्याओं और उसके निदान के प्रति *कुरुक्षेत्र परिवार* की संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करते हैं।

रामजी प्रसाद सिंह और डा. कैलाश चन्द्र पपनै ने अपने-अपने लेख में वाजपेयी सरकार के पहले बजट में गांवों के लिए बनी कई आकर्षक योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया है जो सफलीभूत हों तो काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। पर सवाल उठता है क्या सचमुच इन रचनात्मक योजनाओं का लाभ गांवों में रहने वाले 74 फीसदी लोग उठा पा रहे हैं। आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के पश्चात भी यदि हम गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी आधारभूत जरूरतों को जुटा नहीं पाए हैं तो इसका कारण यह नहीं कि हमारे नीति-निर्माताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि वे इन योजनाओं को गांवों तक कार्यान्वित नहीं कर पाए और इसका मुख्य कारण जन-चेतना और जन-दायित्व का अभाव और पंचायती राज जैसी संस्थाओं का कारगर न होना रहा है।

अत: आज पंचायती राज जैसी संस्थाओं के प्रति सरकार और जनता दोनों की परस्पर रचनात्मक सोच की आवश्यकता है, तभी हम योजनाओं और कार्यक्रमों को ग्राम्य स्तर तक सफलीभूत कर सकते हैं।

रजनीश कुमार पाण्डेय, सी-244, गांधी विहार, आजादपुर, दिल्ली-110009

वास्तविक शिक्षा अपेक्षित

कुरुक्षेत्र का मई 1998 का अंक पढ़ा। वैसे तो इस अंक में प्रकाशित सभी आलेख महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, किंतु डा. विमला उपाध्याय का *ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता अभियान : अनुभवात्मक पहलू* स्वत: ही पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर लेता है। इस आलेख में लेखिका ने ग्रामीण भारत में शिक्षा की उपादेयता और इसके प्रति बढ़ती जागरूकता की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के साथ ही यह भी बताया है कि शिक्षा का व्यावहारिक अर्थ मात्र अक्षर-बोध या पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित नहीं है। वस्तुत: ग्रामीण समाज में जन अभियान और अनुकूल वातावरण के माध्यम से ही शिक्षा का प्रचार-प्रसार संभव है। अतएव वर्तमान परिस्थिति के साथ अनुकूलता स्थापित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा का वास्तविक और व्यावहारिक अर्थ समझना होगा।

अनिल कुमार सिंह झा, चनौर मनीगाछी, दरभंगा (बिहार)

दोषी आखिर कौन....

आज जीवन के हर परिवेश में प्राय: सभी व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे में दोष मढ़ने की होड़-सी लग गई है। कोई भी दिखाई नहीं पड़ता जो अपने किए कार्यों में गलती ढूंढता हो; अर्थात सभी लोग अपने काम को सर्वश्रेष्ठ, अव्वल और सर्वोत्तम मान रहे हैं। तो दोषी आखिर किसे माना जाए? किसे प्राकृतिक अदालत में पेश किया जाए? किसने प्राकृतिक संपदा का शोषण किया? किसने पंच तत्व में जहर घोला? पारिस्थितिकी संकट किसके द्वारा पैदा हुआ? थल, जल और वायु के अंतर्क्रियात्मक संबंधों को किसने तोड़ा? जीव-जंतुओं और वनों की संख्या में ह्रास किसके द्वारा किया जा रहा है? आदि अनेक सवाल हैं। इन प्रश्नों का उत्तर किससे मांगा जाए? दे भी कौन! सभी तो निरुत्तर बनकर मूकदर्शक की भांति आशा की किरण की बाट जोह रहे हैं। परंतु आशारूपी प्रभात की किरण की लालिमा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। सारा संसार घोर अंधकार में सोया हुआ है, शायद उसकी नियति यही हो गई है। इस भौतिकवादी युग में किसे फुर्सत है कि वह आत्मचिंतन करे। मंथन और साधना से किसी को कोई सरोकार नहीं, सभी को सिर्फ वर्तमान की चिंता है। तो फिर आगे और पीछे क्यों नजर दौड़ाएं? पृथ्वी का श्रेष्ठ प्राणी, मानव अब प्रकृति पर निर्भर रहना बेमानी समझता है क्योंकि उसके पास अनेक साधन हैं जिससे जब जहां चाहे अपनी इच्छानुसार मौसम बना सकता है।

विश्व के अधिकांश देश कमोबेश एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है और इन्हीं आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच पारिस्थितिकी संकट फंसा हुआ है। सम्मेलन, सेमिनार, वार्ता, बैठकों का आयोजन महज औपचारिकता मात्र बन कर रह गया है। इसलिए यह जरूरी है कि आज और इसी वक्त से हम स्वयं में गलती खोजें कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो आज हमारे ही ऊपर भारी पड़ रहा है।

रामदेव सिंह, पटेलनगर, साहेबगंज, भागलपुर (बिहार)

राजस्थान में

महिला शिक्षा की स्थिति : दशा और दिशा

रमेश चन्द्र पारीक

इस वर्ष हम स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। आजादी और शिक्षा में वही संबंध है जो भोजन और स्वास्थ्य में है। स्वतंत्रता के विगत 50 वर्षों में भी हम संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को, आखर ज्योति के माइलस्टोन को हासिल नहीं कर सके हैं। यह दूसरी बात है कि हमने प्रयास बहुत किए हैं। महिला शिक्षा के क्षेत्र में कोशिशों में कमी नहीं रखी है परंतु अभी भी साक्षरता के प्रति, खासकर बालिका शिक्षा के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वैधानिक दृष्टिकोण से तो बालक-बालिका एक समान होते हैं किंतु व्यावहारिक धरातल पर हम यह महसूस करते हैं कि लड़का-लड़की में हर स्तर पर अंतर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी पढ़े-लिखे माता-पिता बेटा-बेटी में अंतर कर बैठते हैं। बेटी परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करके भी शाबाशी पाने को लालायित रहती है जबकि बेटा सामान्य श्रेणी के अंक पाने पर भी वाह-वाही पाकर फूला नहीं समाता है। अधिकांश घर-परिवारों में कमोबेश यही विरोधाभासमय स्थिति पाई जाती है। सरकारी प्रयास तभी सफल हो पाते हैं, जब उन्हें जन-सहयोग मिले, लोक-सहभागिता हासिल हो।

शिक्षा जीवन का देदीप्यमान आलोक है। यह खुशहाल जीवन-यात्रा का आनंदमय सोपान है, प्रगति और विकास का सन्मार्ग है। शिक्षा हमें स्वाभिमानी व स्वावलंबी बनाती है। साक्षरता मनुष्य के लिए वरदान है तो निरक्षरता अभिशाप है। आजादी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं। 1951 की जनगणना में देश की साक्षरता केवल 16.06 प्रतिशत थी। इसमें 24.09 प्रतिशत पुरुष और 7.09 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं।

स्वतंत्रता प्राप्त हुए पांच दशक व्यतीत हो चुके हैं किंतु महिला साक्षरता में आशातीत प्रगति नहीं हो पाई है। आज भी देश की महिला साक्षरता की दर 39.9 प्रतिशत है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है। आज भी शहरी जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग साक्षर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से भी नीचे है। अत: हमें महिला साक्षरता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में केरल राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक 89.81 प्रतिशत है जबकि सबसे कम बिहार में 34.48 प्रतिशत है। साक्षरता की दृष्टि से, महिलाओं की दशा चिंताजनक है। 1991 में देश में पुरुष 64.13 प्रतिशत तथा महिलाएं 39.29 प्रतिशत साक्षर थीं। आइए देश की साक्षरता दर का अवलोकन करें।

साक्षरता दर (1951-1991)

वर्ष	जनसंख्या	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	सकल साक्षरता दर
1951	36,09,50,365	27.16	8.86	18.33
1961	43,90,72,582	40.40	15.34	28.31
1971	54,79,49,809	45.95	21.97	34.45
1981	68,57,64,061	56.37	29.75	43.56
1991	84,63,24,222	64.13	39.29	52.21

स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान चिंतक, शिक्षाशास्त्री तथा दार्शनिक डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिला शिक्षा की हिमायत करते हुए कहा था कि 'शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता।' साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं को साक्षर किया जाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहा था ''एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है।'' यह सच है कि यदि बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो केवल एक व्यक्ति ही साक्षर बनता है, वह अपने तक सीमित रहता है जबकि एक बालिका शिक्षित होकर संपूर्ण परिवार को साक्षर बनाती है। बालक की पहली पाठशाला परिवार होता है जिसमें मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। देश और समाज की उन्नति के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के अथक प्रयास करने होंगे ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत हो सके और चहुंमुखी समृद्धि व खुशहाली आ सके। साक्षर नारी, पढ़ी-लिखी महिला घर ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का सम्मान है।

आजादी की पचासवीं वर्षगांठ 'स्वर्ण जयंती' के अवसर पर महिलाओं की साक्षरता एवं राजनीति में सहभागिता और प्रतिनिधित्व पर एक नजर डालने पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष बीत जाने पर भी लोकसभा में महिलाओं का हिस्सा मात्र आठ प्रतिशत है। अब तक देश में 12 बार आम चुनाव हो चुके हैं किंतु महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा। अब तक लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कभी भी 8 प्रतिशत

से ज्यादा नहीं रही। राज्य सरकारों में भी महिला मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की संख्या न्यूनतम रही है। पिछले आम चुनावों में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में प्रदर्शन कमजोर रहा है। मात्र एक-एक महिला उम्मीदवार ही जीत सकी है जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर सहित अनेक छोटे राज्यों से कोई महिला चुनाव में विजयी होकर सदन की शोभा नहीं बढ़ा सकी है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

लोकसभा	लोकसभा क्षमता (सीट)	विजयी महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत
पहली	499	22	4.4
दूसरी	500	27	5.4
तीसरी	503	34	6.7
चौथी	523	31	5.9
पांचवीं	521	22	4.2
छठी	544	19	3.4
सातवीं	544	28	5.1
आठवीं	544	44	8.1
नौवीं	517	27	5.22
दसवीं	544	39	7.18
ग्यारहवीं	544	40	7.18

यदि बालिका-शिक्षा समाज के हर परिवार में स्थान हासिल कर ले तो वह दिन दूर नहीं जब समाज में आए दिन घटित होने वाली अत्यंत कारुणिक घटनाएं स्वत: नौ दो ग्यारह हो जाएंगी। बालिका-साक्षरता के पश्चात दहेज की आड़ में न तो किसी बहू को असीम यातनाएं सहनी पड़ेंगी और न ही उसकी सांसों की गिनती बीच राह में विराम लेगी। न उसकी अस्मिता पर कभी आंच आएगी, न वह अपमानित होगी और न ही प्रताड़ित होगी। साक्षर नारी बनने से निरक्षरता का कलंक स्वत: मिट जाएगा और परिवार तथा समाज में उसे बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे। वह आखर धाम में डुबकी लगाकर, साक्षरता की दहलीज पर शुभ अभिनंदन करेगी। हमें उनकी झिझक, संकोच, पूर्वाग्रह को मिटाना होगा, उनकी उदासीनता को सक्रियता में तब्दील करना होगा। बालिका शिक्षा को हर दशा में प्रश्रय, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देना होगा। बालिका शिक्षा के अभाव में परिवार की बुनियाद कमजोर पड़ जाएगी। आज का सबसे ज्वलंत प्रश्न यही है कि महिला शिक्षा का उन्नयन तथा विकास गुणात्मक स्वरूप में कैसे किया जाए?

महिला साक्षरता वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे ही देश और समाज आगे बढ़ सकता है। शिक्षा ही वह रामबाण है जिससे सभी समस्याओं, दुविधाओं का समाधान किया जा सकता है। यदि एक महिला पढ़-लिख कर साक्षर बन जाती है तो वह सहज ही पूरे घर, परिवार को शिक्षित, सुसंस्कृत एवं संस्कारवान बना सकती है, अनुशासित व कर्त्तव्यपरायण बना सकती है। शिक्षा से ही गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय असंतुलन, जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्यों का निदान संभव है। बालिका-शिक्षा के प्रति समर्पण बोध और निश्छल प्रयासों की सख्त जरूरत है।

राजस्थान की स्थिति

स्वाधीनता से पूर्व राजस्थान में बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर एवं दयनीय थी। समाज में सामाजिक लोकाचार, लोक परंपराएं, रूढ़ियां, विसंगतियां व्याप्त थीं तथा चारों ओर अंधविश्वासों और कुरीतियों ने ग्रामीण क्षेत्र को अपने वशीभूत कर रखा था। पुत्री का जन्म ही अवसाद तथा दुख का कारण समझा जाता था। वहां बालिका-शिक्षा की बात सोचना दिवास्वप्न जैसा था। 1951 में राजस्थान की जनसंख्या में लड़कियों की साक्षरता मात्र तीन प्रतिशत थी। बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए स्वाधीनता के पश्चात अनेक योजनाएं बनाई गईं। 1963-64 में भक्त वत्सलम कमेटी की अभिशंसाओं के अनुरूप विविध सुविधाएं मुहैया कराई गईं। इन्हीं भगीरथ प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में महिला साक्षरता की दर 1951 में 3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1991 में 20.44 प्रतिशत तक पहुंच पाई है। आज भी यह नितांत सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं तथा प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं का प्रतिशत लड़कों के प्रतिशत से आधा है।

साक्षरता की दौड़ में राजस्थान में बहुत कोशिशें की गईं हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, तब राजस्थान में भी उसी वर्ष राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। जब 26 जनवरी 1989 को केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान का श्रीगणेश किया गया तथा 4 जनवरी 1990 को इसे देश का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया, तभी राजस्थान के अजमेर जिले को संपूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया तथा अगले वर्ष 1991 में आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर भी संपूर्ण साक्षर जिला हो गया। राज्य में इस समय 161 परियोजनाओं के जरिये 210 पंचायत समितियों में अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा लोक जुम्बिश परियोजना के तहत 1,237 सहज शिक्षा केंद्र तथा शिक्षा कर्मी योजना के तहत 3,520 प्रदर पाठशालाएं चल रही हैं। राज्य के 32 जिलों में अलग-अलग चरणों में साक्षरता अभियान क्रियान्वित है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य के 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 90 लाख निरक्षरों को साक्षर करना है। 1975 में मात्र 230 अनौपचारिक केंद्रों से शुरू किए गए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अब 17,600 केंद्र हो गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पांच लाख बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जिनमें 60 प्रतिशत बालिकाएं हैं। राज्य सरकार नए विद्यालय खोलने, प्रवेशोत्सव पखवाड़ा आयोजित करने और साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से विगत चार वर्षों में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि (लगभग 18 लाख) हासिल की है जो बालिका-शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है।

विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)

वर्ष	छात्र संख्या	छात्रा संख्या	यो
1993	53.28	23.70	76.9
1997	61.71	33.18	94.8
वृद्धि	8.43	9.48	17.9

महिला साक्षरता की दृष्टि से, राजस्थान देश में बहुत पीछे है। बालिका- शिक्षा की स्थिति कमजोर है, महिला-साक्षरता की स्थिति दयनीय है इसीलिए इस ओर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, बालिका-शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किए गए हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को प्रवेश के समय ही नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं। बालिका-शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के लिए सरस्वती योजना, लोक जुम्बिश योजना, शिक्षाकर्मी योजना, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रहर व सहज पाठशालाओं का प्रारंभ, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का गठन, कक्षा आठ तक की सभी छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, बालिका छात्रवृतियों में वृद्धि, महिला शिक्षकों की अपेक्षाकृत अधिक नियुक्ति, गैर-सरकारी क्षेत्र के समस्त बालिका विद्यालयों को 90 प्रतिशत आर्थिक अनुदान की व्यवस्था, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। 1950-51 में राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या मात्र 452 थी जो 1995-96 में 2,123 हो गई। राज्य में केवल बालिकाओं के लिए 2,324 प्राथमिक, 1,426 उच्च प्राथमिक, 460 माध्यमिक और 299 सीनियर उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय खोले गए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर तक कार्यरत लगभग 1.95 लाख अध्यापकों में से 27 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। सरस्वती योजना का विस्तार 1,220 केंद्रों में किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों को बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए संभाग मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के 5 बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 5 जिलों और मरुस्थलीय क्षेत्र के 4 जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति की कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए 90 रुपये की राशि की सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान में बालिका शिक्षा के प्रति अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कक्षा आठ की समान परीक्षा योजना में पंचायत समिति स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययन जारी रखने पर दो वर्ष तक एक हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है। कक्षा 10 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को एक हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है तथा जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। शिक्षाकर्मी योजना के तहत दिवस विद्यालयों में 1.32 लाख तथा प्रहर पाठशालाओं में 0.33 लाख बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं। प्रहर पाठशालाओं में बालिकाओं का नामांकन 67 प्रतिशत है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र सत्र 1993-94 में 10,400 केंद्र स्वीकृत थे, वहां अब यह संख्या 1997-98 में 70 प्रतिशत बढ़कर 17,600 हो गई है। इन केंद्रों के माध्यम से 4.59 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं जिनमें साठ प्रतिशत बालिकाएं हैं। इसी प्रकार गुरु मित्र योजना, डी.पी.ई.पी. योजना, सरस्वती योजना और लोक जुम्बिश परियोजना बालिका शिक्षा के विकास में प्रयत्नशील है। मध्यान्ह भोजन पोषाहार कार्यक्रम, विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना भी इसमें सहयोग प्रदान कर रही हैं। विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी 1998 को जयपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय विद्यालय सम्मान समारोह में उच्च माध्यमिक स्तर पर 32 पुरस्कृत विद्यालयों में से 10 छात्र विद्यालय तथा 21 छात्रा विद्यालय थे, जिन्होंने जिला स्तर पर शत-प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम हासिल किए, सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणाम भी राज्य स्तर पर पुरस्कार बालिका विद्यालय देशनोक, बीकानेर ने हासिल किया। यह कीर्तिमान अपने आपमें गौरव का विषय है। आशा है बालिका-शिक्षा, महिला साक्षरता के क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वरूप में उत्तरोत्तर निखरेगा। अभी हमें बालिका-शिक्षा के प्रति और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी महिला साक्षरता की स्थिति में सुधार होगा। ❑

पत्रिका का वार्षिकांक

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पत्रिका का अगला अंक यानी अक्तूबर 1998 का अंक वार्षिक अंक होगा। इस बार का विषय है : **ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम और ग्रामीण गरीब।**

जाने माने विद्वान, अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ विषय का विश्लेषण करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। 72-80 पृष्ठों के इस वार्षिक अंक का मूल्य होगा मात्र दस रुपये।

आप अभी से निम्न पते पर सम्पर्क कर अपनी प्रति सुरक्षित करा लीजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7
आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066
फोन : 6105590

पर्यावरणीय शिक्षा: क्यों और कैसे

डा. गणेश कुमार पाठक*

पर्यावरणीय शिक्षा को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा की परिभाषा को समझना होगा। चूंकि शिक्षा शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति के बीच का अंतर है। शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर अंततः सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करता है। शिक्षा न केवल व्यक्तित्व का विकास करती है, कुछ सीमा तक नव-निर्माण भी करती है। शिक्षा की उत्पत्ति व्यक्ति के चारों ओर व्याप्त पर्यावरण में ही होती है। पर्यावरणीय शिक्षा को हम स्वाभाविक या संतुलित तथा नवीन और प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपक होते हैं, जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं और उन्हें प्रत्येक क्षण नई अनुभूतियां प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा इन्हीं अनुभूतियों पर आधारित है।

महान शिक्षा शास्त्री टी. रेमांट के अनुसार 'शिक्षा विकास का वह क्रम है, जो मनुष्य को धीरे-धीरे विविध प्रकार के भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है।' बीसिंग के अनुसार 'शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को स्थायी संतोष प्राप्त हो सके।' टामसन के अनुसार 'पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।' इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण के प्रति जागृति तथा बोध पैदा करना, और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जन-मानस में जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करना ही पर्यावरणीय शिक्षा है।

भारत में प्राचीन शिक्षा की आधारशिला पर्यावरणीय शिक्षा के आधार पर ही रखी गई थी। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा का प्राचीनतम इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण है। प्राचीन शिक्षा में लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के उद्देश्य समाहित थे। इसीलिए शांत प्रकृति की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता था। परिवार में बालक को व्यावसायिक शिक्षा मिल जाती थी। उसका सामाजिक विकास समाजिक रीति-रिवाजों, परंपराओं तथा मर्यादाओं के अनुसार होता था। गुरु के घर प्राप्त शिक्षा से उसके व्यक्तित्व में शैक्षिक परिपक्वता आ जाती थी। बाद में, विदेशी शासकों के प्रभाव से शिक्षा पर कई कुठाराघात हुए और पर्यावरणीय शिक्षा असफल हो गई।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात हमने पुनः उन्मुक्त तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण में अपने प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास को याद किया, किंतु पाश्चात्य प्रभाव ने भारतीय भौतिक पर्यावरण को आवश्यकता से अधिक प्रदूषित कर दिया था। फलतः वर्तमान पर्यावरण, कलह तथा तनाव से युक्त हो गया है। यही कारण है कि आज पर्यावरण में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा है जिसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा को प्रबल तथा प्रभावकारी बनाना होगा।

पर्यावरणीय शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों में पर्यावरणीय ज्ञान और उसके प्रति जागरूकता पैदा करे। इसके लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा—

- विद्यार्थी द्वारा प्रकृति का अनुसरण तथा उसके प्रति संवेदनशीलता की भावना का होना
- विद्यार्थी में निरीक्षण तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होना।

किसी भी स्थान पर दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य आधार वहां की भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। पर्यावरण को आधार बनाकर दी जाने वाली शिक्षा में बच्चों को गांवों के आस-पास प्राप्त होने वाली वस्तुओं का अवलोकन, संग्रहण और वर्गीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि उसे विद्यार्थी सहजता से स्वीकार कर सकें। साथ ही, प्रकृति में भ्रमण तथा खेलकूद के माध्यम से यह शिक्षा उन तक पहुंचाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सिफारिश के अनुसार अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे भविष्य के कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम-योजना का निर्माण कर सकें। इसके लिए सर्वपक्षीय समन्वयकारी प्रयासों का होना आवश्यक है।

पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता आज इसलिए और बढ़ गई है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, रात-दिन, मौसम, वायुमंडल, शुद्ध एवं अशुद्ध वायु, जल और उसके स्रोत एवं उपयोग तथा शुद्ध एवं दूषित जल, मिट्टी के प्रकार एवं उपयोग, स्थानीय पेड़-पौधों के बारे में ज्ञान, उनका जीवन-चक्र, पेड़ लगाने की विधियां, स्थानीय पशु-पक्षी, उनके नाम और उनकी उपयोगिता, हमारा शरीर, भोजन तथा उसका महत्व, स्वास्थ्य, घर एवं उसके विभिन्न भाग, सफाई एवं रख-रखाव आदि, खेती, यातायात, व्यापार कला संस्थाएं, त्यौहार एवं संस्कृति तथा अपने देश एवं भौगोलिक स्थितियों आदि का सम्यक ज्ञान नहीं है। इन पर्यावरणीय तत्वों का ज्ञान यदि विद्यार्थियों को हो जाए तो वे पर्यावरण के प्रति प्रारंभ से ही सचेत हो जाएंगे और अपने दायित्वों को समझने लगेंगे जिससे भविष्य में पर्यावरण हानि की संभावना कम हो जाएगी।

*अध्यक्ष, भूगोल विभाग, पी.जी. कालेज, दूबे, छपरा, बलिया, उ.प्र.

राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने विद्यार्थियों को पर्यावरण-शिक्षा देने के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम तथा पुस्तकें तैयार की हैं। यह शिक्षण क्रमशः विश्वविद्यालय स्तर तक प्रचारित होता है। विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में पारिस्थितिकी पर्यावरण आदि पर पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं।

पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। रेडियो एवं टेलीविजन तथा फिल्म प्रोजेक्टर अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपर्ण साधन हैं। इनके द्वारा एक ओर जहां पर्यावरण में सुधार का प्रयास किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार भी होगा। इस तरह पर्यावरणीय शिक्षा का कार्यक्रम द्विमुखी है।

पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया और किया जा रहा है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषयों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में पोस्टर निकाले गए, उनका प्रचार-प्रसार किया गया। पर्यावरण विभाग द्वारा कैलेंडर के लिए वन्य प्राणियों के बारे में चित्र दिए गए। अन्य विभागों में भी पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व के संदर्भ में कैलेंडर तथा पोस्टर प्रकाशित कर वितरित किए जा रहे हैं।

पर्यावरणीय शिक्षा का कार्य मात्र कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुक्त शिक्षा पद्धति से ग्रामीण तथा शहरी लोगों को भी पर्यावरणीय शिक्षा दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) एवं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा 1975 में पर्यावरण-शिक्षण नामक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा को सहायता देना, उसका विकास और प्रचार-प्रसार करना था। इसके द्वारा इंजीनियर, नगर नियोजक, शिक्षक, डाक्टर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञों को समाकलित कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं।

पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति बोध-चेतना पैदा करने के लिए देश भर में लगातार निबंध प्रतियोगिताओं, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में पर्यावरण का अध्ययन विभिन्न विषयों में तो किया ही जा रहा है, अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी अपनाया गया है। इससे पर्यावरणीय शिक्षा को बल मिला है। फिर भी, बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं और पारिस्थितिक असंतुलन को देखते हुए पर्यावरण-शिक्षा में अभी और गति लाने की आवश्यकता है। ❑

सहारा

डा. माधवी

बिना बोये ही
परिपक्व बीज धरती पर
जब कहीं गिर जाते हैं।
तब तूफानों से उड़ती मिट्टी
चारों दिशाओं से
उसे ढक लेती है।
और जाने-अनजाने में कभी बीज
पथिक के पांवों तले
कुचला भी जाता है।
लेकिन,
मौसम के बदलते ही
आसमान से टपकती बरखा की बूंदें
और ज़मीन की गर्मी,
उस बीज के करीब जाकर
उसे सहारा देकर
ज़मीन से उठने का
संदेश देती है।
और मिट्टी बीज से यही कहती है,
तुम नहीं तो मैं नहीं
और मैं नहीं तो तुम नहीं! ❑

पंचायती राज और शिक्षा : एक संभावित अवधारणा

एम.एस. जानी*

हमारे देश में सदियों से विद्यालय का समुदाय से अभिन्न संबंध रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल के पहले भारत में शिक्षा आश्रम, गुरुकुल तथा मदरसे में दी जाती थी। इन शिक्षण संस्थाओं का संचालन वहां के समुदाय द्वारा होता था। विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के लोगों द्वारा की जाती थी और शिक्षा भी समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान की जाती थी। शिक्षक एक तरह से पूरे समुदाय का चिंतक, मार्गदर्शक तथा मित्र होता था।

शिक्षक का सम्मान पूरे समुदाय में होता था। समाज में गुरु का स्थान सर्वोपरि था। गुरु की महिमामंडित करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि 'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर' अर्थात गुरु सभी देवों में पूज्य है।

मध्यकाल में भी गुरु पद की महिमा अक्षुण्ण थी—

गुरु गौविंद दोऊ खड़े काके लागु पाय,

बलिहारी गुरु आपने गौविन्द दियो बताय।

इस सोच के अनुसार भगवान और गुरु दोनों साथ प्रकट हों तो पहले गुरु को नमन स्वीकार किया गया क्योंकि गुरु कृपा से ही भगवान के बारे में ज्ञान होता है।

गुरु की प्रतिष्ठा तथा सम्मान के लिए गुरु-पूर्णिमा जैसे त्यौहार पूरे देश में मनाए जाते थे। इस दिन विद्यार्थी तथा गृहस्थ दोनों गुरुओं की सेवाओं के प्रति आदर प्रकट करते थे। आजकल भी शिक्षक-दिवस शिक्षक की सेवाओं के प्रति आदर तथा आभार-स्वरूप आयोजित किया जाता है।

अंग्रेजों के आगमन पर विद्यालय समुदाय से हटकर राज्याश्रित हो गए तथा पहले स्थापित विद्यालय, आश्रम, मदरसे आदि के प्रति धीरे-धीरे आस्था कम होने से और अंग्रेजों के प्रभुत्व में स्थापित किए गए विद्यालयों से स्पर्धा होने से वे अपना अस्तित्व कायम रखने में असमर्थ हो गए।

बड़े पैमाने पर नई पाठशालाओं की स्थापना से पूरे देश में शिक्षा में समरूपता आई तथा शिक्षा व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाने लगी। विद्यालयों के संचालन का कार्यभार सरकार के पास जाने से समुदाय तथा शिक्षण संस्थाओं के बीच फासला बढ़ने लगा और पाठशालाएं अपने समुदाय का अंग न रहकर सरकारी कार्यालयों में परिवर्तित होने लगीं। ग्रामवासियों के लिए विद्यालय डाकघर या राजस्व विभाग जैसा ही एक सरकारी विभाग रह गया।

पंचायती राज की स्थापना के बाद विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में पाठशालाओं को समुदाय की संस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में पाठशालाएं, पंचायत समिति प्रशासन के अंतर्गत स्थानांतरित की गईं, परंतु इसका प्रभाव विद्यालय तथा गांव के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अभी तक सहायक नहीं हो सका है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय अभी भी एक सरकारी विभाग की तरह ही जाने जाते हैं और उनमें जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है।

विद्यालयों के सुचारू रूप से कार्य करने की दिशा में जन-सहयोग एवं जन-भागीदारी के लिए प्रयास करने होंगे। इससे ग्राम और विद्यालय के मध्य संबंधों को बढ़ावा मिलेगा तथा विकास में गति आएगी।

पंचायती राज के संदर्भ में विद्यालय से ये सेवाएं अपेक्षित हैं—अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रमानुसार श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही, कोई एक विषय शौकिया तौर पर पढ़ाया जाए। यह विषय खेती या कुटीर उद्योग, जो उस गांव में पहले से ही स्थापित हो, से संबंधित हो जिससे उस क्षेत्र में वांछित सफलता पाने में मदद मिल सके।

अनेक गांव कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं और वहां के विद्यालयों में मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, लकड़ी के खिलौने आदि बनाने का प्रशिक्षण देने से गांव और विद्यालयों के संबंध बढ़ सकेंगे। इन सेवाओं से निम्नलिखित लाभ होने की आशा है :

- विद्यार्थियों के खाली समय का सदुपयोग सर्जनात्मक कार्यों में लगेगा।
- विद्यार्थियों में मिल-जुलकर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होगा।
- अध्यापक से अनौपचारिक संबंध स्थापित होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव अध्यापन पर पड़ेगा।

*स्थानीय स्वशासन एवं उत्तरदायी नागरिकता संस्थान, विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर

- विद्यार्थियों में श्रम करने की प्रवृत्ति का विकास होगा तथा श्रम के प्रति सम्मान जाग्रत होगा।

इस प्रकार की वाटिकाओं या दस्तकारी केंद्रों में की गई आधुनिक तथा विकसित तकनीक का प्रयोग ग्रामवासी अपने खेतों पर भी करने के लिए उत्साहित होंगे अर्थात एक तरह से ये स्थल प्रत्येक गांव में आदर्श वाटिका या दस्तकारी केंद्र का कार्य करेंगे, जिससे गांव या कस्बे के समग्र विकास की ओर एक ठोस प्रयास हो सकेगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व से ही इस प्रकार के प्रयोग गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति के अनुसार राजस्थान तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों में भी किए गए थे जिनमें बहुत सफलता भी मिली थी, जैसे—

- भूपाल नोबल्स स्कूल, उदयपुर (राज.)—शौकिया तौर पर खेती का प्रशिक्षण दिया जाता था। छोटे-बड़े सभी सामंतों के लड़कों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ प्रति सप्ताह कुछ समय तक खेत पर प्रशिक्षण देना होता थे। उन्हें खेती की नई तकनीकों का परिचय भी दिया जाता था, साथ ही उनके मन में काम के प्रति सम्मान भी जाग्रत होता था।

- विद्या भवन बुनियादी मदरसा, उदयपुर—विद्यार्थियों की शाला के फार्म पर होने वाली फसल में भागीदारी होती थी, जिससे कई कमजोर वर्ग के विद्यार्थी अपने विद्यालय की फीस तथा होस्टल का खर्च निकाल कर शिक्षा ग्रहण करते थे।

दुर्भाग्यवश आधुनिकता की दौड़ में विद्यालयों में धीरे-धीरे इस प्रकार की प्रवृत्तियां समाप्त हो गईं या इनका महत्व कम हो गया।

आज जब पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है, जिसका उद्देश्य समग्र ग्रामीण विकास करना है, तो हमें उपरोक्त सेवाएं विद्यालयों में पुन: प्रारंभ करनी होंगी जिससे विद्यार्थियों तथा ग्रामवासियों में नवजीवन का संचार होने की संभावनाएं बढ़ सकें।

विद्यालय और प्रौढ़ शिक्षा

स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रारंभिक काल से ही प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार का ध्यान केंद्रित था। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी प्रौढ़ शिक्षा को उचित महत्व दिया गया, लेकिन स्थानीय विद्यालय का अंग नहीं होने से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सके।

प्रत्येक विद्यालय चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। आज की परिस्थितियों में विद्यालय के पुस्तकालय की सेवाएं ग्रामवासियों को मिलने से साक्षरता कार्यक्रम में सुदृढ़ता आएगी। विद्यालय, पुस्तकालय तथा वाचनालय की सेवाएं ग्रामवासियों को मिलने से साक्षरता का प्रसार तथा स्थायित्व ही नहीं होगा, ग्रामवासियों का विद्यालय से निकट का संपर्क भी स्थापित होगा। फलस्वरूप विद्यालय वास्तविक सामाजिक संस्था के रूप में पहचान बना सकेंगे। इन सुविधाओं के लिए पंचायत द्वारा भी कुछ साधन विद्यालयों को उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ेगी।

अभिभावक संगठन

आज की परिस्थितियों में अभिभावक विद्यालय के कार्यक्रमों से करीब-करीब अनभिज्ञ ही रहते हैं। ऐसे कई अभिभावक हैं, जिनके दो-तीन बच्चे विद्यालय में पढ़े हों, फिर भी उन्होंने कभी विद्यालय के दर्शन नहीं किए। केवल उन्हीं अभिभावकों को विद्यालय बुलाया जाता है, जिनके बच्चों की अनुशासन संबंधी कोई समस्या होती है या जो पढ़ने में कमजोर होते हैं।

अत: प्रत्येक ग्रामीण विद्यालय में अभिभावक संघ की स्थापना होनी चाहिए। समय-समय पर विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए तथा विद्यालय की गतिविधियों में उनकी राय लेनी चाहिए।

विद्यालय तथा ग्राम पंचायत

प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापकों को पंचायत बैठकों में , विशेषकर शिक्षा संबंधी समितियों की बैठकों में, आमंत्रित किया जाना चाहिए जिससे शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में अध्यापक की सक्रिय भूमिका रह सके तथा व्यावहारिक कार्यक्रम तथा नीतियां बनाने में मदद मिले। जहां तक संभव हो, पंचायत की बैठक स्कूल भवन में होने से पंचायत तथा शाला के संबंध मधुर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। वर्ष में एक-दो बार संपूर्ण पंचायत क्षेत्र के लिए खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होने से गांव में नव-चेतना का संचार होगा। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल मैदान में होने से स्कूल के विकास में भी मदद मिलेगी।

जिन पंचायतों में विद्यालय नहीं है, वहां विद्यालय की स्थापना के लिए ग्रामीणों तथा पंचायत के सदस्यों को मिल-जुलकर प्रयास करने चाहिए। साथ ही, जिन पंचायतों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो, विशेषकर बालिकाओं की, वहां नई भर्ती के लिए पंचायत को स्कूल के अध्यापकों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने से वांछित लाभ प्राप्त हो सकेगा।

छात्र-छात्राएं शिक्षा-सत्र के मध्य में पढ़ाई न छोड़ें, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर ध्यान रखना आवश्यक है। बालकों की कठिनाइयों का निराकरण होने से शिक्षा अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी होने की आशा की जाती है।

जहां तक संभव हो, गांव या आस-पास के क्षेत्रों के पढ़े-लिखे व्यक्तियों को ग्रामीण विद्यालयों के अध्यापक के पदों पर चयन करना चाहिए। इससे ग्रामीण प्रतिभा का उपयोग गांव के हित में हो सकेगा और अध्यापक के रहने तथा स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का भी बहुत सीमा तक निराकरण संभव हो सकेगा। आज ग्रामीण अध्यापकों संबंधी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या—उनका समय पर नहीं पहुंचना, पूरे समय विद्यालय में उपस्थित नहीं रहना और अधिकतर समय स्थानांतरण कराने के प्रयास में लगे रहना है। स्थानीय प्रतिभाओं को अध्यापक चयन के लिए वरीयता देने पर उपरोक्त समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त सुझावों को क्रियान्वित करने से विद्यालय गांव तथा समाज के लिए आदर्श संस्था के रूप में काम कर सकेंगे। इससे वांछित दिशा में समग्र विकास हो सकेगा तथा शिक्षा का स्तर बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ❑

महिलाएं, पंचायत और गरीबी उन्मूलन

डा. महीपाल

विदित है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सदस्य तथा अध्यक्ष पदों के लिए दिया गया है जिसके कारण पंचायतों के तीनों स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत/पंचायत समिति और जिला पंचायत पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 11 लाख है। इनमें से लगभग 2.50 लाख महिलाएं अनुसूचित जाति व जनजाति की हैं। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मानता आ रहा है। यह समारोह 24 व 25 अप्रैल को कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में मनाया जाता है। पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम के विषय शिक्षा, स्वास्थ्य आदि रहे हैं। इस वर्ष के समारोह का विषय महिलाएं, पंचायत और गरीबी उन्मूलन था। इस समारोह में विभिन्न प्रदेशों से लगभग 300 पंचायत सदस्य और अध्यक्ष तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। प्रस्तुत लेख में महिलाएं पंचायतों के माध्यम से गरीबी की समस्या को कैसे समाधान कर सकती हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है।

ग्रामीण गरीबी की समस्या

वास्तव में गरीबी सभी बीमारियों की जननी है। गरीबी के पंचायतों से संबंधित दो पहलू हैं। प्रथम, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी की समस्या। दूसरे, पंचायत में चुनी महिला प्रतिनिधियों, खासतौर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की महिलाओं की, गरीबी की समस्या। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का 37.27 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहा है। कुछ राज्यों जैसे—बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 58.21 प्रतिशत, 49.72 प्रतिशत और 40.64 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों में तो यह समस्या और अधिक गंभीर है। अनुसूचित जाति में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत 48.11 है। कुछ राज्य, जैसे—बिहार (70.66 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (58.99 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (51.64 प्रतिशत) में इन वर्गों में गरीबी राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। अनुसूचित जनजाति में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत 51.94 है। कुछ राज्य जैसे—बिहार (69.75 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (69.94 प्रतिशत), उड़ीसा (71.26 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (61.95 प्रतिशत) में गरीबी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से भी काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई हैं, उनमें भी अनेक महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों से नाता रखती हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में एक सर्वेक्षण के अनुसार पंचायतों में चुन कर आईं 57 प्रतिशत महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों से हैं। यही हाल अन्य राज्यों में भी है।

दो दिन के समारोह में इस मुद्दे पर बहस हुई और बाद में अनेक सिफारिशें उभर कर आईं। चूंकि इतनी सारी महिलाओं के एक साथ एक स्थान पर चर्चा करना संभव नहीं था, इसलिए राज्यवार महिलाओं को छह कार्य दलों में बांटा गया। बाद में आम अधिवेशन में सभी महिलाएं एक साथ चर्चा में शामिल हुईं।

चर्चा में उठे मुद्दे

पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्य कर रही महिलाओं ने चरित्र हनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जब-जब महिलाएं घर से बाहर निकल कर ग्रामीण विकास का कार्य करती हैं, तो समाज उनके चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें हतोत्साहित करता है। ऐसे में क्या करें महिलाएं—बस घर में बैठकर रह जाती हैं। इस चुनौती का जवाब देते हुए अन्य महिलाओं ने कहा कि हमें इसके लिए एकजुट होना होगा। सही सोच वाले पुरुषों का भी सहयोग लेना होगा। लेकिन लांछन लगाने से यदि हम घर बैठ गईं, तो इसका अर्थ समाज यह लगाएगा कि लांछन सही था, इसलिए ये महिलाएं घर बैठ गई हैं।

दलित समाज की महिलाओं की समस्याएं अन्य महिलाओं की समस्याओं से कुछ अलग बताई गईं। उनके सामने एक परेशानी यह थी कि गांवों में उनकी कोई सुनता ही नहीं। गांव में उच्च वर्ग, जमींदार, दौलतमंद लोगों का ही सिक्का चलता है। सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी भी उनके यहां न जाकर जमींदारों के यहां जाते हैं। उन्हें तो उनके पति द्वारा जो आदेश होता है, वही करती हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि इसका इलाज क्या है। उनका सुझाव था कि भूमि सुधार को बिना देर किए अमल में लाया जाए। दूसरे उन्हें इस तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे वे घर पर रहकर ही अपनी आय के स्तर को बढ़ा सकें क्योंकि आर्थिक आजादी ही राजनीतिक आजादी के द्वार खोलती है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के जेहरा गांव पंचायत की प्रधान श्रीमती धुम्मी आश्चर्यचकित थी कि उसने पंचायत स्तर से एक गरीब परिवार के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव ब्लाक में भेजा लेकिन वहां से मकान बनाने की मंजूरी किसी और के नाम की आई, जो सही नहीं थी। ऐसा कैसे हो गया? यह तो सरासर अन्याय है। इसमें हमारी आजादी कहां रही?

भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सभी प्रदेशों से आई महिलाओं ने उठाया। उन्होंने कहा कि पैसे के बिना फाइलें टस से मस नहीं होतीं। उन्हें तो इतना मालूम नहीं है, सरकारी नौकर बता देते हैं कि इस प्रस्ताव में यह कमी है, इसमें यह कमी है। इसे कैसे पास कर दें? अर्थात उनका हिस्सा। जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तब उसकी जांच के लिए अधिकारी आते हैं। उनसे ठीक रिपोर्ट लेने के लिए फिर उनका हिस्सा। यह नौकरी है कि कमीशनबाजी! तंग आ गए इस तरह के नौकरशाही व्यवहार से। उन्नाव जिला पंचायत की सदस्य डा. चंद्रकांता ने अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दे उठाए।

अरुणा राय, जो किसान मजदूर संघर्ष संगठन से जुड़ी हैं, ने राजस्थान के अपने अनुभव बताए। उन्होंने बताया कि जन-सुनवाई के दौरान अनेक सरपंचों ने घोटालों में जो पैसा गबन किया था, वह वापिस किया। जो महिला तथा पुरुष पंचायतों के सदस्य तथा सरपंच बन गए, उनके सोचने का ढंग ही बदल गया। वे जो पहले पंचायतों से हिसाब मांगते थे, अब खुद नहीं देते।

अरुणा राय ने यह भी जानकारी दी कि एक महिला प्रतिनिधि ने बताया कि वह अपनी जमीन गिरवी रखकर 70,000 रुपये उधार लेकर चुनाव जीती है। यदि वह हेरा फेरी से पैसा नहीं हड़पेगी तो कर्ज से कैसे मुक्ति पा सकेगी।

महिलाओं ने अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण हमारे प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं क्योंकि उप-सरपंच तथा गांव में पुरुष वर्ग चाहता है कि इस महिला प्रधान को हटा कर पुरुष उप-प्रधान को प्रधान बनाओ। अत: अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान में संशोधन होना चाहिए। इसका संपन्न वर्ग द्वारा गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

महिलाओं ने माना कि उन्हें अपने अधिकार तथा शक्तियों, पंचायतों की कार्यवाही कैसे करनी होती है, कोरम क्या है, ग्रामसभा का महत्व क्या है—आदि का ज्ञान नहीं है। नौकरशाही उन्हें अपनी भूमिका अदा करने में रोड़ा है। सरकारी कर्मचारी उन्हें सहयोग नहीं देते।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती रमादेवी ने राज्य के अनुभव बताते हुए कहा कि वहां सारा कार्य महिला ही करती हैं। पुरुष या तो बीड़ी/हुक्का पीते हैं या फिर ताश खेलते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरुष-प्रधान मानसिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। महिलाएं अपनी गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तभी हटा सकती हैं यदि वे शिक्षित तथा जागरूक हों। महिलाओं को न तो देवी बनाकर पूजने की जरूरत है और न ही उन्हें दासी बनाने की जरूरत है। जरूरत है तो उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भागीदार बनाने की।

सेवा नामक स्वैच्छिक संगठन, अहमदाबाद की श्रीमती इला भट्ट ने सूचनाओं की पहुंच, सहभागिता, महिलाओं के आर्थिक आधार की मजबूती, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को बढ़ाने और आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए पर्याप्त विनियोग की बात महिलाओं के सामने रखी। उन्होंने महिलाओं से संगठित होकर अपने आर्थिक आधार को मजबूत करने पर जोर दिया।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर श्रीमती उत्सा पटनायक ने महिलाओं के आर्थिक आधार को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने केरल तथा बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां भूमि सुधार कानून सही तरीके से लागू हुआ है, वहां महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी बढ़ी है।

पंचायतों को आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। इस नीति के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थानीय साधनों जैसे जल, जंगल और जमीन पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है जिसका सीधा सीधा संबंध ग्राम पंचायतों तथा महिलाओं के विकास से जुड़ा है। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्यों में विनियोग कम हुआ है जिसके कारण गरीबी का स्तर बढ़ा है। नई आर्थिक नीति के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ग्रामीण विकास में परिव्यय घटने के कारण गरीबी बढ़ी है। कुल मिलाकर पंचायत, महिला और गरीबी के संदर्भ में नई आर्थिक नीति का पुन: अवलोकन जरूरी है।

अभिनेत्री एवं राज्यसभा की सदस्या शबाना आज़मी ने गरीबी को बहुआयामी अवयव बताया तथा उसके समाधान के लिए भी बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। इसमें स्वास्थ्य पैकज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महिलाओं और पूरे ग्रामीण समाज से गरीबी दूर करने में।

समारोह में फिल्म 'संशोधन' भी दिखाई गई, जिसके अंतर्गत महिला पंच—विद्या कैसे-कैसे परेशानियों को झेलती हुई गांव में स्कूल खुलवाती है। इस फिल्म को महिलाओं ने बहुत पसंद किया तथा इच्छा व्यक्त की कि यह फिल्म सभी गांवों में दिखाई जानी चाहिए, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों, शक्तियों तथा कर्तव्यों से परिचित हो सकें।

सिफारिशें

दो दिन की बहस के बाद निम्नलिखित सिफारिशें उभर कर आईं:

1. पंचायतों को कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना आवश्यक है।
2. ग्रामसभा की संस्था को सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए इस संस्था को उतने ही अधिकार होने चाहिए, जितने अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों को दिए गए हैं।
3. गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य पंचायती राज अधिनियम में साफ तौर पर परिभाषित करना।
4. महिला प्रतिनिधियों का संगठन बनाना।
5. महिलाओं के लिए विभिन्न आय सृजन कार्यकलापों की व्यवस्था करना। उन्हें वस्तुओं के उचित दाम समय पर मिलें, इसके लिए विपणन सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराना।
6. भूमि सुधार कार्यक्रम को बिना देर किए लागू करना क्योंकि वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन किए बिना गरीबी उन्मूलन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता तथा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सही मायने में सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
7. विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं को पंचायतों के नियंत्रण में लाना।
8. केंद्र तथा राज्य सरकार की तरह पंचायतों के अपने कैडर का गठन करना।
9. पंचायत के विभिन्न स्तरों पर गरीबी उन्मूलन समिति, शिक्षा समिति, सामाजिक न्याय समिति, महिला व बाल विकास समिति आदि का गठन तुरंत करना।
10. महिलाओं को उनके अधिकार, शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण देना। इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं।
11. विभिन्न संरचनात्मक तथा स्वरोजगार सेवाएं सुविधाएं जैसे—क्रैच, स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, साख सुविधा, ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराना।
12. पंचायत कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए विधानसभा तथा संसद की तरह सवाल-जवाब का प्रावधान हो। इसके अतिरिक्त आश्वासन समिति भी गठित की जाए ताकि अगर जवाब सवाल के साथ-साथ न मिल सकें, तो बाद में दिया जा सके।
13. पंचायतें स्वालंबी बनें, इसके लिए वे स्वयं साधन जुटाएं।
14. केंद्र तथा राज्य सरकारों को गरीबी को जड़ से उखाड़ने की तरफ प्रयास करने चाहिए। इसके लिए एक ठोस, समयबद्ध तथा प्रभावकारी नीतिगत रूपरेखा बनाई जानी चाहिए जिसमें पंचायती राज संस्थाएं, विशेषकर उनकी महिला प्रतिनिधि एक अहम भूमिका निभा सकें।
15. नई आर्थिक नीति का, भूमंडलीकरण जिसका मुख्य आधार है, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यहां तक कि पंजाब तथा हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में भी गरीब लोगों की तादाद बढ़ रही है, जिसका असर महिलाओं पर पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से इस नीति का पुन: निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण समारोह में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने गरीबी की समस्या पर तो चर्चा की ही, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी समस्याओं को भी खुलकर सामने रखा। कुल मिलाकर महिलाओं में रोष नजर आया, जो इस बात का द्योतक है कि वे अपने आपको ठगी-सी महसूस कर रही हैं। चर्चा में यह भी सामने आया कि पुरुष वर्ग का वर्चस्व, नौकरशाही की दादागिरी और संपन्न वर्ग का चमड़े का सिक्का ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की जो छुपी ऊर्जा उजागर हुई है, वह जल्दी ही रंग लाएगी। ❑

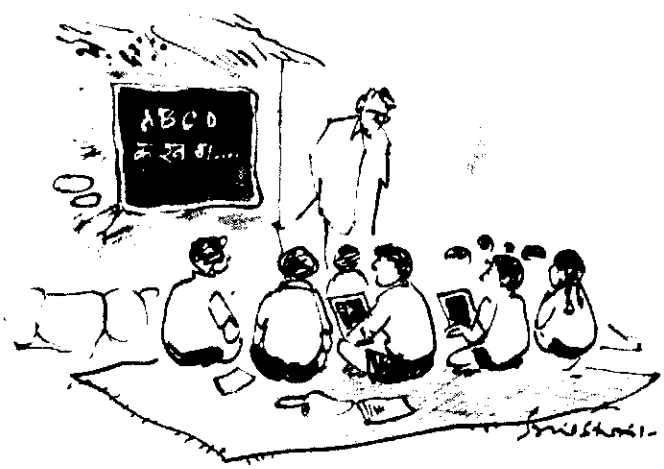

महिलाओं की शिक्षा : सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता

योगेश चन्द्र शर्मा

संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है—

नास्ति विद्या समं चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरुः।

अर्थात विद्या के समान चक्षु नहीं हैं तथा माता के समान गुरु नहीं है—सत्य है। बालक के विकास पर सबसे अधिक असर उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को सबसे पहला पाठ पढ़ाती है, रहन-सहन की आदतें सिखाती है और जिस समाज में उसे रहना है, उससे परिचित कराती है। बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान, पत्थर में बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार बन जाता है।

महात्मा गांधी से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, 'उसे अपने बच्चे का शिक्षण कार्य कब से शुरू करना चाहिए?' गांधी जी ने बच्चे की आयु पूछी, तो उत्तर मिला, 'चार वर्ष।' इस पर गांधी जी ने आश्चर्य से उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, 'आपको तो पहले ही चार वर्ष विलंब हो चुका है। अब शिक्षण कार्य में और अधिक विलंब कैसा?'

बच्चे का शिक्षण कार्य वास्तव में उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है और इस शिक्षण का मुख्य दायित्व माता पर होता है। अगर मां सुशिक्षित है तो वह अपने बच्चे को प्रारंभ से ही अच्छी आदतें सिखाएगी और उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देगी। विपरीत परिस्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और योग्य देख-रेख के अभाव में वे गलत आदतों के शिकार बन सकते हैं। किसी बच्चे या किशोर में आज अगर हमें कोई बुराई नजर आती है तो उसका अधिकांश उत्तरदायित्व मां पर ही होता है। अपनी अज्ञानता और लापरवाही के कारण जब वह बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती, तब वे अपने मनचाहे गलत रास्तों पर बढ़ते रहते हैं। मां की यही अज्ञानता और उपेक्षा बच्चे को आगे चलकर चोर, डाकू या अपराधी बना देती है। वास्तव में महिलाओं की शिक्षा, किसी भी तरह पुरुषों की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भावी समाज के निर्माण और स्वस्थ पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है।

दुर्भाग्यवश भारतीय समाज ने महिला शिक्षा के महत्व को अभी तक ठीक प्रकार से स्वीकारा नहीं है। अपने अड़ोस-पड़ोस में हमें अक्सर इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं कि लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना ठीक नहीं अथवा लड़कियों को कौन-सी नौकरी करनी है, जो उन्हें पढ़ाया जाए? इस प्रकार के विचार एक ओर तो हमारी दकियानूसी प्रवृत्ति और अज्ञानता का परिचय देते हैं, दूसरी ओर यह प्रकट करते हैं कि हम शिक्षा के उद्देश्य से भली-भांति परिचित नहीं हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना कभी नहीं होता। प्रारंभ में अंग्रेजों ने सस्ते क्लर्क प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। संभवतः यही तथ्य इस धारणा की पृष्ठभूमि में है। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी इस धारणा को बदलने का कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं हुआ। विभिन्न नौकरियों के लिए, वास्तविक योग्यता के स्थान पर केवल डिग्री की आवश्यकता को बनाए रखने से यह धारणा अधिक पुष्ट हुई। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति की मानसिक क्षमता का विकास करना और उसे योग्य नागरिक बनाना है, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में वह सफल हो सके।

शिक्षा हमें आजीविका के साधन प्राप्त करने में सहायता अवश्य करती है, क्योंकि इससे हमारी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास होता है। मगर आजीविका प्राप्त करना, शिक्षा का मूल उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता। यदि हम शिक्षा को उसके सहायक स्वरूप की दृष्टि से देखें तो भी शिक्षा का महत्व महिलाओं के लिए कम नहीं हो जाता। संभव है, आज की परिस्थिति में किसी बालिका को आजीविका के साधन तलाशने की आवश्यकता न हो लेकिन भविष्य में भी उसे इस प्रकार की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? भविष्य तो सदैव अनिश्चित होता है। लेकिन, क्या किसी अप्रत्याशित संकट के लिए तैयार रहना, हमारा कर्तव्य नहीं है? अवश्य है। सामान्य बुद्धि की भी हमसे यही अपेक्षा है। अंग्रेजी में एक कहावत है—'एक्सपैक्ट फार दि बैस्ट, बट बी रेडी फार दि वर्स्ट' अर्थात 'सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा करो, मगर निकृष्टतम के लिए तैयार रहो।' अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से पति के अलावा पत्नी भी आजीविका प्राप्ति में सहायता कर सकती है अथवा नौकरी या व्यवसाय कर सकती है। वर्तमान युग में इसमें कहीं कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पति के साथ बराबरी के इस स्तर पर खड़े होने के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है।

आदर्श मां के अतिरिक्त, आदर्श पत्नी बनने के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। सुशिक्षित पुरुष के लिए उसकी पत्नी का

शिक्षित होना और अधिक आवश्यक है। वैचारिक स्तर बनाए रखने के अतिरिक्त, घर की देखभाल तथा व्यवस्था के लिए भी महिला शिक्षा का महत्व स्वयंसिद्ध है। राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने एक स्थान पर कहा है—

बी.ए. गृहस्वामी विदित हैं तो क्या हैं वे स्वामिनी,
कैसे कहें, हैं हाय अशिक्षा रूपणी वे भामिनी,
दिन-रात का सा भेद जो हम इसको कहें,
दाम्पत्य भाव भला हमारे धाम में कैसे रहे?

यद्यपि सफेदपोश अपराधों की घटनाएं पुरुषों के समान स्त्रियों में भी व्याप्त है और तस्करी आदि आर्थिक अपराधों में भी महिलाओं को संलग्न पाया गया है, मगर उपलब्ध आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि सुशिक्षित महिलाएं अपराध के मार्ग पर कम ही चलती हैं। इस सिलसिले में कुछ समय पूर्व राजस्थान में एक सर्वेक्षण किया गया था। उससे पता चला कि अपराधों में जुड़ी 75 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर होती हैं, बारह प्रतिशत महिलाओं ने यद्यपि कभी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी उन्हें साक्षर अवश्य कहा जा सकता है। तेरह प्रतिशत महिलाएं स्कूली शिक्षा प्राप्त थीं। सुशिक्षित या उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं अपराध के क्षेत्र में अपवाद-स्वरूप ही होती हैं। फलस्वरूप महिला शिक्षा के प्रसार से हमारे अपराध संबंधी आंकड़ों में निश्चित रूप से काफी कमी आएगी।

महिला शिक्षा के प्रसार में मुख्य कठिनाई, जन-साधारण की उदासीनता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा शिक्षित समुदाय, महिला शिक्षा का जोर-शोर से प्रचार करे और उसके महत्व के बारे में जनता को समझाए। कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि महिला शिक्षा के कुछ समर्थक भी केवल प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा तक ही अपने को सीमित रखना चाहते हैं। परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के उपरांत बालिकाओं की शिक्षा पर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। अनेक योग्य बालिकाओं का विकास, इस विचारधारा के कारण अवरुद्ध हो जाता है। हमारा राष्ट्र भी उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास का लाभ नहीं उठा पाता। यह स्थिति उचित नहीं कही जा सकती। योग्य छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए।

कुछ समय पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग ने स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं में इस बात का सर्वेक्षण किया गया था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण का परिणाम मनोरंजक तो कहा जा सकता है, मगर उत्साहवर्धक नहीं। 47 प्रतिशत छात्राओं ने अपने अध्ययन का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना बताया। 26 प्रतिशत छात्राएं अपने को पुरुषों के समान बनाने मात्र के लिए ही शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। बीस प्रतिशत छात्राओं का उद्देश्य अपने लिए अच्छा पति प्राप्त करना था। कुछ गिनी-चुनी छात्राओं के ही प्रश्न को ठीक तरह समझ कर अपना उद्देश्य, योग्यता और सामर्थ्य का विकास बतलाया। कुछ छात्राओं के अनुसार, उनकी शिक्षा का उद्देश्य अपने अधिकारों की रक्षा करना था।

उक्त सर्वेक्षण यह प्रमाणित करता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं भी अपने उद्देश्य और शिक्षा के मंतव्य को ठीक प्रकार नहीं समझ पातीं। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य का छात्राओं में पर्याप्त प्रचार किया जाए, ताकि उनमें ज्ञान प्राप्त करने की ललक जाग्रत हो और समाज-सेवा के भावों को प्रश्रय मिल सके। महिलाओं के लिए शिक्षा के उद्देश्य—मानसिक क्षमता के विकास के साथ स्वस्थ और सुखी पारिवारिक जीवन, आदर्श नागरिकों का निर्माण तथा ज्ञान की रुक्षता को सरसता प्रदान करना भी होने चाहिए। गौण उद्देय के रूप में, आवश्यकतानुसार रोजगार प्राप्त करना भी हो सकता है।

महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी विस्तार से विचार किया जाना अपेक्षित है। उद्देश्य के अनुसार इस पाठ्यक्रम की भी कुछ निजी विशेषता होनी चाहिए। महिला शिक्षा में सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त गृह कार्य, साज-सज्जा तथा बालकों के स्वास्थ्य आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी सम्मिलित की जानी चाहिए। महिला के रूप में उनका विशेष उत्तरदायित्व क्या है, इस बात का उन्हें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। असामाजिक तत्वों के कारण संकट में पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए जूडो जैसा शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है।

महिलाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी विशेष स्थान देना होगा। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से महिलाएं घर में रहकर भी अपने परिवार की आमदनी में वृद्धि कर सकती हैं। इस भागीदारी से महिलाएं हीनता की भावना से मुक्त होकर अपने को अधिक सम्मानित महसूस कर सकेंगी। इससे उनके आत्म-विश्वास में भी वृद्धि होगी।

यह सत्य है कि पिछले कुछ अरसे से भारतीय महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है और इससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है। विभिन्न कार्यालयों और व्यवसायों में महिलाएं बड़े आत्म-विश्वास से काम करती नजर आती हैं। मगर यह आवश्यकता और अपेक्षा से बहुत कम है। जो है, वह भी अधिकांशत: शहरी क्षेत्रों में ही है। ग्रामीण महिलाएं आज भी अधिकांशत: अशिक्षा के अंधकार में भटक रही हैं। उन्हें न अपने अधिकारों का अहसास है और न समाज में अपनी स्थिति का। इसलिए इस दिशा में तेजी से प्रयास करने आवश्यक हैं। महिला शिक्षा के प्रसार से देश की प्रगति में हमारी शेष आधी जनसंख्या का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और तब देश की प्रगति तीव्र गति से हो सकेगी। ❑

वह माता शत्रु और पिता बैरी है जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया।

—चाणक्य

मध्य प्रदेश में

मजदूरों की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अभिनव पहल

सरस्वती चाकरे*

मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल तथा कृषि प्रधान राज्य है। यह भारत की हृदयस्थली होने के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। इस राज्य में विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं तथा अपना जीवन-यापन कृषि लघु तथा बड़े उद्योग-धंधों और विभिन्न प्रकार के अन्य व्यवसायों से करते हैं। यहां गरीबी और बेरोजगारी के साथ अशिक्षा भी व्याप्त है। इससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। सामान्यत: पिछड़े इलाकों में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चें शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि गांव में स्कूल हैं, तो बालकों को पढ़ने के लिए तो अभिभावक भेज देते हैं, किंतु बालिकाएं इससे वंचित रह जाती हैं, क्योंकि वह घरेलू कार्य तथा छोटे भाई-बहनों को संभालने का कार्य करती हैं। उनके माता-पिता मजदूरी कर, घर का खर्च चलाते हैं। बालिकाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए गांवों में शाला भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा कहीं-कहीं स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, किंतु किशोर बालिकाओं को फिर भी हम कितना स्कूल भेज पाएंगे—यह कहना मुश्किल है। सही मायने में यदि हमें मजदूर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा देनी है, तो इस तरह दी जाए कि भविष्य में वह उनके काम आ सके। इसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना अनिवार्य है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अलग पैकेज की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है—

- निम्नतम स्तर जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची प्रत्येक जिला मुख्यालय से प्राप्त की जाए तथा जिला सांख्यकीय विभाग से इन परिवारों के सदस्य, बालक-बालिकाओं की संख्या प्राप्त की जाए।
- ग्रामीण मजदूर वर्ग की बालिकाओं को किसी एक जिले से चुना जाए तथा करीब 200 बालिकाओं को एक छात्रावास में रखा जाए, जहां सभी विषयों के अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा तथा खेल शिक्षा भी शामिल की जाए।
- बालिकाओं के लिए पुस्तकें, यूनिफार्म, खाने और वार्डन की व्यवस्था की जाए।
- बालिकाओं के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए वातावरण का निर्माण किया जाए और अनुशासन के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल, संगीत तथा नृत्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
- विकलांग, बेसहारा बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं, अभिभावकों पर से पूरी तरह से शिक्षा का बोझ खत्म किया जाए। बालिकाओं को विशेष अवसरों पर ही घर भेजा जाए।
- प्राथमिक शिक्षा के बाद उन बालिकाओं को किसी भी सरकारी स्कूल में भर्ती कराने की जिम्मेदारी भी वहन की जाए। साथ ही, सरकार छात्रावास में भर्ती करवाने की जिम्मेवारी उठाए।

शुरुआती तौर पर इस कार्यक्रम में दिक्कतें आएंगी, किंतु इसके परिणाम आने वाले वर्षों में सुखद होंगे। इस तरह मजदूर वर्ग के अतिरिक्त गरीब बालिकाओं को भी शिक्षित होने तथा उन्हें कुछ करने का अवसर दिया जा सकता है।

प्रत्येक जिले में स्कूल तथा छात्रावास बनवाया जाए। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनिसेफ, अन्य बड़ी संस्थाएं और विश्व बैंक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं या इस विषय में रुचि रखने वाले लोग भी यह कार्य कर सकते हैं।

इस तरह ग्रामीण मजदूर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षित किया जा सकता है। एक जिले में सफलता मिलने पर धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है। इस प्रकार देश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ❑

*मध्य प्रदेश महिला समाख्या समिति, जिला परियोजना कार्यालय, 42, शारदा भवन, यशवंत नगर, रायसेन (म.प्र.)

कर्मण्येवाधिकारस्ते

कुलवन्त राजपूत

'स्यं... स्यं... ऽ ... ऽ ... स्यं... ऽ ... ऽ ... ऽ ...।'

देहलीज़ पर पैर रखते ही पंडित देवदत्त को किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वे आवाज़ पहचानते थे। पर कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया। वे पूरे गांव का चक्कर लगाकर अभी घर लौटे थे। आज भी कोई खेत की कटाई के लिए तैयार नहीं हुआ। तैयार कोई हो भी तो कैसे? सभी के तो खेत पके खड़े हैं और सबको जल्दी है कि फसल कटकर घर आ जाए, फसल कहीं खैरी हो गई तो खेत में ही खिर जाएगी आधी से ज्यादा। पहले कभी भी इतनी दिक्कत नहीं हुई थी पंडित देवदत्त को। पहले तो फसल काटने के लिए इतने लावा आ जाते थे, अपने और आसपास के गांवों से कि कभी-कभी तो कुछ उठाने भी पड़ते थे कटाई पर से। पर देखते-देखते सब कुछ बदल गया। अब गांवों में खेतिहर मजदूर रहे ही कहां हैं? ज्यादातर खेतिहर मजदूर गांवों को छोड़-छोड़कर शहर जा बसे, जो थोड़े-बहुत बच रहे, उन्हें सरकार से ज़मीन मिल गई और खुदकाश्त हो गए। अब सभी को खेतों में खुद ही काम करना पड़ता है। पंडित देवदत्त के खेत कई दिन पहले ही कट जाने चाहिए थे, पर कौन काटे? उस दिन भी वे सारे गांव का चक्कर लगाकर लौटे, पर घर में पैर रखा ही था कि.....। पंडित देवदत्त को पिछले कुछ महीनों से अपनी धर्मपत्नी सरस्वती में एक बदलाव दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं कि वे उसका कारण समझते न हों। पंडित देवदत्त को याद नहीं आता कि उन्होंने सरस्वती को कभी प्रताड़ित किया हो या उसे उसकी मर्ज़ी से कुछ करने से रोका हो या कभी कोई अन्य कष्ट दिया हो।

सरस्वती के सिसकने की आवाज़ से देवदत्त के सामने उनका पूरा अतीत उभर आया। पंडित देवदत्त मूल निवासी तो थे—मैनपुरी जनपद के एक छोटे-से गांव खरबड़ी के, पर पांच साल की उम्र में ही अलीगढ़ जिले के इस छोटे-से गांव शेखूपुर में आ बसे थे। इस गांव में उनकी ननिहाल थी। पंडित देवदत्त की मां विद्यादेवी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। इसी कारण देवदत्त को अपने नाना का वारिस बनने के लिए ननिहाल भेज दिया गया था। पंडित देवदत्त के पिता एक जूनियर हाईस्कूल में हैडमास्टर थे। ननिहाल में पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुरोहिताई और ज्योतिषी का काम होता आया था। देवदत्त के नाना पंडित विद्याधर की अपने क्षेत्र में पुरोहित और ज्योतिषी के रूप में बहुत ख्याति थी। इस कारण वे चाहते थे कि उनका नाती भी पुरोहिताई के लिए कर्मकांडों और उनके विधि-विधानों को सीख ले तथा ज्योतिष सीखकर उनके इस जमे-जमाए काम को संभाल ले। इस प्रकार देवदत्त केवल पांच वर्ष की उम्र में ही अपनी ननिहाल आ गए और नाना की इस संपत्ति के वारिस बन गए। अपने नाना से प्राप्त उस संपत्ति में यजमानों से समय-समय पर उस कुल की कई पीढ़ियों को प्राप्त तकरीबन सौ बीघे ज़मीन भी थी।

देवदत्त का विवाह चौदह साल की उम्र में कर दिया गया। जब देवदत्त के नाना स्वर्गवासी हुए, तब देवदत्त की आयु मात्र अठारह वर्ष थी और तब तक वे दो पुत्रों के पिता बन चुके थे। नानी पहले ही परलोक सिधार चुकी थीं। इस प्रकार मात्र अठारह वर्ष की छोटी-सी उम्र में ही देवदत्त पर गृहस्थी का बोझ आ गया था। पर नाना की जमी-जमाई पुरोहिताई और ज्योतिष के काम को भली प्रकार समझ और संभाल लेने तथा सौ बीघे जमीन की आमदनी के कारण देवदत्त को विशेष कठिनाई नहीं हुई। देवदत्त को उस क्षेत्र के लोगों ने उतने ही आदर, उतनी ही श्रद्धा से अपना लिया, जितनी श्रद्धा उनके नाना के लिए लोगों के मन में थी।

जन्म हो या नामकरण, विवाह हो या गौना या गृह-प्रवेश, शकुन-मुहूर्त दिखाना हो, कथा या यज्ञ या ग्रह शांति करानी हो, पंडित देवदत्त के बिना कोई भी काम पूरा होता ही न था। जब तक गांव के हलहारे हल-बैल लेकर खेत जोतने जाते, तब तक देवदत्त नित्य-कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर चुके होते। उसके बाद प्रारंभ होता उनका दैनिक यज्ञोपासना का कार्यक्रम, जो कई घंटे तक चलता। सूर्योदय होते-होते पंडित देवदत्त साफ-स्वच्छ श्वेत धोती-कुर्ता पहन कर, माथे पर रोली-चंदन के तिलक-छापे लगाकर अपनी बैठक में विराज जाते। बैठक में प्रतिदिन दोपहर तक अगरु-धूप जलते रहते और बैठक अलौकिक गंध से महकती रहती। न केवल उस गांव के वरन् आसपास के पचास-साठ गांवों के लोग आवश्यकतानुसार वहां आते। देवदत्त किसी से कुछ न मांगते। लोग स्वेच्छा से स्वयं अपनी श्रद्धानुसार नकद दक्षिणा, नारियल और वस्त्रोपहार उनके चरणों में रख देते। तब देवदत्त उनकी जिज्ञासा पूछते। कोई अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश में होता, पर तलाश करते-करते परेशान हो गया होता। कोई अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या की जन्म-पत्रिका लेकर शुभ-अशुभ का विचार कराने आता। कुछ ऐसे लोग भी आते जो हर साल कोई-न-कोई अनुष्ठान कराते रहने में ही अपनी भलाई समझते। कुछ पंडित देवदत्त को आमंत्रित करने भी आते। इन कामों में नकद दक्षिणा तो मिलती ही; वस्त्र, फल, मिष्ठान, मेवे, तिल, चावल, घृत, नारियल आदि से भी घर सदैव भरा रहता। पंडित-पंडितानी को याद भी नहीं कि इनमें से कोई चीज उन्होंने कभी खरीदी हो या कभी घर में समाप्त हुई हो। मिलने वाले या रिश्तेदार आते तो फल-मेवे उनके साथ बांध दिए जाते, कौन खाता इतने।

एक बात और। पंडित देवदत्त के पास सौ बीघे ज़मीन थी जरूर, पर कभी उन्होंने हल नहीं रखा, फावड़ा या खुरपी नहीं रखी, बैल नहीं रखे। गांव के लोग ही पंडितजी का खेत जोत देते, बो देते और जब फसल पक कर तैयार हो जाती तो काट और गहाकर अनाज घर में डाल जाते। अपने पुरोहित के काम को वे पुण्य का काम समझते। देवदत्त ने तो बस दो गायें रखी थीं। ये गायें भी यजमानों से दक्षिणा में मिली थीं। उनके चारे का प्रबंध भी गांव वाले ही करते और गोबर-कूड़ा गांव की एक बुढ़िया भंगन कर जाती। बस पंडितानी सुबह-शाम गायों का दूध दुहती। हरी सब्जियां, दालें, गन्ना-गुड़, तेल सब कुछ फसल पर यजमानों के यहां से आ जाता। सुख-सुविधा और सम्मान

के ऐसे वातावरण में पंडित देवदत्त प्रारंभ से ही रहे और उसी प्रकार का जीवन जीने के अभ्यस्त हो गए।

पुरानी कहावत है कि समय सदैव एक समान नहीं रहता। समय कब बदला, पता ही नहीं चला, पर धीरे-धीरे बदलता अवश्य रहा। समय जब बदलता है तो आदमी भी धीरे-धीरे उनके साथ-साथ बदलता चलता है, इसी से पता नहीं चलता कि बदलाव कब आया। जब किसी कारण आदमी समय के साथ बदल नहीं पाता तो वह प्रति क्षण बदलाव महसूस करता है और तिल-तिल बदलाव को कोसता है अथवा कुढ़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ पंडित देवदत्त के साथ भी। समय बदलता रहा, लोग बदलते रहे, लोगों के विचार और संस्कार बदलते रहे, लोगों की श्रद्धा बदलती रही, लोगों का रहन-सहन बदलता रहा, कर्म-कांडों पर से लोगों की आस्था कम होती गई, दान-दक्षिणा कम होती गई, पौरोहित्य और ज्योतिष पर से आस्था उठती गई। सुख-सुविधा और सम्मान का जीवन जीने वाले पंडित देवदत्त का जीवन दूभर होता गया। खेत जस-के-तस पड़े रह जाते। कोई उनको जोतने-बोने वाला न मिलता। इसीलिए अब खेत बटाई पर दूसरों को देने पड़ते। जितनी पैदावार अपने ईमान से बटाईदार बताता, उतना ही अनाज स्वीकार करना पड़ता। चारे की किल्लत के कारण ही गायें बेच देनी पड़ीं।

पहले गुज़र-बसर में कठिनाई जरूर हुई, पर काम चल जाया करता था किसी तरह। फिर गुज़र-बसर में भी दिक्कत होने लगी। पंडितानी के गहने गिरवी रखे गए, फिर वे बिक गए। किसी को कानों-कान खबर न हुई। घर-गृहस्थी की वे कुछ वस्तुएं, जो अब जरूरी नहीं रही थीं, चुपचाप बेच दी गईं। तब भी किसी को पता न चला। अंत में गांव के महाजन से उधार शुरू हुआ। पहले तो महाजन भी आदर सहित खुशी से देता था और किसी को इसका भी पता न चला। पर गांव का महाजन जब पहले उधार का तकाजा करके ही आगे देने लगा तो सारे गांव को पता लग गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उसने भी उधार देना बंद कर दिया। पंडित देवदत्त के पास अब जीविका और सम्मान बचाने का एकमात्र प्रमुख साधन बचा—खेती। लेकिन इस साल तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई कि खेत बटाई पर लेने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। कोई ले भी, तो कैसे? पहले तो गांव के ही खेतिहर मजदूर कुछ दूसरे किसानों के यहां मजदूरी कर लेते थे और कुछ ऐसे मजबूर लोगों की जमीन बटाई आदि पर ले लिया करते थे। अब गांव के प्राय: सभी ऐसे खेतिहर मजदूर स्थायी काम की तलाश में दिल्ली-मुंबई जा चुके थे। एक-दो घर ही ऐसे बचे थे जिनके आदमी तो बड़े शहरों में मजदूरी करते थे, पर उनकी औरतें तथा बच्चे गांव में रहते थे। अत: इस बार गांव के लोगों की खुशामद करके किसी तरह खुद ही बुवाई कराई थी। बुवाई से पहले खेत कम-से-कम चार बार तो जुतने ही चाहिए थे, पर एक बार ही जोतकर बो दिए गए। निराई हुई ही नहीं। पानी भी चार के स्थान पर दो बार ही लगा और वह भी बिरजू की खुशामद करके। बिरजू के खेत उनके खेतों से सटे हुए थे, सो राजी हो गया वरना अब किसे फुर्सत है दूसरों के खेतों में पानी लगाने की। वे रोज खेतों का चक्कर लगा आते और देखते कि पूरे गांव में उनके खेतों की फसल ही सबसे कमजोर थी। लोग कहा करते—'पंडित जी के खेतों में तो इस साल बीज ही लौट आए तो गनीमत समझो।'

जैसे-तैसे करके फसल पक गई थी। किंतु हाल यह कि आज-कल में फसल कटकर खलिहान में न पहुंची तो खैरी होकर खेत में ही खिर जाने का पूरा खतरा सिर पर था। खेत काटने को गांव में लावा मिल ही नहीं रहे थे। सबके खेत पके खड़े थे और सबको अपने-अपने खेत काटने की जल्दी थी। पिछले एक हफ्ते से वे गांव-भर में सबकी खुशामद करते फिर रहे थे, पर नतीजा शून्य। और इधर घर में पंडितानी के सुबकने की आवाज... हे प्रभो, क्या होने वाला है? देवदत्त के प्राण गले को आने लगे।

दरवाजा खुला था। खटखटाना नहीं पड़ा। थोड़ी देर को देवदत्त दुबारी में ही खड़े रहे, फिर हल्के पैरों से आगे बढ़े। आंगन में आ गए। 'स्यं... ऽ ... स्यं... ऽ ... ऽ ...।' अब सुबकने की आवाज अधिक साफ सुनाई दे रही थी। आवाज सरस्वती की ही थी। ऐसा क्या हो गया? कहीं कोई अशुभ समाचार तो नहीं? हे प्रभो! रक्षा करो! कंधे पर से साफी उतारी और बरांडे की एक खूंटी पर टांग दी। खखार कर गला साफ किया। अचानक सिसकने की आवाज रुक गई और एक सन्नाटा-सा छा गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पतिदेव बाहर से घर में आएं और सरस्वती दौड़कर न आए। गर्मी के मौसम में पंखा और पानी का गिलास हाथ में लिए मौजूद और मौसम सर्दी का हुआ तो गर्म दूध का गिलास लिए हाजिर। किंतु आज..... सरस्वती क्यों नहीं आई? यह सब क्या हो रहा है प्रभो?

देवदत्त बरांडे में दीवाल के साथ खड़ी चारपाई बिछाकर उस पर बैठ गए। गला बुरी तरह सूख रहा था। वे कमरे के दरवाजे की ओर निहारने लगे। कहीं मन में आशा थी कि सरस्वती उनके खखारने की आवाज सुनकर अभी दौड़ी चली आएगी। न तो सरस्वती आई और न देवदत्त ने खुद मटके में से पानी लेकर पीया। सरस्वती सदैव देवदत्त के लिए तत्काल पीतल की लुटिया मांजती और उसमें पानी दिया करती। देवदत्त कभी पहले से मंजी रखी लुटिया में पानी न पीते। सरस्वती के बिना वे पानी कैसे पीयें? खूंटी से साफी उतारी और उसी का सिरहाना लगाकर चारपाई पर लेट गए।

थोड़ी देर की शांति के बाद कमरे में से सिसकने की आवाज फिर आने लगी और इस बार कुछ जोर से—'स्यं... स्यं... ऽ ... ऽ ... स्यं ...ऽ...।' अब पंडित देवदत्त को निश्चय हुआ कि बात कुछ और ही है और गंभीर है। वे उठे। सूखे गले और बेइंतहा प्यास के बावजूद वे कमरे की ओर बढ़ गए। सरस्वती का मुंह रोते-रोते सूज रहा था, आंखें फूल गई थीं और लाल हो गई थीं। साड़ी का पल्ला पूरा भीग रहा था। उसके सामने कागज का एक मुड़ा-तुड़ा पुर्जा पड़ा हुआ था। देवदत्त ने कागज उठा लिया और पढ़ते-पढ़ते बोले—'तुम तो इतनी समझदार हो। हमेशा मुझे भी ढांढस बंधाती रहती हो। आज क्या हुआ कि पास ही नहीं आई। कोई बात भी नहीं बताई। आखिर हुआ क्या?'

सरस्वती फिर भी कुछ न बोली। देवदत्त ने कागज को पढ़ा। वह सरस्वती के पिता पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री का पत्र था। लिखा था—'सरस्वती

की मां अत्यधिक रुग्ण है। पुत्री सरस्वती के दर्शन के लिए ही सांस अटकी है। डाक से पत्र देने या तार देने से देरी हो सकती थी। पत्र-वाहक कृपाशंकर जी की हमारे गांव में नातेदारी है। वे आए हुए थे और आज ही लौट रहे थे। अत: उनके ही हाथों पत्र भेज रहे हैं ताकि शीघ्र मिल सके। सरस्वती बेटी को पत्र मिलते ही अविलंब भेज दें ताकि वह अपनी माता के अंतिम दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सके।' पत्र पढ़कर सब कुछ स्पष्ट हो गया। पर एक चिंता सताने लगी। सरस्वती को भेजने का सीधा-सा अर्थ था—दौ सौ रुपये। कहां से और कैसे होगा रुपयों का प्रबंध? फिर भी बोले—'देखो प्रिये, बात तो दुख की है ही, पर अब धैर्य रखो। रामस्वरूप नाई को साथ लेकर आज ही चली जाओ, मैं उससे कहकर आता हूं। चलना तो मुझे भी चाहिए था, पर भली प्रकार समझती हो कि कल-परसों में खेत कटे नहीं तो बीज भी लौटना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहां पीछे खेतों की कटाई वगैरह का काम देखता हूं और तुम जब उचित लगे, लौट आना।'

सरस्वती के आंसू देवदत्त की सांत्वना पाकर कुछ रुके। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बोली—'मां का दुख तो है ही, मैं दुखी आपके लिए भी थी।'

पंडित देवदत्त चौंके। कुछ शर्मिंदगी के साथ बोले—'क्या मेरे साथ सुखी नहीं हो? प्रिये, आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान और बल दोनों ही हों। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन भी हमारे सामने आएगा कि मेरे ज्ञान से दो जून की रोटी भी न जुटेगी जबकि अब तक सम्मानपूर्ण जीवन दिया है इसी ज्ञान ने? कभी शारीरिक श्रम किया ही नहीं, फिर अब खेती कैसे करूं जबकि एकमात्र साधन वही बचा है?'

'मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं था स्वामी! मैं तो आप जैसा ज्ञानी पति पाकर स्वयं को धन्य समझती हूं। मैं तो सदैव ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हों। लेकिन मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए दुखी हूं। मैं तो आपके चरणों में भूखी-प्यासी पड़ी रहूंगी, उफ न करूंगी। आज बताती हूं। तीन दिन हो गए मेरे मुंह में एक निवाला तक नहीं गया। जो कुछ आटा-चावल घर में था, बना-बनाकर आपको खिलाती रही। आपको पता भी नहीं लगने दिया कि स्वयं भूखे रहकर आपको खिला रही हूं। पर अब क्या करूं? अब तो घर में न आटा है और न चावल। अब मैं आपको क्या बनाकर खिलाऊं? मां को देखने मैं कैसे जाऊंगी? खाने को पैसे नहीं तो जाने को कहां से आएंगे? मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरे जाने का प्रबंध हो भी जाए तो मेरे जाने के बाद आपके भोजन का क्या होगा? आप तो स्वयं पानी भी लेकर नहीं पी सकते। क्या मैं

जानती नहीं कि आप कितना चिंतित रहते हैं? मैं आपका जी और अधिक दुखाना नहीं चाहती, पर क्या आपको स्मरण है कि पिछले माह से दोनों बेटों को पैसे नहीं भेजे गए? उन्हें हमने पढ़ने तो भेज दिया शहर, पर अब खर्च भेज नहीं पाते, क्या सोचते होंगे बच्चे? फिर ऊपर से यह खर्च?'

देवदत्त विचलित हुए। सरस्वती तीन दिन से भूखी है और उन्हें पता तक नहीं चला। वे स्वयं अपना पेट भरते रहे और यह ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी अपनी अर्धांगिनी भूखी पड़ी है। कितने स्वार्थी हैं वे? धिक्कार है उनके जीवन को! उन्होंने तो सात फेरे लेते समय यह शपथ ली थी कि वे एक रोटी होगी तो अपनी पत्नी के साथ मिल-बांटकर आधी-आधी खा लेंगे। यह क्या अन्याय किया उन्होंने सरस्वती के साथ?..... वे सोचते रहे, सोचते रहे। देवदत्त को लगा कि उन्होंने भी तो सरस्वती को नहीं बताया कि उन्होंने कितना कुछ प्रयास किया है कुछ रुपये पाने के लिए ताकि बेटों को भेज सकें? गांव के महाजन किरोड़ीमल ने आज का ही तो वायदा किया है। वह भी इस शर्त पर कि फसल खलिहान से उनके घर आते ही, पहले उसका हिसाब करना होगा। पांच-सौ रुपये मांगे थे बच्चों को भेजने के लिए। अब उनमें से दो सौ रुपये तो सरस्वती के काम आएंगे और बच्चों को इस माह फिर तीन सौ रुपये ही भेज पाएंगे। ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। बच्चे भी कितने भले हैं कि कुछ भी भेज दो, उसी में गुजारा कर लेते हैं और नहीं मांगते?

देवदत्त बोले—'अब मन को अधिक दुखी मत करो प्रिये! मैं मानता हूं कि यह मेरा ही अपराध है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस ओर से मैं बिलकुल निश्चिंत हूं। मैं कल ही उन्हें भी कुछ रुपये भेज दूंगा। अब जाने की तैयार करो। मैं किरोड़ीमल से कुछ रुपये लेकर आता हूं। रामस्वरूप नाई से भी कहता आऊंगा। तुम्हें तो कुछ दिन रुकना होगा। पर उसे कल लौटा देना। यदि कोई खास बात हो तो वह संदेश उसी से कहलवा देना। मेरी विवशता बताकर अपने पिताजी से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मेरी चिंता न करना मैं कुछ-न-कुछ खा लिया करूंगा। कभी इस प्रकार अकेली कहीं गई नहीं हो, इसलिए तुम्हें चिंता हो रही है।'

सरस्वती को रामस्वरूप नाई के साथ भेजकर बाकी रुपयों का मनीआर्डर बेटों के नाम भेज दिया। गांव में ही डाकखाना खुल जाने का यह लाभ तो था ही कि किसी भी समय जाकर मनीआर्डर कर आते थे। शाम हो चली थी। देवदत्त ने घर आकर दरांती तलाशी। दरांती की धार ही नहीं थी। वे लुहार से दरांती खुटवाने

गए। लौटकर आए तो घर सूना-सूना लग रहा था। भूख का नाम नहीं था, सो बिना खाए-पीये ही चापराई पर पड़ गए। काफी देर तक तो भविष्य की गुत्थियां सुलझाते रहे। आंखों में नींद का नाम न था। नियम से प्रतिदिन दस बजते-बजते सो जाने वाले देवदत्त करवट बदलते पड़े रहे।

सरस्वती रामस्वरूप नाई के साथ पीहर पहुंची तो शाम के बाद झुटपुट अंधेरा हो चुका था। पिता पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री घर के बाहर चौपाल पर ही बैठे थे। सरस्वती पिता को प्रणाम कर जल्दी से घर में अंदर चली गई। सीधी मां के पास पहुंची। देखा मां सूख-सूखकर कांटा हो रही थी। सरस्वती मां से लिपट गई और उसके आंसू फूट पड़े। मां भी रोने लगी। जब मां-बेटी का जी कुछ हल्का हुआ तो सरस्वती की मां ने बताया कि 'उसे मियादी बुखार हो गया था और इक्कीस लंगन के बाद कल ही खिचड़ी के रूप में उसने अन्न खाया है। वैद्य ने आज भी रोटी खाने को मना किया है। कह गए हैं कि दलिया-खिचड़ी पर ही दो-चार दिन चलने दो। तेरे पिता जी तो तुझे बुलाने को तैयार ही नहीं थे। कहते थे, न जाने कैसा जरूरी काम हो उसे। व्यर्थ में तेरी बीमारी का समाचार सुनते ही भागी चली आएगी। पर मैंने ही पीछे पड़कर बुलवा लिया कि इस बुढ़ापे के रोग का क्या पता? कहीं चला-चली हो गई तो बेटी को अंतिम समय देख भी नहीं पाऊंगी। पर बेटी, अब तू कपड़े वगैरह बदल, पानी-वानी पी।'

सरस्वती ने अगले दिन रामस्वरूप को वापस भेज दिया और पति के लिए संदेश भी भिजवा दिया कि मां का स्वास्थ्य अब ठीक है। वह थोड़ी कमजोर है। दो-चार दिन उनके साथ रहकर अपने आप लौट आएगी। वे कोई चिंता न करें। कहने को सरस्वती ने समाचार तो भेज दिया और दो-एक दिन के लिए मां के पास रुक भी गई, पर मन में यही चिंता सवार रही कि उसके पतिदेव कैसे खाते-पीते होंगे। उसे बार-बार लगता कि भूखे-प्यासे पड़े होंगे घर में। स्वयं खाने बैठती, ग्रास गले से नीचे न उतरता। ननिया सास के निधन के बाद वह एक दिन के लिए भी अकेली कहीं नहीं गई। अजीब दुविधा की स्थिति में थी सरस्वती।

पंडित देवदत्त चारपाई आंगन में उठा लाए। काफी देर यों ही लेटे-लेटे करवट बदलते रहे। यकायक उन्हें प्रतीत हुआ जैसे तीन गांठ का पैना ठीक ऊपर आ गया है। तात्पर्य यह कि चार बजे होंगे। वे उठ गए। नित्य-कर्म से निवृत्त होकर आज उन्होंने स्नान नहीं किया। दरांती उठाई, एक रस्सी का टुकड़ा लिया, दरवाजा बंद कर खेतों की ओर चल दिए। चारों ओर नीरव सन्नाटा छाया था। जिन दिनों खेतों में फसल खड़ी होती है, उन दिनों पानी देने के अलावा जल्दी जगने का कोई बहाना किसान के पास नहीं होता। सूर्योदय के समय ही लोग जगते हैं और हाथ-भर सूरज चढ़ते ही चारों ओर सभी खेत लावाओं से भर जाते हैं।

देवदत्त मेंड़ों-मेंड़ों अपने खेतों की ओर बढ़ते जाते और दोनों ओर के खेतों में लहलहाती फसलों से अपनी फसल की तुलना करते जाते। रास्ते में गरीबा के खेतों की मेंड़ पर खड़े कांस और दाभ से उनके समस्त निर्वस्त्र अंग चिर गए और अल्लाबख्श से खेत की मेंड़ पर खड़े बबूल के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए एक लंबा-सा कांटा प्लास्टिक के जूतों को पार कर उनके पैर में घुस गया। देवदत्त को गांव वालों की एक कहावत याद आई—'घोड़े पर चढ़ेगा, सोई तो गिरेगा, गिरेगी का पीसनहारी'। कसक के बावजूद उन्हें हंसी आ गई। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, बिरजू के खेत खाली थे। वे कुछ संतुष्ट हुए। इसका अर्थ हुआ, बिरजू अपने इन खेतों की कटाई कर चुका था और अब वह इधर नहीं आने वाला था।

नदी हार में देवदत्त के पांच खेत थे। सबसे बड़ा था—कोई बारह बीघे का। वे खड़े सोच रहे थे कि पहले किस खेत की कटाई की जाए। सभी खेतों में गेहूं पक चुके थे। किसी निश्चय के साथ वे बारह बीघा के दाहिनी ओर गए और देखते-देखते एक किनारे से उन्होंने कटाई शुरू कर दी। दूर से कई बार लावाओं को कटाई करते देखा था। किस तरह जड़ के पास दरांती चलती है कि खेत में डंठल रहते ही नहीं। उतनी सफाई से न सही, खेत तो काटना है। कुछ फर्क भूसे का पड़ेगा, बस। पड़े, गेहूं तो पूरा आ जाएगा। रुक कर देवदत्त ने माथे का पसीना पोंछा और पीछे की ओर देखा। अभी तक वे केवल एक क्यारी ही काट पाए थे और कमर अकड़ने लगी थी। सुबह का झुटपुटा अभी भी नहीं हुआ था। लगता है, कुछ जल्दी आ गए। अच्छा है सूर्योदय होने से पहले जितना अधिक काट लें, अन्यथा फिर धूप भी परेशान करेगी।

शाम होते-होते देवदत्त ने पूरा बारह बीघे खेत काट लिया था। लोग व्यर्थ ही कहते थे कि बीज भी नहीं लौटेगा। लांक सूखने से पहले खलिहान में पहुंच जाए तो कम-से-कम दस क्विंटल बीघा होगा यह तो। घर लौटने के लिए उठे तो घुटनों पर हाथ रख कर मुश्किल से सीधे हो पाए। कल से पानी की बाल्टी अवश्य साथ लाएंगे। नदी का पानी आज कई बार पीना पड़ा। कितना गंदा है। इस प्रकार रोज मुंह तड़के ही वे उठ जाते। बाल्टी भर पानी साथ लेते और गुड़ की डली खाकर पानी पीते रहते, खेत काटते रहते। छह दिन में उन्होंने सभी खेतों की कटाई कर ली। उसके बाद वे पांच दिन तक उसको ढो-ढोकर घर के पिछवाड़े अपने घेर में डालते रहे। छत से भी ऊंचा खूब लंबा-चौड़ा चट्टा लग गया। पर आज खेत से आखिरी गट्ठर लेकर लौटे तो आकर अचेत होकर चारपाई पर पड़ गए। गला बुरी तरह सूख रहा था, पर उठकर पानी लेने का साहस न जुटा सके। शरीर भी कुछ गर्म-गर्म सा लग रहा था। आंखें जल रही थीं। देवदत्त को इस समय केवल सरस्वती की याद आ रही थी। वह होती तो मुंह में पानी ही डाल देती। कुछ ओढ़ा भी देती। धीरे-धीरे आंखें बंद होने लगीं। देवदत्त एक स्वप्निल अवस्था में जा पहुंचे, जहां वे थे और सरस्वती थी। सरस्वती मस्तक पर हाथ फेरती हुई, सरस्वती पानी पिलाती हुई, सरस्वती औषधि देती हुई, सरस्वती कंबल उढ़ाती हुई। यह क्या? देवदत्त स्पष्ट सुन रहे थे कुछ आवाजें ठीक अपने कान के निकट, कुछ घंटियां बजने की आवाज, इतनी तेज कि ..... परंतु कितनी मधुर। फिर सब कुछ विलीन हो गया एक शून्य में, जहां न कोई प्रकाश था और न अंधकार था, जहां न तो देवदत्त स्वयं को देख सकते थे और न सरस्वती को। यह शायद स्थूल से सूक्ष्मता की ओर उनकी यात्रा थी।

सरस्वती की मां अपनी बेटी की स्नेहिल सुश्रुषा से दस-बारह दिन में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। अपने आप उठ कर खाना बना लेतीं। घर में न तो अधिक सदस्य थे और न

अधिक काम ही था। सरस्वती संकोचवश ही मां से कुछ कह न पाईं थी, अन्यथा उसका मन अनेक प्रकार की आशंकाओं से घिरा रहता। अंततः जब कोई चारा न दिखा तो वह बोलीं—'अब आप ठीक हैं और मुझे कई दिन आए को हो गए। पिताजी से कहकर हमें अब भिजवा दीजिए। मुझे चिंता इस बात की है कि ये खाते-पीते कैसे होंगे? आप जानती हैं मां, जबसे ननिया सास स्वर्गवासी हुई है, मैं एक दिन के लिए भी इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं गई। वैसे भी मां, इन्हें तो सत्तू तक घोलना नहीं आता, तब इतने दिन कैसे काटे होंगे? चिंता हो रही है, कहीं बीमार न हो जाएं। बच्चों के लिए भी कुछ बनाकर भिजवाना है। शहर में पढ़ते हैं। पढ़ेंगे क्या, यदि खाने-पीने की दिक्कत होगी?'

अंततः सरस्वती को नाई के साथ वापस भेज दिया गया। रास्ते भर सरस्वती एक अज्ञात उतावली से भरी रही। उसका बस चलता तो वह मन की गति से घर पहुंच जाती। देवदत्त के द्वारा दिए गए दो सौ रुपयों में से उसके पास डेढ़-सौ से कुछ कम शेष थे। मार्ग में एक कस्बा पड़ता था। सरस्वती ने रुककर कुछ सामान लिया। बस और कहीं न रुकी।

सरस्वती जब घर में घुसी तो चारों ओर सन्नाटा छाया था। घेर में लांक का ऊंचा-सा चट्टा लगा था। 'अच्छा, तो पीछे लावा मिल गए, खेत कटवा लिए', सरस्वती ने सोचा, 'हो सकता है थककर सो रहे होंगे या बैठक में अपने किसी यजमान की शंका का समाधान करते होंगे। आज मैं भी उन्हें यकायक सम्मुख उपस्थित होकर अचंभित कर दूंगी। उन्होंने सोचा भी न होगा कि मैं यों अचानक पहुंच जाऊंगी। पर यह भी तो हो सकता है कि रोज मेरी प्रतीक्षा करते रहे हों और सोचते हों कि अपनी मां को देखने क्या गई कि वहीं रम गई। संदेश तो भेजा था कि दो-चार दिन में ही लौट आएगी और हो गए पूरे ग्यारह दिन।' जो भी हो। सरस्वती ने घर में इधर-उधर देखा। देवदत्त कहीं दिखे ही नहीं। परेशान-सी वह बैठक में भी देख आई। लगता था कि उसके जाने के बाद जैसे बैठक खुली तक न हो। रसोई में भी बर्तन जिस प्रकार मांज-धोकर वह रख गई थी, वैसे ही रखे थे। मटकों का पानी भी वैसे ही था, ताजा भरा ही नहीं गया था। सारे घर में धूल ऐसे भरी थी, जैसे उस घर में कोई रहता ही न हो। कहां गए नाथ। सरस्वती फिर घेर की तरफ दौड़ पड़ी। चारों ओर देखा। देखा, पंडित देवदत्त ओसारे के नीचे बान की खरैरी चारपाई पर लेटे थे। चारपाई के पास ही लोहे की बाल्टी, रस्सी का एक टुकड़ा और दरांती जमीन पर पड़ी थी। पास ही प्लास्टिक के जूते उतरे थे। देवदत्त की आंखें बंद थीं। ऐसे लगता था बेचारे थककर बेहाल सो गए हैं। जगाऊं, न जगाऊं की उधेड़बुन में रही सरस्वती कुछ देर। फिर घर में चली गई। कपड़े बदलकर, घर की सफाई करेगी, ताजा पानी भरेगी, खाना बनाएगी पहले वह और तब जगाएगी पति को, उससे पहले नहीं।

सरस्वती के स्पर्श से घर फिर से जगमगाने लगा। तभी तो लोग कहते हैं—घरवाली बिन घर भूत का डेरा। सरस्वती ने खाना बनाया। पति को परवल बहुत पसंद हैं। वह जानती है। पीहर से आते समय रास्ते में बाजार से परवल लेती आई थी वह। उड़द की धुली दाल देशी घी डालकर पोदीने की चटनी के साथ। सरस्वती ने आज सब कुछ तैयार किया। पति को रसोई में पास बिठाकर पंखा झलते हुए उसकी पसंद का खाना खिलाएगी वह।

सब कुछ तैयार कर घेर में पति को जगाने गई। देवदत्त जिस करवट से तब सो रहे थे, अभी तक उसी करवट से लेटे थे। सरस्वती इस बार जगाने के विचार से पास चली गई। उसने पास जाकर देखा। यह क्या? देवदत्त के ओठों के पास तो मक्खियां भिनभिना रही थीं। 'हे प्रभो, इन्हें क्या हुआ?' सरस्वती ने साड़ी के पल्लू की हवा से मक्खियां उड़ाने की कोशिश की और फिर जो पति के शरीर को हिलाया तो पति का निर्जीव शरीर उसी की ओर ढुलक गया। सरस्वती के मुख से सहसा एक चीख निकली और वह बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। चेतना लौटी तो पाया कि उसकी चीख सुनकर गांव के अनेक लोग जमा थे और औरतें उसे होश में लाने का प्रयास कर रही थीं। आदमी एक ओर खड़े बतिया रहे थे—'पंडित जी ने ग्यारह दिन में पचास बीघे खेत खुद ही काट लिया और नदी हार से ढोकर यहां घेर में डाल दिए। गेहूं भी कुछ नहीं तो पांच सौ क्विंटल तो होगा ही। पता नहीं कौन-सी नस्ल बोई थी कि एक ही जुताई और एक ही पानी में पक गया। पूरा गांव कहता रहा कि पंडित जी के खेत में तो इस बार बीज भी लौटना मुश्किल है और ये देखो, लांक का खेरा। बड़े कर्मों वाले थे पंडित जी। न कोई बीमारी, न कोई दुख-तकलीफ। आराम से चुपचाप सोते के सोते रह गए। जाते-जाते भी अपने बाल-बच्चों के लिए साल-भर का इंतजाम कर गए। पर हुआ बहुत बुरा।'

सरस्वती ने सब सुना। तो क्या पतिदेव...। 'हे प्रभो, यह क्या किया तुमने? मैंने उन्हें कोई उलाहना तो दिया नहीं था। मैं कह क्यों बैठी कि तीन दिन से वे खा रहे थे और मैं नहीं खा रही थी। स्वामी, मेरी बात तुम्हें इतनी लग जाएगी, यह जानती तो क्यों कहती? हमारा अंतिम वार्तालाप वही होगा, यह जानती तो मां को देखने कदापि न जाती। आपने ठीक कहा था प्राणनाथ कि ज्ञानी के पास शारीरिक बल का होना आवश्यक नहीं। आप तो ज्ञानी थे स्वामी, आप स्वयं क्यों जुट गए खेत काटने में और वह भी बिना कुछ खाए-पीए। मुझे लगता है कि आपने मेरे पीछे कुछ खाया ही नहीं; इतने दिन और मैं कर्मजली वहां यूं ही ठूंसती रही। मेरे नाथ, आप सदैव मुझे गीता का वह पाठ पढ़ाया करते थे न—कर्मण्येवाधिकारस्ते ..... कर्म किए जाओ, फल की कामना कभी मत करो। नाथ, आपने तो आज वह करके भी दिखला दिया। आप ग्यारह दिन तक कर्म करते रहे और फल हमारे लिए छोड़ गए।' वह भी अचेत हो गई। पंडितजी के पुत्रों को शहर से लाने के लिए आदमी भेज दिया गया। गांव के लोग कर्मयोगी पंडित देवदत्त के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। औरतें सरस्वती को होश में लाने का प्रयास कर रही थीं। ❑

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक-4,
लेवल-7, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066
मूल्य एक प्रति : पांच रुपये
वार्षिक शुल्क : 50 रुपये

उत्तर प्रदेश में

ग्रामीण राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम : अपने लक्ष्य से दूर

डा. राजमणि त्रिपाठी *

पंचायती राज द्वारा विकास के लक्ष्य की प्राप्ति तथा गरीबी निवारण के उद्देश्य से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निराश्रित तथा साधनहीन असहाय वृद्धों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक कल्याण योजना का सूत्रपात 15 अगस्त 1995 से किया। गरीबों के लिए बहुआयामी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम, समाज के निर्बल और साधनहीन बुजुर्गों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय कोष से चलाया जाने वाला एक केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के निराश्रित बुजुर्गों की सहायता करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लगभग 53 लाख से अधिक ऐसे बुजुर्गों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास रोजी-रोटी का कोई नियमित साधन नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा 4 अरब 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों के माध्यम से यह कार्यक्रम अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1997-98 में लगभग 8,43,357 वृद्धों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया है जिसमें 5,72,713 पुरुष लाभार्थियों में 2,76,867 अनुसूचित जाति, 3,207 अनुसूचित जन-जाति, 2,92,639 अन्य लाभार्थियों के अतिरिक्त 2,70,644 महिलाएं भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हुईं। 1997-98 में सरकार के द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु आबंटित धनराशि 4,282.89 लाख रुपये में से लगभग 3,921.19 लाख रुपये पेंशन के लाभार्थियों को सहायता के रूप में आबंटित किए गए। प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में यह कार्यक्रम विगत कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जहां एक ओर इस प्रकार के अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं इन कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उपयुक्त प्रतिभागियों को सुनिश्चित करने के लिए सतत अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उपरोक्त संदर्भ को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के द्वारा समाज के निर्बल तथा आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से कमजोर बुजुर्गों को दी जा रही सहायता के प्रभाव, क्षमता तथा कार्यप्रणाली के विभिन्न पक्षों की गुणवत्ता को ज्ञात करने के लिए किया गया एक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद स्थित होलागढ़ विकास खंड की न्याय पंचायत हंसराजपुर में दहियावां ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। यह ग्राम पंचायत जनपद के उत्तर पश्चिम में 216.51 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। इसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 3,874 थी जिसमें पुरुष 2,059 तथा 1,815 महिलाएं थीं जो सात गांवों में निवास करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में आवागमन के साधनों का पर्याप्त अभाव

*रिसर्च एसोसिएट, गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, इलाहाबाद

है। इस ग्राम पंचायत की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा व्यापार है। मुख्य फसलें—धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा आलू हैं। व्यापार की दृष्टि से यह एक बड़ा बाजार है, जिसमें सप्ताह के दो दिन सोमवार तथा शुक्रवार को बाजार लगता है जिसमें लोगों को आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं।

होलागढ़ विकास खंड की हंसराजपुर न्याय पंचायत में 11 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से दहियावां ग्राम पंचायत का चयन किया गया। उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में 7 गांव आते हैं जिनमें से 5 गांवों के उद्देश्यपूर्ण निर्देशन द्वारा उनके आकार, स्थिति तथा जातीय संरचना को ध्यान में रखते हुए गहन अध्ययन के लिए चयन किया गया है। ये 5 गांव हैं—दहियावां, धरवन का पूरा, लोहन का पूरा, देवराज का पूरा तथा हंडहिया। तथ्यों के संग्रह के लिए गांवों से दो प्रकार के उत्तरदाताओं का चयन किया गया:

- चयनित गांवों से पेंशन लाभार्थियों के अतिरिक्त 10 अन्य लोगों से साक्षात्कार किया गया जिनमें हरेक गांव की प्रत्येक जाति तथा वर्ग को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इन लोगों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए, पर उन्हें किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रही है या जिन्हें मिल रही है, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वास्तव में नहीं मिलनी चाहिए।
- विकास खंड द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सोद्देश्य साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया। लाभार्थियों से विशेष रूप से यह जानकारी प्राप्त की गई कि उन्हें इस कार्यक्रम के विषय में किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम द्वारा उन्हें जो सहायता प्राप्त होती है, उसे प्राप्त करने में उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा इस कार्यक्रम को और सुविधाजनक बनाने के लिए उनके क्या सुझाव हैं। साक्षात्कार जनवरी 1998 के मध्य में दो दिन में संपन्न किया गया।

लाभार्थी

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले 20 प्रतिभागियों में 7 पुरुष तथा 13 महिला प्रतिभागी थे, जो या तो निरक्षर थे अथवा कम पढ़े-लिखे थे। उनमें से 70 प्रतिशत भूमिहीन तथा 30 प्रतिशत वृद्ध मजदूर, सभी 65 से 85 वर्ष के आयु-समूह के अंतर्गत थे। सभी निराश्रित तथा न्यूनतम साधन वाले थे। लगभग 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 15 प्रतिशत पिछड़ी जाति और 5 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से थे। ये सभी या तो परिवारहीन या फिर लघु आकार के परिवारों से थे। इनमें से कुछ मजदूरी के कामों में लगे देखे गए। वे दूसरों के घर तथा खेतों पर काम करके अपनी गुजर-बसर के साधन जुटाते हैं। इनके पास अपने रहने के लिए टूटे-फूटे मकान अथवा छप्पर हैं।

अध्ययन, परिणाम तथा विवेचना

सर्वप्रथम व्यक्तिगत प्रेक्षण से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण नेताओं को निर्बल तथा साधनहीन वर्गों के कल्याण के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम का शत-प्रतिशत ज्ञान है। इसका प्रमुख कारण गांवों में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन कार्यक्रम का विस्तृत ढंग से लागू होना और प्रत्येक गांव में इनके लाभार्थियों की संख्या का पर्याप्त होना है। इस कार्यक्रम के प्रति ग्रामीण नेतृत्व के सहयोग की सीमा जांचने के लिए पेंशन लाभार्थियों से साक्षात्कार अनुसूची में पूछे गए प्रश्न—'आपको पेंशन की जानकारी किस माध्यम से हुई?' सारिणी-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम के प्रति ग्रामीण वृद्धों को सहयोग प्रदान करने में सर्वाधिक भूमिका 95 प्रतिशत ग्रामीण नेतृत्व (प्रधान) की तथा 5 प्रतिशत ग्रामीण विकास अधिकारी में जागरूकता की भावना की रही। सर्वेक्षित पुरुषों में 85.71 प्रतिशत प्रधान के तथा 14.29 प्रतिशत ग्राम विकास अधिकारी के सहयोग की बात करते हैं जबकि महिलाओं ने शत-प्रतिशत ग्राम प्रधान के सहयोग की पुष्टि की है।

सारिणी-1
कार्यक्रम की जानकारी का माध्यम

(प्रतिशत में)

पेंशन लाभार्थी	प्रधान	बी.डी.ओ.	कुल
पुरुष	6	1	7
	85.71	14.29	100
महिला	13	—	13
	100	—	100
कुल	16	1	20
	95	5	100

पेंशन के लिए पात्रता के सत्यापन से संबंधित प्राप्त तथ्यों को सारिणी-2 में प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार से यह जानने का प्रयास किया गया कि इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है। इस संदर्भ में पूछे गए प्रश्न—'पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्रता का सत्यापन कौन करता है?' सारिणी से स्पष्ट है कि लाभार्थियों की पात्रता के सत्यापन में सर्वाधिक 95 प्रतिशत चिकित्सक और 5 प्रतिशत अन्य अधिकारियों की बात कही गई जबकि सर्वेक्षित पुरुष लाभार्थियों ने 85.71 प्रतिशत तथा महिलाओं ने शत-प्रतिशत चिकित्सक द्वारा सत्यापन की पुष्टि की है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक पेंशन लाभार्थियों को अपनी आयु प्रमाणित कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से चिकित्सक के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है। चिकित्सक उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर प्रमाणित करता है कि लाभार्थी की वास्तविक आयु 65 वर्ष या अधिक है जिसके आधार पर वह पेंशन प्राप्त करने का हकदार माना जाता है। शायद इन्हीं तथ्यों के आधार पर पात्रता के सत्यापन में चिकित्सक की भूमिका अन्य अधिकारियों की अपेक्षा अधिक बताई गई। किंतु वार्तालाप से यह बात भी सामने आई कि चिकित्सक की भूमिका भी संदेह के घेरे से बाहर नहीं है। वह भी प्रत्येक लाभार्थी के

सत्यापन के लिए कुछ रुपये सत्यापन-शुल्क के रूप में लेता है जिसे कोई भी खुले तौर पर कहने को तैयार नहीं है।

सारिणी-2
पात्रता का सत्यापन

(प्रतिशत में)

पेंशन लाभार्थी	चिकित्सक	एस.डी.एम.	कुल
पुरुष	6	1	7
	85.71	14.29	100
महिला	13	—	13
	100	—	100
कुल	19	1	20
	95	5	100

वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के माध्यम की जानकारी हेतु साक्षात्कार अनुसूची में पूछे गए प्रश्न—'पेंशन प्राप्त करने का क्या माध्यम है?' माध्यम शब्द उनकी समझ के बाहर था, इसलिए इस प्रश्न को और सरल तथा सुबोध तरीके से पूछा गया कि आपको पेंशन कहां से मिलती है? विश्लेषण से पता चलता है कि सर्वाधिक 80 प्रतिशत लाभार्थियों ने डाकघर से पेंशन प्राप्त करने की पुष्टि की। 15 प्रतिशत लाभार्थी मनीआर्डर और 5 प्रतिशत ने बैंकों से भुगतान की बात स्पष्ट रूप से बताई। जबकि पुरुष लाभार्थियों में 71.43 प्रतिशत ने डाकघर को प्रथम वरीयता तथा 28.57 प्रतिशत ने मनीआर्डर को द्वितीय वरीयता में रखा, वहीं महिला लाभार्थियों में 84.62 प्रतिशत ने डाकघर तथा 7.69 प्रतिशत ने मनीआर्डर की पुष्टि की। विश्लेषण से प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था पेंशन का वितरण लगभग शत-प्रतिशत डाकघर तथा मनीआर्डर द्वारा ही किया जा रहा है। यहां डाकघर तथा मनीआर्डर का भाव दो भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। जो लाभार्थी डाकघर की बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें स्वयं डाकघर जाकर अपनी पेंशन वहां से लेनी पड़ती है जबकि मनीआर्डर के पक्ष में दलील देने वालों का कहना था कि पोस्टमैन पेंशन हमारे घर पर दे जाता है।

सारिणी-3
पेंशन प्राप्त करने का माध्यम

(प्रतिशत में)

पेंशन लाभार्थी	बैंक	डाकघर	मनीआर्डर	कुल
पुरुष	—	5	2	7
	—	71.43	28.57	100
महिला	1	11	1	13
	7.69	84.62	7.69	100
कुल	1	16	3	20
	5	80	15	100

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का स्वरूप और अवधि ज्ञात करने के लिए लाभार्थियों से साक्षात्कार अनुसूची में पूछे गए प्रश्न—'पेंशन के भुगतान का क्या स्वरूप तथा अवधि है?' जवाब देने में लाभार्थियों ने लेषमात्र भी संकोच नहीं किया। उनके द्वारा प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करने से 95 प्रतिशत नकद भुगतान तथा 5 प्रतिशत चेक द्वारा भुगतान की बात ज्ञात हुई। जहां तक 'पेंशन भुगतान की अवधि' का प्रश्न है, सारिणी-4 से स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत लाभार्थियों का कहना है कि पेंशन भुगतान का कोई निश्चित समय नहीं है, जबकि 55 प्रतिशत प्रतिभागी वार्षिक, 5 प्रतिशत छमाही भुगतान की अवधि बताते हैं, किंतु 10 प्रतिशत लाभार्थी कोई भी उत्तर देने में असमर्थ रहे। जबकि सर्वेक्षित पुरुषों में 71.42 प्रतिशत ने तथा महिलाओं में 46.16 प्रतिशत ने पेंशन के वार्षिक वितरण की पुष्टि की तथा स्पष्ट किया कि वितरण का कोई निश्चित समय नहीं है अर्थात पेंशन के भुगतान में होने वाले विलंब को लेकर प्रतिभागियों में काफी असंतोष है।

सारिणी-4
पेंशन के भुगतान की अवधि

(प्रतिशत में)

पेंशन लाभार्थी	छमाही	वार्षिक	कोई निश्चित समय नहीं	कोई उत्तर नहीं	कुल
पुरुष	—	5	1	1	7
	—	71.42	14.28	14.28	100
महिला	1	6	5	1	13
	7.69	46.16	38.46	7.69	100
कुल	1	11	6	2	20
	5	55	30	10	100

जहां एक ओर लाभार्थियों में पेंशन के भुगतान में होने वाले विलंब को लेकर असंतोष व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर पेंशन प्राप्त करने में होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण लाभार्थी संतुष्ट नहीं दिखाई देते। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर उनके भुगतान में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों की जानकारी हेतु साक्षात्कार अनुसूची में पूछे गए प्रश्न—'आपको पेंशन प्राप्त करने में कौन-कौन सी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं?' के उत्तर में प्रतिभागियों के विचारों का विश्लेषण किया गया। सारिणी-5 से अवगत होता है कि पेंशन लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं :

- सारिणी से ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत लाभार्थी समय से पेंशन का भुगतान न होने के कारण परेशान हैं जिनमें केवल 57.13 प्रतिशत पुरुष तथा 76.92 प्रतिशत महिलाएं इसकी पुष्टि करते हैं। सारिणी से स्पष्ट है कि पेंशन का नियमित भुगतान न होने के कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इस दिशा में अधिक चिंतित हैं क्योंकि घर चलाने का दायित्व महिलाओं पर अधिक होता है।
- व्यक्तिगत प्रेक्षण से ज्ञात हुआ कि पेंशन लाभार्थियों के खाते नजदीकी बैंकों में प्रारंभ से ही खोले गए हैं, किंतु उनकी पेंशन का भुगतान उन्हें या तो डाकघरों पर मिलता है या मनीआर्डर द्वारा जहां उन्हें 20 से 30 रुपये पोस्टमैन को देने पड़ते हैं। सारिणी से ज्ञात होता है कि 20 प्रतिशत लाभार्थी इस लेन-देन की प्रक्रिया की पुष्टि करते हैं, जिसमें से 5 प्रतिशत 20 रुपये, 5 प्रतिशत 30 रुपये, 5 प्रतिशत 20 से 25 रुपये देने की बात करते हैं तथा 5 प्रतिशत पेंशन की

धनराशि कम मिलने की बात करते हैं जबकि क्षेत्र में 10 प्रतिशत ऐसे लाभार्थी मिले जो कोई उत्तर नहीं दे सके। इससे प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम में लेन-देन की प्रक्रिया प्रभावी है।

- सारिणी से प्रतीत होता है कि लाभार्थियों को पेंशन की नियत धनराशि से कम पैसे मिल रहे हैं जिसकी पुष्टि केवल 7.69 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने की है।

सारिणी-5

पेंशन प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां

(प्रतिशत में)

पेंशन लाभार्थी	समय से पेंशन नहीं मिलती	पोस्टमैन को 20 रुपये देना पड़ता है	पोस्टमैन को 30 रुपये देना पड़ता है	पोस्टमैन को 20 से 25 रु. देना पड़ता है	पेंशन का पैसा कम मिलता है	कोई उत्तर नहीं	कुल
पुरुष	4	—	1	1	—	1	7
	57.13	—	14.29	14.29	—	14.29	100
महिला	10	1	—	—	1	1	13
	76.92	7.69	—	—	7.69	7.69	100
कुल	14	1	1	1	1	2	20
	70	5	5	5	5	10	100

पेंशन कार्यक्रम को सुविधाजनक तथा व्यावहारिक दृष्टि से अर्थपूर्ण बनाने के लिए पेंशन लाभार्थियों से साक्षात्कार अनुसूची में पूछे गए सुझाव संबंधी प्रश्न—'क्या आप पेंशन वितरण हेतु कोई सुझाव दे सकते हैं, जिससे पेंशन लाभार्थियों को सुविधा से पेंशन उपलब्ध हो सके?'—के माध्यम से लाभार्थियों के सुझावों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। उत्तर के लिए विकल्प खुला रखा गया ताकि जितने भी संभावित सुझाव लाभार्थियों के मन में हो सकते हों, वे सभी नि:संकोच प्राप्त हो सकें। पेंशन लाभार्थियों द्वारा प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने में जो कठिनाइयां रहीं, उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव लाभार्थियों की ओर से मिले।

सारिणी-6

पेंशन वितरण संबंधी लाभार्थियों के सुझाव

(प्रतिशत में)

पेंशन लाभार्थी	हर माह भुगतान किया जाए	3 माह में भुगतान किया जाए	6 माह में भुगतान किया जाए	समय से दी जाए	पति-पत्नी दोनों को दी जाए	बैंक खाते से भुगतान किया जाए	कोई उत्तर नहीं	कुल
पुरुष	—	4	1	—	—	1	1	7
	—	57.14	14.29	—	—	14.29	14.29	100
महिला	2	3	1	1	1	1	3	13
	15.39	23.08	7.69	7.69	7.69	7.69	23.08	100
कुल	2	7	2	1	1	2	4	20
	10	35	10	5	5	10	20	100

सारिणी-6 से ज्ञात है कि पेंशन लाभार्थियों में अधिकतम 35 प्रतिशत ने पेंशन वितरण के लिए तीन महीने के समय का सुझाव दिया। जिसकी पुष्टि 57.14 प्रतिशत पुरुष लाभार्थियों ने तथा 23.08 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने की है। इस प्रकार लाभार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों में प्राथमिकता के अनुसार 35 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पेंशन का वितरण 3 माह में किया जाए, 10 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बैंकों के माध्यम से किया जाए, हर माह दिया जाए अथवा 6 माह में दिया जाए, 5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पति-पत्नी दोनों को दी जाए, 5 प्रतिशत लाभार्थियों का कहना था कि पेंशन समय से दी जाए। जबकि 20 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे पाए गए जो कोई सुझाव नहीं दे सके। उपरोक्त सभी सुझावों से ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन में अनेक विसंगतियां तथा अनियमितताएं विद्यमान हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। अत: समय रहते सहायता कार्यक्रमों की विसंगतियों की समीक्षा कर, उन्हें सही दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा क्रियान्वित समाज कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों से कमजोर वर्गों की आशाएं भले ही पूर्णरूपेण पूरी नहीं हुई हों लेकिन यह भी सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों का क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव देखा गया। विशेषकर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम असहाय तथा साधनहीन वृद्धों के लिए एक वरदान स्वरूप साबित हुआ है। किंतु इस कार्यक्रम को और उपयोगी तथा हितकर बनाने के लिए उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखकर कुछ आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम साधनहीन तथा निराश्रित बुजुर्गों के लिए बहु-उपयोगी होते हुए भी पेंशन वितरण में होने वाले विलंब के कारण अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रहा है।
- पेंशन लाभार्थियों के बैंक-खाते नजदीकी बैंकों में खोलने के बावजूद पेंशन का वितरण डाकघरों द्वारा किया जा रहा है जिससे उन्हें इस अल्प धनराशि से में भी 20 से 30 रुपये तक पोस्टमैन को देने पड़ते हैं।
- सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि पति-पत्नी दोनों गरीब, असहाय तथा साधनहीन हैं, पर उनमें से एक को ही पेंशन का लाभ मिल पाता है।
- सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि लाभार्थियों के पेंशन वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। कुछ लाभार्थियों की शिकायतें रही हैं कि उन्हें पेंशन केवल 100 रुपये ही मिलती है, जबकि अन्य लोगों को मिलने वाली पेंशन की धनराशि 125 रुपये है।
- वृद्धों को पेंशन प्राप्त करने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया में चिकित्सक की भूमिका संदिग्धपूर्ण प्रतीत होती है।

(शेष पृष्ठ 44 पर)

बालिका समृद्धि योजना : एक परिचय

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल*

देश में स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 129वें जन्म दिवस के अवसर अर्थात 2 अक्तूबर 1997 से सरकार ने बालिकाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करके उनका सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए 'बालिका समृद्धि योजना' के नाम से एक अति विशिष्ट योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत देश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के सुअवसर अर्थात 15 अगस्त 1997 और उसके बाद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार में जन्म लेने वाली हर बालिका को सरकार ने आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रत्येक जन्म लेने वाली बालिका के लिए दसवीं तक की शिक्षा की पक्की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष उसे शैक्षिक अनुदान देना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इन बालिकाओं के उचित लालन-पालन और शिक्षित होने की पूर्ण संभावनाओं के साथ-साथ इस योजना के माध्यम से लड़के और लड़कियों में बरते जाने वाले भेदभाव और सामाजिक विषमता को दूर करने जैसे अहम् उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता मिलने की आशा है। वर्तमान में समाज में कन्याओं के जन्म के प्रति जो नकारात्मक रुख व्याप्त है, उसे सकारात्मक रुख में परिवर्तित करने की दिशा में भी सफलता मिलेगी, ऐसी आशा है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं/महिलाओं में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में भी सहायता मिलेगी। बाल विवाह को रोकने तथा महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में भी यह योजना एक कारगर कदम साबित होगी, ऐसी पूरी-पूरी संभावना है।

योजना की आवश्यकता

हमारी विडम्बना रही है कि पिछले अनेक वर्षों से हमारे समाज में पुत्री के मुकाबले पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। समाज में कुछ कुत्सित मान्यताओं के कारण पुत्र और पुत्री अथवा पुरुष और स्त्री में समानता के सिद्धांत को बहुत समय तक नकारा गया। हमारे अधिकांश परिवारों में जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों में भेद किया जाने लगा। हिन्दू धर्म में तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुत्र होने की अनिवार्यता जैसी मान्यताओं को भी स्वीकारोक्ति मिली हुई है। पुत्र की चाहत ने समाज को इस हद तक वीभत्स बना दिया कि वहां पुत्री के जन्म को अभिशाप माना जाने लगा। परिणाम यह हुआ है कि देश में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में कई दशकों से निरंतर गिरावट आ रही है। हमारी पिछली जनगणनाओं के आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं। इस शताब्दी के प्रारंभ में अर्थात 1901 में जहां प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 थी, वह 90 साल के अंतराल के बाद घटते-घटते 927 तक आ पहुंची है। हो सकता है कि 2001 में होने वाली जनगणना में इस संख्या में कुछ और कमी दृष्टिगोचर हो।

इसके अतिरिक्त समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में कमी का एक प्रमुख कारण रहा है—उनके पालन-पोषण में भेदभाव। आंकड़े बताते हैं कि सौ लड़कों के मुकाबले 108 बालिकाओं का जन्म होता है लेकिन लड़कियों में तुलनात्मक दृष्टि से शिशु मृत्यु दर अधिक होने से स्थिति उलट जाती है और लड़कों की तुलना में उनकी संख्या आनुपातिक रूप से कम होती चली जाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 15-44 वर्ष के प्रजनन आयु वर्ग में भी स्त्रियों की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। महिलाओं/बालिकाओं की संख्या में निरंतर कमी लाने में गर्भावस्था के समय लिंग परीक्षण की बढ़ती हुई सुविधाओं ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 60 लाख से भी अधिक बालिका भ्रूणों की हत्या की जाती है। हालांकि इस बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाकर एक जनवरी 1996 से इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन कानून में निर्धारित किए गए प्रावधानों पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाने के कारण अभी भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। शिक्षा और कानूनों के प्रति बढ़ती जागरूकता और सामाजिक नियंत्रण से संभवतया अगले कुछ वर्षों में स्थिति में सुधार होगा, ऐसी संभावना है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अलावा यदि हम शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष अथवा बालक-बालिकाओं में तुलनात्मक अध्ययन करें तो भी यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं अथवा बालिकाएं तुलनात्मक दृष्टि से काफी पीछे हैं। देश में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 39 प्रतिशत है जबकि पुरुषों में इसका प्रतिशत 64 से भी अधिक है। हालांकि पिछले 50 वर्षों में महिलाओं में साक्षरता की दर में काफी वृद्धि हुई है। 1951 में साक्षरता दर जो मात्र 8.8 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 39.30

*संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्राथमिक विद्यालयों में 1951 के मुकाबले अब 8 गुना लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। चालीस लाख से भी अधिक महिलाएं आज संगठित क्षेत्र में कार्यशील होकर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षित करने की लोगों में मानसिकता नहीं बन पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 'पुत्री पराया धन है' की उक्ति आज भी लागू होती है और उस पर समय अथवा धन खर्च करना व्यर्थ माना जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा महिलाओं को विकास के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने, विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण विषयों पर उन्हें निर्णायक भूमिका अदा करने, प्रत्येक क्षेत्र में समानता के सिद्धांत पर अमल करने जैसे अनेक निर्णय करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इस प्रकार उन्हें कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें आरक्षण देने, विभिन्न राज्यों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने, संसद में उन्हें आरक्षण प्रदान करने हेतु महिला आरक्षण बिल पास कराने के भरसक प्रयास जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाकर उन्हें बराबरी के अवसर प्रदान करने की दिशा में अभूतपूर्व पहल की गई है। लेकिन स्थिति में बहुत अधिक सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है क्योंकि महिलाओं अथवा बालिकाओं के लिए शुरू की गई अधिकांश योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ गरीब परिवारों को कम ही मिल सका है। अत: इस योजना को गरीब परिवार की बालिकाओं को समुचित शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए।

योजना के उद्देश्य

बालिका समृद्धि योजना से समाज में लड़कियों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होने की आशा है। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में इस योजना से बहुत अपेक्षाएं भी हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से समाज में बालिका शिशु के प्रति जो नकारात्मक रवैया व्याप्त है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना इस योजना का एक अहम् उद्देश्य है। संक्षेप में इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- परिवार तथा समाज में बालिका शिशु के प्रति जो नकारात्मक रवैया व्याप्त है, उसमें परिवर्तन लाते हुए बालक-बालिका शिशु के जन्म में समानता की सोच विकसित करना।
- बालिका शिशु के जन्म पर परिवार के सदस्यों का उसकी मां के प्रति उत्पन्न होने वाली नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना।
- बालिकाओं के अभिभावकों को उनकी शिक्षा के प्रति प्रेरणा प्रदान करते हुए विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश में वृद्धि करना।
- समाज में प्रचलित बाल विवाहों में कमी लाना और इसके लिए, विशेष रूप से बालिकाओं का विवाह निर्धारित आयु सीमा में ही करने के लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित करना।
- उत्पादक कार्यकलापों और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।
- बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति सामान्य रूप से समाज में और विशेष रूप से उनके अभिभावकों में जागरूकता पैदा करना आदि।

योजना की विशेषताएं

बालिका समृद्धि योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के समुचित पालन-पोषण और उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों/बालिकाओं को योजना से लाभान्वित करने के लिए इसमें कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। संक्षेप में योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- इस योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1997 और उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका शिशु की मां को पौष्टिक आहार देने के लिए सरकार से उपहार के रूप में 500 रुपये की नकद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त सहायता बालिका शिशु के जन्म के एक माह के अंदर उसकी मां को अवश्य प्रदान कर दी जाएगी।
- बालिका की मां की मृत्यु की स्थिति में उक्त धनराशि बालिका शिशु के पिता/अभिभावक को दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालिकाओं की शिक्षा की पक्की व्यवस्था करने के लिए पहली से 5वीं कक्षा तक 500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से शैक्षिक अनुदान दिया जाएगा।
- इसी प्रकार छठी से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के लिए इन बालिकाओं को 1,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से शैक्षिक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो बालिका शिशुओं के जन्म पर ही ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगी।
- शहरी क्षेत्रों में स्थानीय-निकाय लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., लेखपाल, स्कूल अध्यापक, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी आदि सरकारी कर्मचारी एकत्र करेंगे।

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पंचायतों में उपलब्ध जन्म-रजिस्टर/जन्म-प्रमाणपत्र के आधार पर ही आवदेन पत्र स्वीकृत किए जाएंगे।
- योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची, जो ग्राम पंचायतों से स्वीकृत होगी, को पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुदान का नकद भुगतान ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान/उप प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत की महिला सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।
- नगर पालिका में इस प्रकार के अनुदान का भुगतान मुख्य अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभासद की उपस्थिति में करना अनिवार्य है।

इस प्रकार इस योजना से जहां एक ओर माताओं को प्रसव के बाद अपने और अपने शिशु के स्वास्थ्यवर्द्धन के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं दूसरी ओर बालिका शिशु के जन्म पर परिवारों के चिरकालीन पुरातन दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना संभव हो सकेगा। योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कम-से-कम गरीब परिवारों की ऐसी बालिकाओं के लिए कक्षा 10 तक की शिक्षा पूर्णरूपेण सुनिश्चित हो जाएगी जिन्हें सामान्यतया गरीबी से त्रस्त इन परिवारों के अभिभावकों को विद्यालय भेजना असंभव नहीं, तो मुश्किल अवश्य होता है।

योजना के लिए पात्रता

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं :

- लाभार्थी को ग्रामीण अथवा शहरी किसी भी क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का होना चाहिए।
- परिवार में 15 अगस्त 1997 से अथवा उसके बाद जन्म लेने वाला शिशु, बालिका होने पर योजना का लाभ मिल सकेगा।
- शिशु के जन्म का रजिस्ट्रेशन संबंधित ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र की पंचायत में दर्ज अवश्य होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो बालिका शिशुओं के जन्म पर ही निर्धारित अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे परिवार में दो से अधिक बालिका होने पर योजना में निर्धारित अनुदान की सुविधा नहीं मिल सकेगी।
- पंचायतों से योजना के लिए निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करके इसे पूरा भर कर यथाशीघ्र जमा कराया जाना चाहिए।

योजना से प्राप्त लाभ

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं अथवा लाभ इस प्रकार हैं :

- योजना में बालिका शिशु की मां को 500 रुपये की नकद आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था है। यह राशि बालिका के जन्म के एक माह के अन्दर उसे निश्चित रूप से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक सहायता बालिका तथा उसकी मां के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने के लिए सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त होगी।
- इन सभी बालिकाओं के लिए उन्हें स्कूल जाने पर कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रत्येक वर्ष 500 रुपये का नकद शैक्षिक अनुदान दिया जाएगा।
- छठी से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्हें प्रतिवर्ष 1,000 रुपये के हिसाब से नकद शैक्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

इस प्रकार बालिका समृद्धि योजना गरीब बालिकाओं के लिए एक वरदान साबित होगी—ऐसी आशा है। योजना की सफलता और इसके निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होगा कि योजना का भली-भांति प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे संबंधित लोगों को योजना के संबंध में समुचित जानकारी मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रयास भी किए जाएं कि सभी संबंधित लोगों को इसमें पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो। यह प्रयास भी होना चाहिए कि योजना में अनुमन्य लाभ जिसके लिए निर्धारित हैं, उसी को उपलब्ध कराए जाएं अर्थात वास्तविक लोग ही लाभ प्राप्त कर सकें। प्रत्येक स्तर पर योजना की भली-भांति निगरानी भी सुनिश्चित करना परमावश्यक है जिसमें योजना के कार्यान्वयन में यदि कहीं कोई व्यतिरेक उत्पन्न हो भी, तो उसका पता चल सके और उसके सुधार हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। इस प्रकार यह योजना निश्चय ही एक अनूठी योजना के रूप में कार्यान्वित हो सकेगी और इसे जिन पुनीत उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया है, उनकी पूर्ति संभव हो सकेगी। ❑

लघुकथा

शक्तिशाली कौन

डा. उर्मिला कुशवाह

सांप और नेवले में बहस चल रही थी। सांप का कहना था, "मेरे अंदर बहुत जहर है और मेरा काटा हुआ पानी भी नहीं मांग पाता।"

नेवले का कहना था, "बेशक, तुम्हारे अंदर बहुत जहर है लेकिन तुम्हारे जहर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं, इसलिए मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं।" एक निहत्था आदमी वहां से गुजरा, दोनों अपने-अपने बिल में घुस गए। ❑

बाल भारती
बच्चों की संपूर्ण पत्रिका

रोचक कहानियां, मनभावन कविताएं, जानकारी भरे लेख, मजेदार चित्रकथाए और कार्टून – जो मनोरंजन भी करें, ज्ञान भी बढ़ाएं और प्रेरणा दें – अच्छा और सच्चा बनने की।

न भूत-प्रेत, न जादू-टोना, न बेईमानी का 'शॉर्ट कट', न आलस के हवाई किले... न किस्मत का रोना। 'बाल भारती' सिखाए वैज्ञानिक समझ से चीजों को परखना और आगे बढ़ते जाना।

बाल भारती - बच्चों को लुभाए, बड़ों को भी पसंद आए।

गौरवशाली प्रकाशन का 50वां वर्ष
जून 1948 से निरंतर प्रकाशित

एक प्रति : 5 रुपये
चंदे की दरें : वार्षिक–50 रुपये, द्विवार्षिक–95 रुपये, त्रिवार्षिक–135 रुपये

पत्रिका मंगाने के लिए सहायक व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग, पूर्वी ब्लॉक–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066 के नाम बैंक ड्रॉफ्ट/मनीऑर्डर/पोस्टल ऑर्डर भेजें।

कुरुक्षेत्र 40 वर्ष पहले

खंड अधिकारियों को सलाह

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

जहां तक मैं समझता हूं, अब आपका काम उससे बिल्कुल भिन्न होगा जो अब तक आप करते रहे हैं। अब तक आपमें से अधिकांश अफसर माल थे। अब आपसे आशा की जाती है कि मालगुजारी के बारे में सब कुछ भूल जाएं और खर्च करने की बात सोचें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको मालगुजारी से हटा कर एकदम खर्च करने का काम सौंप दिया गया। स्वेच्छा से दिए गए चंदे की बात जाने दीजिए, खंड में मालगुजारी की तरह कोई उगाही नहीं होगी। हां, चंदे की उगाही में आप काफी कामयाब रहेंगे क्योंकि आपको मालगुजारी को वसूलने का तजुर्बा है और आप जानते हैं कि किस प्रकार शीघ्र और उचित ढंग से चंदा जमा किया जा सकता है। मालगुजारी संहिता द्वारा आपको कर वसूल करने और जायदाद कुर्क करने के अधिकार प्राप्त हैं। परंतु यहां आपको वे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आपको लोगों को समझा-बुझा कर ही रुपया इकट्ठा करना होगा। आप रुपया इकट्ठा करते समय लोगों को बताएंगे कि वे जितना देंगे, सरकार उससे ज्यादा देगी। मेरे विचार में आप लोग सरकार से मिलने वाले अनुदान को बढ़वाने की नीयत से अपने जमा किए हुए चंदे की रकमों को तो बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाते होंगे? यदि मैं गलती नहीं करता तो स्कूल चलाने वाली अनेक संस्थाएं ऐसा करती हैं। आप लोगों को अनुचित ढंग से चंदा जमा करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। यह मैं मानता हूं कि आपका काम काफी कठिन है जिसमें संतोष की भावना आना काफी दुष्कर है। आपको यह एहसास जरूर होना चाहिए कि आपका यह काम पहले काम से अधिक महत्वपूर्ण है। आपमें इतना साहस होना चाहिए कि अपनी सफलताओं के साथ-साथ असफलताओं का भी उल्लेख कर सकें। आजकल ऊपरी तड़क-भड़क की प्रवृत्ति अधिक है। कमियों और असफलताओं को छिपाया जाता है और सफलताओं को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है। जो कुछ किया गया है, उसकी ओर से आंखें फेर कर बड़े-बड़े मनसूबे बहुत बांधे जाते हैं। हम यह करने जा रहे हैं, हम वह करने जा रहे हैं, हम इसकी योजना बना रहे हैं, हम उस काम को हाथ में ले रहे हैं और इसी प्रकार के अनेक दावे किए जाते हैं, परंतु यह कोई नहीं कहता कि हमने यह कर डाला है। मेरे विचार में आप लोगों में वस्तुस्थिति का सामना करने का साहस होना चाहिए। आप यह कह सकें कि हमारे मार्ग में ये कठिनाइयां हैं, हमें इस असफलता का मुंह देखना पड़ा। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो निर्भीकता से दीजिए। कुछ सालों के तजुर्बे के बाद ही नए काम का ढर्रा ठीक बैठेगा। आप लोग एक प्रकार से नई जमीन तोड़ने जा रहे हैं, कुछ समय बाद ही भूमि फसल के लिए तैयार होगी। सही ढर्रा बैठने में 4-5 वर्ष लग जाएंगे और उसके बाद यदि योजनाओं में कुछ फेर-बदल नहीं हुआ, तो आपके बाद आने वाले लोग आपके अनुभवों का लाभ उठाएंगे। यह संभव है कि यदि आपने कठिनाइयों का उल्लेख करके अपने ऊंचे अफसरों को निराशा की झलक दिखाई तो आपको विकास कार्य से हटा कर पुराने काम पर ही लगा दिया जाए। इस प्रक्रिया में आपकी आमदनी का कुछ अंश भी कम हो जाए। आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अपनी सरकार को कैसे ठीक रखा जा सकता है। यदि आपने ठीक-ठीक सूचना दी तो इससे सरकार का भी लाभ होगा। यदि आपने गलत नक्शा पेश किया तो सरकार अंधेरे में रहेगी और भविष्य वर्तमान की अपेक्षा अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि विश्वास के साथ डट कर परिश्रम किए जाओ और अपनी कठिनाइयों और असफलताओं की सही सूचना दो।

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैं समझता हूं, लोगों में एक समुदाय की भावना उत्पन्न करना भी है। उनकी अलग-अलग समस्याएं हैं और वे अपनी सम्मति भी अलग-

* कुरुक्षेत्र, सितम्बर-अक्तूबर 1958 अंक से उद्धृत

अलग रख सकते हैं। परंतु उनमें यह भावना पैदा करना नितांत आवश्यक है कि उन सबको समान हित के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनकी सम्पत्ति में फेर-बदल होगा या उनका पुनर्गठन होगा, कुछ क्षेत्रों में सामूहिक रूप से काम करके भी वह अपने-अपने कामों की देखभाल कर सकते हैं। आपको उनमें इस प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। पुराने समय में एक जाति या उपजाति, जो भी उसका नाम रहा हो, समस्त जाति या उपजाति को एक समझती थी। यद्यपि उनके पारिवारिक मामले अलग-अलग रहते थे, फिर भी वे अपनी समस्त जाति को एक इकाई मानते थे। शादी-गमी में सारी जाति शरीक होती थी। समुदाय के किसी भी कुटुम्ब की समृद्धि से सभी प्रसन्न होते थे। यदि एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता था, तो अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही प्रसन्नता होती थी जैसे उन्हें भी कोई उच्च पद मिल गया हो। यद्यपि उन्हें कुछ नहीं मिल जाता था, परंतु सभी हार्दिक प्रसन्नता अनुभव करते थे। खंड में आपको यही प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए, बिना किसी जाति-भेद के। जहां तक मैं समझता हूं और जैसा कि होना भी चाहिए, सरकार का यही उद्देश्य है। यह कार्य काफी कठिन है। जातिवाद का जन्म अति प्राचीन काल में हुआ था। उस प्रणाली में अनेक विकास अधिकारी नियुक्त किए गए थे और वे काफी सफल रहे थे। सभी ने उसमें सहयोग दिया था। यदि किसी ने समाज के नियमों का उल्लंघन किया, तो सभी ने उसका जोरदार विरोध किया। आपको अब यह सुविधा प्राप्त नहीं है। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था शायद भिन्न रही हो, परंतु धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आ गया और सभी ने उन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। यह एक चट्टान के समान दृढ़ थी, जबकि आपकी नई योजना बजरी के समान है। आपको इसे मजबूत बनाना है, उस स्तर तक जहां पहुंच कर वह सामुदायिक भावना पनपने लगे जो जाति व्यवस्था ने उत्पन्न की थी। अब हमारा विचार पुरानी जाति व्यवस्था को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से समुदाय की एक नई परिधि में बांधना है। कुछ इस प्रकार से कि सारा पुराना खून निकाल कर नए खून का संचार किया जाए, जो सरल नहीं है। कुछ लोगों पर इसकी भीषण प्रतिक्रिया होती है, परंतु आपको यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

इस शल्य चिकित्सा के लिए आपको आठ सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकांश समय तो एक नई जगह से परिचय प्राप्त करने में चला जाता है। मैं नहीं जानता था कि इन आठ सप्ताह में से कितना समय आप अपने प्रशिक्षण में लगाते हैं। मेरे विचार में एक-तिहाई समय ही प्रशिक्षण के लिए मिल पाता होगा। यदि आप बहुत ईमानदार हैं तो भी प्रशिक्षण के लिए एक-तिहाई से ज्यादा समय आप नहीं निकाल सकते। यह बहुत थोड़ा समय है। तीन सप्ताह तो आंख मींचते निकल जाते हैं। आप कितना सीख लेते होंगे? अधिकांश समय तो एक-दूसरे को अपने-अपने अनुभव बताने में ही निकल जाता होगा। सभी अपने अनुभवों की कद्र करते हैं और दूसरे के अनुभवों को उतना महत्व नहीं देते। विधान परिषद या सभा के सदस्य वाद-विवाद अच्छी तरह कर सकते हैं। उन्हें इस प्रकार के वाद-विवाद का काफी अनुभव होता है। लेकिन आप लोग तो अफसर हैं। आपको तो हुक्म देने और दूसरों से उनकी तामील की आशा करने या दूसरों के हुक्म तामील करने का अनुभव है।

यह प्रक्रिया नौकरशाही का एक प्रकार से लोकतंत्रीकरण है। आपसे आशा की जाती है कि देश में लोकतंत्र की जो भावना व्याप्त है, आप अपने को उसके अनुरूप ढालें। आज सभी शासन में भाग लेना चाहते हैं। खंड के प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि वह खंड के प्रशासन में भाग ले रहा है। आपका मुख्य कार्य खंड के लोगों को नवीन सुविधाएं पहुंचाना है, जैसे—अस्पताल, स्कूल, सड़कें, वाचनालय आदि। आरंभ में यह बड़ा फेशनेबल लगता है। इससे आपका कार्य बड़ा मनोरंजक बन जाएगा। जो लोग बीमार भी नहीं हैं, वे भी बीमार बन जाएंगे और खंड के अस्पताल से दवा लेना पसंद करेंगे। स्कूलों को देख कर वे अपने सभी बच्चों को स्कूल भेजने लगेंगे। इसलिए जहां स्कूल नहीं हैं, वहां अगर आप स्कूल खोलें तो वे स्कूल बहुत लोकप्रिय बन जाएंगे। यह न भूलिए कि प्रत्येक स्कूल को एक काम-दिलाऊ दफ्तर समझा जाता है। खंड के अधिकांश लोग शिक्षा के प्रेमी नहीं होते। वे तो यह सोचते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने पर उनका लड़का भी आप जैसा कोई अफसर बन जाएगा। वह आप जैसे कपड़े पहनने लगेगा और आपकी तरह जीप लिए फिरेगा। उनका विचार है कि किसी स्कूल में कुछ वर्ष पढ़ने के बाद यह सब मिल जाता है। यह विचार बिल्कुल निराधार है। आपको उन्हें यह समझाना होगा। यह बड़ा कठिन है, लेकिन आपको करना ही होगा। इस पर वे आपसे यह प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजने की आवश्यकता ही फिर क्या है? आप उन्हें समझाइए कि अब वह जमाना आ गया है कि जब तक आप अशिक्षित रहेंगे, आपको सभी ठगते रहेंगे। शिक्षा का उपयोग कुछ निवारक, सुरक्षात्मक-सा होता जा रहा है—सामान्य आक्रमण के विरुद्ध जो पढ़े-लिखे लोग आपको ठगने या आपका शोषण करने के लिए करेंगे। एक रोजगार दिलाने के अतिरिक्त भी शिक्षा अनिवार्य है। यदि आप उन्हें यह समझाएं, तो शायद वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाएं। फिर साक्षरता आंदोलन भी है। आप उन भोले लोगों को अप्रसन्न बनाते हैं, जो पहले प्रसन्न थे। वे जीवन में काफी प्रसन्न थे। अच्छा या बुरा—जैसा भी जीवन था, उससे वे संतुष्ट थे। प्रौढ़ लोग देर से सीखते हैं। उन्हें अपने आकार के अनुसार संकेत चाहिए। इसके बाद उनका आकार धीरे-धीरे घटाइए, यहां तक कि वे समाचार-पत्र पढ़ने लगें। किसी प्रौढ़ को थोड़ा-बहुत पढ़ाने के लिए भी कम-से-कम पांच वर्ष लगेंगे। बच्चे जल्दी सीखते हैं, इसलिए नहीं कि वे प्रौढ़ों की अपेक्षा तेज होते हैं, बल्कि प्रौढ़ों को अन्य बातों की तरफ भी ध्यान देना होता है। बच्चों को अन्य बातों की चिंता नहीं होती, इसलिए उनका मन एकाग्र हो जाता है। प्रौढ़ चौबीस घंटे जीवन की वास्तविकताओं के संबंध में चिंतित रहते हैं, जबकि छोटे बच्चों का ध्यान सिर्फ उन अक्षरों पर ही केन्द्रित रहता है। आपको प्रौढ़ों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह सब काफी मनोरंजक है।

जहां तक कृषि का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति अपने खेतों की ही बात करता है, किसी अन्य के लिए कुछ करना नहीं चाहता। आपको अच्छे बैलों की खरीद और निकृष्ट बैलों की बिक्री की

व्यवस्था करनी है। आप उन्हें ऐसी जगह ले जाइए, जहां वे बिक सकें। कम-से-कम मूल्य पर अच्छे बैलों को खरीदने की कोशिश कीजिए और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बांट दीजिए। यदि आप ऐसे काम करेंगे तो गांव वालों को काफी सहायता मिलेगी। गांव वालों में भी वास्तविकता को समझने की भावना उत्पन्न होगी। सामान्यत: गांव वालों का विचार है कि आपको कुछ आता-जाता नहीं। मैं समझता हूं कि आप लोग उनके इस विचार से अनभिज्ञ न होंगे और यह बहुत कुछ सही भी हो सकता है। आपको अच्छे-बुरे बैलों की पहचान होनी चाहिए और ठीक सौदे करने चाहिए। आप इस कार्य में किसानों की सहायता भी ले सकते हैं, अन्यथा आप भयंकर भूलें करेंगे। आपको अभिमान का त्याग कर स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस काम में आप सरकारी मदद भी ले सकते हैं। पशुओं के डाक्टर से बैलों का निरीक्षण करवा सकते हैं। बैलों की खरीद की तरह ही खादों की खरीद आदि में भी यही मार्ग अपनाना चाहिए। यह आपका काम है। आप लोगों के इलाकों में विभिन्न ढंग से खेती होती है, सिंचाई के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। आपमें से प्रत्येक को अपने लिए महत्वपूर्ण बातें जाननी होंगी।

यह बहुत सुंदर स्थान है। मेरे विचार में अन्य केन्द्र इतने आकर्षक नहीं, जितना यह हिमायत सागर केन्द्र है। हमें उन लोगों का कृतज्ञ होना चाहिए जो प्राचीन समय में यहां आए और हैदराबाद में शासन स्थापित किया, उस समय जबकि भारत में बड़ी अव्यवस्था थी। निश्चय ही वे आप सबसे अच्छे खंड विकास अधिकारी थे। उन्हें किसी प्रकार की उच्च शिक्षा नहीं मिली थी। उन सभी ने कठोर परिश्रम करके अपने आपको बनाया था। इसलिए जब आप ऐतिहासिक स्थानों को देखते हैं, तो आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन्होंने इनका निर्माण किया था। इससे आपको लाभ ही होगा, आपमें विनम्रता की भावना पैदा होगी। हम सभी अपने आपको दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझने का दंभ भरते हैं, जबकि हम हैं नहीं। इसके साथ ही आपको प्रेरणा भी मिलेगी। जब आपके पूर्वज यह कर सकते थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यह सोच कर आपमें आशा और उत्साह का संचार होगा। ❑

(हिमायत सागर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख दी गई वार्ता)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत देय सहायता राशि में वृद्धि

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के मार्गनिर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि ये अधिक कारगर बन सकें। यह घोषणा ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री श्री बाबागौडा पाटिल ने 3 अगस्त 1998 को लोकसभा में की।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से कार्यान्वित किया जा रहा है। फिलहाल इसके तीन घटक हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के निराश्रितों को 75 रुपये प्रतिमाह की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर एकमुश्त सहायता दी जाती है। स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5,000 रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को दो जीवित बच्चों के जन्म तक 300 रुपये की सहायता दी जाती है।

7 जुलाई 1998 को सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया ताकि कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लाभ को मुख्य जीविकोपार्जक की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गरीब परिवारों में एक से अधिक जीविकोपार्जक होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत अब मुख्य जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) परिवार का वह सदस्य होगा जिसकी आय पारिवारिक आय में सबसे अधिक हो। 'परिवार' शब्द में अविवाहित वयस्क की मृत्यु होने के मामले में अवयस्क भाई/बहन भी शामिल होगा। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभ को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। बच्चे के जन्म से पहले ही राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभ का समय पर वितरण कर दिया जाएगा। यदि आवेदन करने में विलंब हुआ हो तो लाभ देने से इंकार नहीं किया जाएगा और बच्चे के जन्म के बाद ही लाभ का भुगतान किया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अंतर्गत अब सहायता की मंजूरी और उसका वितरण ग्राम पंचायत/ब्लाक स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। ❑

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

पंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका

डा. नीलिमा कुंवर* तथा सीमा कनौजिया**

ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब कभी ग्रामीण विकास में सीधे आर्थिक योगदान का सवाल उठता है, तो महिलाओं के योगदान को काफी कम या नगण्य माना जाता है। हालांकि कृषि पर लागत श्रम-शक्ति का आधे से अधिक योगदान इन्हीं महिलाओं का होता है। महिलाएं अपनी भूमिका के प्रति सचेत होने के बावजूद आज भी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित हैं। अत: महिलाओं को जागरूक बनाने और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें ग्रामीण विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक शुरू से ही यह चाहते थे कि ग्रामीण महिलाएं केवल एक लाभार्थी के रूप में जीवन न बिताएं, बल्कि ग्राम पंचायतों में सम्मिलित होकर प्रत्येक निर्णय में अपना योगदान करें।

इसी के तहत बलवंतराय मेहता कमेटी के इस सुझाव को कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो—शासन ने स्वीकार करते हुए 73वां संविधान संशोधन किया और कम-से-कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया। आज लगभग पांच लाख ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति में पदार्पण कर चुकी हैं। इन चुनी हुई महिला जन-प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं को साक्षर बनाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने, बाल विकास में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें समाज में सम्मानित स्तर दिलाने, सामाजिक कुरीतियों के निवारण और महिला उत्पीड़न तथा शोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनेक समस्याओं को जन-सहभागिता के द्वारा पंचायत में उठाया जाना चाहिए। चुनी हुई महिला जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की महिलाओं से संपर्क करके उनकी समस्याओं को समझेंगी तथा उन समस्याओं को पंचायत की बैठक में उठाकर निर्णय लेंगी।

दायित्व

महिला तथा बच्चों के विकास संबंधी कार्य इन सरपंच महिलाओं को समय-समय पर करने के लिए अपने दायित्व को निभाना होता है। इन कार्यों में कुछ इस प्रकार हैं—अशिक्षित महिलाओं के लिए प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में महिलाओं को जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, गांव में व्यावसायिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए समाजसेवी संगठनों तथा शासन से संपर्क बनाकर उन्हें चलाना, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा उनकी शिक्षा के लिए संबंधित विभागों से संपर्क बनाकर उन्हें चलाना और ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने का प्रयास करना आदि।

ग्राम प्रधान महिलाओं को अपने गांव में देखना होगा कि जो बच्चे आने वाले कल के नागरिक होंगे, उन्हें शिक्षा के भरपूर अवसर मिलें। साथ ही, यह भी देखना होगा कि गांव का कोई बालक या बालिका शिक्षा से वंचित न रह जाए। शिक्षा के लिए प्राइमरी पाठशाला से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए जाएं। जो महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं, उनके बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेल का सामान, खेलने का स्थान तथा पीने के पानी का प्रबंध हो तथा बच्चों की देखभाल ऐसे की जाए कि वे आंगनबाड़ी केन्द्र को अपना घर समझें।

समस्याएं

महिला ग्राम प्रधानों को अपना दायित्व निभाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या उनमें शिक्षा की कमी है। हालांकि सरकार अपने स्तर से हमेशा प्रयत्न करती है कि महिलाओं में साक्षरता बढ़े, फिर भी देश में महिला साक्षरता स्तर बहुत नीचे है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 39 प्रतिशत महिलाएं ही

*उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ
**एम.एस.-सी. (गृह प्रसार) छात्रा, बनारस कृषि विश्वविद्यालय, बनारस

शिक्षित थीं। इसका मुख्य कारण महिला शिक्षा के प्रति जन-जागरण की कमी रही है। आज भी बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। 6 से 11 वर्ष के अशिक्षित बच्चों में 75 प्रतिशत केवल बालिकाएं ही हैं।

दूसरी समस्या इनके समक्ष रूढ़िवादी समाज की है, जिसमें महिलाओं को घर की चाहरदीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता है। यदि वह घर की चाहरदीवारी के बाहर निकलती भी हैं तो पुरुष-प्रधान समाज में पुरुषों के आदेश, निरीक्षण तथा प्रतिनिधि के रूप में कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर या अगूंठा ही लगा पाती हैं। उनकी खुद की कोई राय नहीं होती है। कहीं-कहीं तो यह पाया गया है कि चुनी हुई महिला ग्राम प्रधान घर पर अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं तथा उनके स्थान पर उसके परिवार का कोई पुरुष पंचायत में शामिल होकर निर्णय लेता है।

अपेक्षाएं और आशाएं

महिला ग्राम प्रधानों से समाज कई अपेक्षाएं रखता है। जन-प्रतिनिधि के रूप में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल चुनाव के समय जनता से संपर्क करें, बल्कि चुने जाने के बाद भी जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखें ताकि उनकी समस्याओं की जानकारी उन्हें मिलती रहे। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निजी तौर पर या शासन के स्तर से प्रयास करना जरूरी होगा।

प्रशासन की कड़ी के रूप में उनका दायित्व लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का होगा। प्रशासन की ओर से जो भी प्रशासनिक कार्य उन्हें समय-समय पर दिए जाएं, उन्हें निष्ठापूर्वक करना होगा। अपने निजी हितों को नजर-अंदाज करते हुए सर्वहित के लिए कार्य करना होगा। प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति के लिए नियमित रूप से पंचायत की बैठकों में भाग लेना होगा तथा कार्यों का मूल्यांकन भी करना होगा। ग्राम विकास के लक्ष्यों का निर्धारण करके उनकी पूर्ति के लिए जन-सहयोग द्वारा बनी योजनाओं को चलाने के लिए निर्धारित साधनों को जुटाना होगा।

सुझाव

महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इनमें जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले इन महिला प्रतिनिधियों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरूक करना होगा। अनेक महिला संगठनों तथा सरकारी अभिकरणों के द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने में तथा चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडियन एसोसिएशन आफ वूमेन स्टडीज' ने भी रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से दूर-दराज के इलाकों में महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए समय-समय पर प्रसारण करना प्रारंभ कर दिया है। महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा पंचायत व्यवस्था के विषय में शिक्षा देना जरूरी है। इसके अलावा इन महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यक्रमों की नीतियों और महिला तथा बच्चों से संबंधित विषयों से अवगत कराना भी जरूरी होगा।

आखिर में, 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार-संपन्न तो बना दिया गया परंतु उनकी अधिकार-संपन्नता के परिणाम तभी दिखाई देंगे, जब उन्हें ग्रामीण विकास तथा महिला विकास के प्रति जागरूक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। सरकार प्रशिक्षण के महत्व को ध्यान में रखकर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था कर रही है। ग्राम पंचायतों में चुनी हुई महिला जन-प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास के विविध पहलुओं से भी परिचित कराया जाए। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके अधिकार तथा कर्तव्यों तथा पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दी जाए। साथ ही, यहां उनके वर्तमान कौशल में सुधार करना, नये कौशल सिखाना, उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना और विकास की संभावनाओं के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करनी चाहिए, तभी ये ग्राम प्रधान महिलाएं देश का विकास करने में सहयोग दे सकेंगी। ❑

महिला आरक्षण विधेयक

सिमरन कौर

हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से महिलाएं पचास प्रतिशत हैं, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वे समानता के अधिकार से वंचित हैं। जो संख्या समूचे देश के लिए कानून बनाती है, उसमें भी महिलाओं का प्रतिशत मात्र तीन या चार प्रतिशत ही रहा है। यह प्रतिशत आज तक आठ से ऊपर नहीं जा पाया। कुल मिलाकर महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। इस विडंबना को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 'महिला आरक्षण विधेयक' लोकसभा में प्रस्तुत किया। लेकिन सरकार को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, इसलिए वह इसे अकेले अपने बलबूते पर पास नहीं कर सकती। उसने इस मामले पर आम सहमति तैयार करने की दिशा में कोशिश की है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित किए जाने से संबंधित 84वां संविधान संशोधन संसद में पारित किया जाना है।

महिला आरक्षण विधेयक को पेश किए जाने का जब उपक्रम शुरू किया जा रहा था, उस समय एक सदस्य ने जिस अशोभनीय तरीके से उसकी प्रति, विधि मंत्री के हाथ से छीन ली और अध्यक्ष के सामने से भी प्रति हटा ली तो इस दृश्य को देखकर सांसदों के साथ-साथ वहां उपस्थित सभी लोगों को अपनी संसदीय व्यवस्था की मर्यादा भंग होते देख शर्म महसूस हुई।

महिला आरक्षण विधेयक को बार-बार टालना महिलाओं के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। महिला संगठनों द्वारा विधेयक को ज्यों का त्यों पारित करने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शनों में यही कहा गया कि राजनीतिक दलों में पुरुष वर्चस्व यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आबादी का आधा हिस्सा यानी महिलाएं उनके बराबर बैठें। भीतर से कहीं न कहीं उनके मन में घबराहट है कि 33 प्रतिशत आरक्षण उनके वर्चस्व को प्रभावित करेगा। इसी कारण वे टाल-मटोल की प्रवृत्ति अपनाकर विधेयक को किसी-न-किसी बहाने टाल रहे हैं।

आरक्षण का प्रतिशत चाहे 33 प्रतिशत हो या 15 प्रतिशत, इसमें पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अवश्य की जाए। समाजवादी पार्टी ने जहां इस विधेयक पर अपनी असहमति जताई, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है।

कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी के अलावा जनता दल ने भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण कायम रखने और पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए उचित आरक्षण का प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया है।

तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा समर्थन के बावजूद विधेयक को प्रस्तुत करने में उसमें व्यवधान की स्थिति से प्रश्न उठता है कि वचनबद्धता के बावजूद केंद्र में विभिन्न सरकारें महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में उठाई गई आपत्तियों पर ही क्यों संवेदनशील हो जाती हैं। इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि कोई भी राजनीतिक दल मन से महिलाओं को इतना व्यापक आरक्षण देने को तैयार नहीं?

किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है—समानता और भागीदारी का अधिकार। प्राय: लंबे समय तक जब उसका अभाव रहा हो, तब सभी को विकास की धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ती है। लेकिन विडंबना यह है कि महिलाओं को आबादी के 50 प्रतिशत होने के बावजूद आजादी के 50 वर्ष बाद भी अपने समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया और धीरे-धीरे यह तड़प महिला आरक्षण के रूप में उभरी, तमाम महिला संगठनों ने एक स्वर में इसकी आवाज उठाई, जगह-जगह प्रदर्शन और धरनों ने इस मुहिम को तेज किया।

लेकिन आज आरक्षण का मुद्दा ही राजनीति का मोहरा बन गया है। राजनीति के नाम पर महिलाओं को उनके हक से वंचित रखा जाना भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की नैतिकता नहीं। आखिर महिला हर अधिकार के लिए पुरुष निर्णय की ही मोहताज क्यों रहे? यूं तो देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, लेकिन इस हकीकत की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने उपेक्षा का ही उपहार पाया है। देश में नारी गृहलक्ष्मी कहलाती है किंतु जब समाज में उसकी वास्तविक स्थिति पर विचार किया जाता है तो अनके दृष्टियों से उसकी स्थिति दयनीय दिखती है।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक के मार्ग में अब तक अनेक व्यवधान उपस्थित होते रहे हैं। विधेयक का विरोध करने वालों में से कुछ लोग पिछड़ों के पिछड़ेपन और अपर्याप्त मुसलमान प्रतिनिधित्व का तर्क भी उछालते रहे हैं।

एक समय ऐसी आशा व्यक्त की गई थी कि यह बिना बहस के ही पारित हो जाएगा। लेकिन उसी समय पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के लिए उठाई गई मांग के कारण वैसा संभव नहीं हो सका था। इस मांग के साथ और आयाम भी जुड़ गए हैं कि मुसलमान

(शेष पृष्ठ 36 पर)

ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में प्रौद्योगिकी

डा. दिनेश मणि*

भारत अनेक अर्थों में गांवों में बसता है। केवल हमारी अधिकांश जनसंख्या ही गांवों में नहीं बसती बल्कि हमारा संपूर्ण सामाजिक तंत्र, जो हमारी सामाजिक शक्ति का केन्द्र है और जीवन के वे दर्शन जिन पर राष्ट्रीयता की भावना आधारित है, आज भी ग्रामीण भारत में बसते हैं।

ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उचित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए। भारत के गांवों में प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, ग्रामीण परिस्थितियों में वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रासंगिकता आवश्यक है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या ऐसे हस्तांतरण की पद्धति अथवा हस्तांतरण के लिए सुविधाजनक तरीकों के विकास की बातों से पहले यह देखना होगा कि हमारे वैज्ञानिक गांवों की दशा से व्यक्तिगत रूप से परिचित हों, वे वहां की समस्याओं को समझें और ऐसे उपाय ढूंढे जिन्हें वर्तमान ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के रूप में परिणत किया जा सके। ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की मदद करना होना चाहिए। ग्रामीण समुदाय में गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही नहीं, ग्रामीण उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उद्देश्य आर्थिक उन्नति के अलावा सामाजिक न्याय भी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम-प्रधान, धन की बचत करने वाली, स्थानीय सामाजिक-आर्थिक दशाओं से मेल खाने वाली और आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक प्रौद्योगिकी की सिफारिश करनी चाहिए। इनका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत उत्पादन होना चाहिए और जहां तक संभव हो सके, इससे उत्पादकता में अधिकतम बढ़ोतरी हो तथा कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार आए।

हमारा देश विकासशील देश है जो अपनी औद्योगिक नीति में विविधता लाकर औद्योगिक आधार को ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में फैलाने का उद्देश्य रखता है ताकि उद्योगों का प्रभाव इनसे अछूती रह गई जनता पर भी पड़े। आरंभ में इस प्रकार का प्रसार औद्योगिक सेवा, स्थानीय उपलब्ध कार्यकुशलता तथा कच्चे माल से तैयार उपभोक्ता पदार्थों जैसे—कपड़ा, तैयार खाद्य पदार्थ, कृषि व दुग्ध पदार्थ, फार्म यंत्र (कृषि यंत्र) तथा दूसरे प्रकार की वस्तुओं जैसे—भवन-निर्माण सामग्री, सामान्य दवाओं के नुस्खे तथा औषधियों में हो सकता है। विस्तृत और लघु स्तर पर उत्पादन, श्रम साध्य विधियों के उपयोग तथा वितरण और विपणन लागत में बचत से इन वस्तुओं में आसानी से स्पर्धा आ सकती है। इस तरह की साधारण, लघु स्तरीय और कम खर्च वाली प्रौद्योगिकियों को प्रभावी नीतियों से बढ़ावा देने की जरूरत है।

ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक दशा का गहन सर्वेक्षण करना चाहिए, क्षेत्र-वशेष की क्षमता का पता लगाना चाहिए और तभी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का चयन, उसके लिए योजना बनाने, योजना को कार्यान्वित करने तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि वे संगठन के संचालन, सुधार व्यवस्था तथा नये कामों को शुरू करने में पूरी तरह भाग ले सकें।

*प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राम आधारित औद्योगिक परियोजनाएं ग्रामीण संस्कृति, कारीगरी तथा साधनों से सम्बद्ध होनी चाहिए। ग्रामीण उत्थान के उद्देश्य वाली ग्राम आधारित उद्योग परियोजनाओं का आधार—विज्ञान, आवश्यकता, जन-सामान्य और संस्कृति होना चाहिए अर्थात विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग आरंभिक स्तर से करना चाहिए ताकि अविकसित दशाओं का सुधार हो सके और लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इससे आम लोगों का विज्ञान में विश्वास बढ़ेगा और उनका सहयोग मिलेगा। स्थानीय कच्चे माल, मानव-शक्ति, उद्यमी प्रवृत्ति, कारीगरी और उत्पादनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के मूल्यांकन के लिए लागत-लाभ तथा व्यावहारिकता का अध्ययन होना चाहिए। वैज्ञानिक व्यवस्था संगठन, विपणन तथा अन्य संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को ग्राह्य बनाने के लिए उचित वातावरण तैयार करने के लिए अच्छी आर्थिक पकड़ वाली योजना से शुरुआत होनी चाहिए। इससे भागीदारों को अच्छे बंटवारे के रूप में सुनिश्चित मजदूरी, अतिरिक्त आमदानी तथा सहयोगी धंधा मिल सकेगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार चयनात्मक विधि अपनाने की जरूरत है।

हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तर पर प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए कर छूट, सरकार द्वारा पूंजी लगाना, औद्योगिक प्रसार सेवाओं की व्यवस्था, लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय विक्रय सुविधा, सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खरीद, संस्थान तथा उद्योगों को स्थान नियमित करने के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली में सुधार तथा आवश्यक मशीनों और पदार्थों के आयात से संबंधित नीति के रूप में हस्तक्षेप कर सकती है। यदि ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रसार को सफल बनाना है तो सरकार को उन क्षेत्रों में जो अब तक अछूते रहे हैं जैसे—निर्माण कार्य, आर्थिक सहायता तथा सेवाओं के रूप में काफी मात्रा में धन लगाना होगा। प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए माडल का विकास तथा परीक्षण, डिजाइन, मुख्य कारखाने की इंजीनियरी, प्रसार सेवाएं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, मानव संस्थानों, सूचना जाल, प्रौद्योगिकी निरीक्षण, निरीक्षण सेवाएं, परियोजना नियोजन मूल्यांकन, यंत्रों की मरम्मत, प्रबंध तथा तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण में कई प्रकार के सहयोग स्थापित करने होंगे। वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए सूचना तंत्र स्थापित करने के अलावा प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता का विकास, इंजीनियरी तथा डिजाइन प्रौद्योगिकियों की छानबीन तथा निरीक्षण के लिए तंत्र का विकास और इस संबंध में उपयुक्त नीतियां—उस तंत्र के वांछनीय तत्व हैं जिनसे प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार में सहायता प्राप्त हो सकती है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के काम को कई अवस्थाओं में हाथ में लेना होगा। संभवत: इसके लिए प्राथमिकताओं को निश्चित करना जरूरी होगा ताकि निकट भविष्य में उपयोगी अनुसंधान हो सके। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जैसे विश्व संगठनों के पास गांवों में अपनाने योग्य मध्यम दर्जे की लाभकारी प्रौद्योगिकी को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हैं जिनका लाभ विकासशील देश प्रौद्योगिकी के विकास में लगने वाले समय को बचाने में उठा सकते हैं। ❑

(पृष्ठ 34 का शेष) **महिला आरक्षण विधेयक**

महिलाओं के लिए अलग से जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण की व्यवस्था हो।

यह कैसी विडम्बना है कि जिस देश में महिलाओं के सम्मान की बात कहते हुए लोग गर्व से मस्तक ऊंचा कर लेते थे और जिस देश में नारी की पूजा करने की परंपरा रही है, उस देश में जब नारी को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रश्न आया तो उसे जातिवाद, वर्गवाद और धर्मवाद आदि के संकीर्ण दायरे में जकड़ लिया गया।

जो दल और नेता आरक्षण की बात को लेकर इतने जोर-शोर से उत्तेजनापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, वे अपने-अपने दलों में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देते? यदि वे ऐसा करते तो शायद आरक्षण के मुद्दे को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

84वें संविधान संशोधन विधेयक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के अनुरूप सभी स्थानों पर महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की मांग है कि पिछड़े वर्गों और मुसलमान महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने के लिए 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के बाद यह महसूस किया गया कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

अब आम सहमति महिलाओं के लिए क्या कर पाती है—इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। कुछ भी हो, बुलंद आवाज को बार-बार रोका नहीं जा सकता। वैसे भी महिलाओं ने हर क्षेत्र में पहुंचकर अपनी योग्यता और जागरूकता का परिचय दिया है तो राजनीति के क्षेत्र में भी वह कब तक पीछे रहेंगी? अच्छा यही होगा—यह तथ्य समय रहते ही समझ लिया जाए। ❑

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के संदर्भ में

ग्रामीण सेवाएं और वाणिज्य बैंक

डा. अशोक अग्रवाल*

क्षेत्र विशेष की समृद्धि उसकी आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। कृषि और उद्योग क्षेत्र के अतिरिक्त एक तीसरा क्षेत्र भी आर्थिक गतिविधियों का होता है जिसे 'सेवा क्षेत्र' कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रखा है। बैंकिंग व्यवसाय में इसे 'अन्य प्राथमिकता क्षेत्र' भी कहा गया है। इस क्षेत्र के लिए व्यवहार में विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे—तृतीयक क्षेत्र, सेवा-व्यवसाय, व्यापार एवं सेवाएं, लघु कारोबार आदि। रिजर्व बैंक ने व्यापक अध्ययन के पश्चात ऋणों हेतु सेवा क्षेत्र की एक सूची प्रकाशित की है। इसके अंतर्गत लघु यातायात संवाहक तथा वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ऋण, फुटकर व्यापार, लघु व्यापार, स्वरोजगार और प्रोफेशनल व्यक्ति, शिक्षा, आवास और उपभोग के ऋण निश्चित मानदंडों के आधार पर निर्धारित सीमा में प्रदान किए जाते हैं।

उद्देश्य

बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की साख में कृषि और लघु उद्योग का संदर्भ बहुधा होता है, लेकिन इसके तृतीय महत्वपूर्ण घटक सेवा क्षेत्र के बारे में समुचित बैंकिंग सजगता के बाद भी पृथक अध्ययन तुलनात्मक रूप से कम ही हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य ग्रामीण विकास में सेवा गतिविधियों के महत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संलग्नता, उनके द्वारा वित्त पोषण के स्वरूप और ऋण वसूली की स्थिति आदि को दर्शाना है। मध्य प्रदेश के व्यापक संदर्भ में मंदसौर जिले को एक इकाई के रूप में चयनित कर उपलब्ध बैंकिंग आंकड़ों के साथ शोध सर्वेक्षण के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि इस क्षेत्र में बैंकिंग सहायता के फलस्वरूप लाभार्थी की आय तथा रोजगार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? जिससे बैंकिंग सेवा क्षेत्र के संबंध में एक समन्वित और शोध-परक दृष्टि विकसित करने में मदद मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्र में सेवा गतिविधियों का स्थान

ग्रामीण विकास का एक अर्थ यह भी है कि गांव शहरों में बदल जाएं, अर्थात ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और रोजगार हेतु शहरों की ओर उन्मुख न होना पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि पर जनसंख्या के भार को कम किया जाए। सीमांत मजदूरों, ग्रामीण बेरोजगारों तथा अर्द्ध-बेरोजगारों को परंपरागत और नवीन व्यवसायों में संलग्न किया जाए। विकास की आधारभूत संरचना स्थापित करने में भी ग्रामीण श्रम का पूर्ण सहयोग जरूरी है। उद्योगों में सामान्यत: अधिक पूंजी, तकनीकी ज्ञान और प्रबंध कौशल की आवश्यकता होती है। अत: ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सेवा क्षेत्र ही ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसमें ग्रामीणों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांवों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है।

यह सर्वविदित है कि गांवों की कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। अर्थ-व्यवस्था के सेवा क्षेत्र में शहरों की कार्यशील आबादी का प्रतिशत तो अधिक है, किंतु गांवों में व्यापार, यातायात, नौकरियों, भंडारण, संचार और अन्य स्वरोजगार में बहुत कम व्यक्ति संलग्न हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण आबादी 62,86,91,676 है जिसमें से कार्यशील आबादी 22,22,89,579 है। कार्यशील आबादी का 80.03 प्रतिशत कृषि कार्यों में, 4.59 प्रतिशत उद्योग, वन, पशुपालन, लघु एवं गृह उद्योग, खनन आदि में संलग्न है और 10.51 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या सेवा क्षेत्र में संलग्न है। इसी प्रकार 1991 में मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी 5,08,42,333 थी और ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या 2,38,07,360 थी। ग्रामीण मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा कृषक तथा कृषि श्रमिक थे, जबकि सेवा क्षेत्र में मात्र 4.91 प्रतिशत ग्रामीण ही संलग्न थे। इसके विपरीत शहरी मध्य प्रदेश में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का 51.71 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में संलग्न था। स्पष्ट है कि अर्थ-व्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में शहरों एवं गांवों में भारी विषमता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि गांवों में व्यापार, संरचना, शिक्षा, यातायात, नौकरियों आदि के अत्यल्प अवसर हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि मंदसौर जिले पर दृष्टिपात करें तो विदित होता है कि ग्रामीण सेवाओं में कार्यशील जनसंख्या का 4.8 प्रतिशत व्यक्ति ही संलग्न थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 49 प्रतिशत

*सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य, शासकीय स्नात. महाविद्यालय मंदसौर (म.प्र.)

कार्यशील जनसंख्या सेवा-व्यवसाय में लगी हुई है। स्पष्ट है कि इस विसंगति को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिक विनियोजन कर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

बैंक संलग्नता

गांवों में छोटे-मोटे व्यापार और सेवाओं में लगी इकाइयों के लिए पंजीयन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इनसे संबंधित आंकड़े स्थानीय आधार पर ग्रामवार सुनिश्चित करने होते हैं। सेवा क्षेत्र में सामान्यत: व्यक्ति स्वयं आगे आते हैं तथा बैंक की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके साख प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में, विशेषकर लघु व्यापारी, फुटकर व्यापारी, स्वयं व्यवसायी, यातायात संवाहक इत्यादि ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साख-सुविधाएं बैंकों से प्राप्त की हैं। जिला उद्योग केन्द्र इस वर्ग के लिए बाजार तथा उपलब्ध कच्चे माल की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए योजनाएं बनाता है और सुझाव देता है। सरकार ट्राइसेम तथा अन्य कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। बैंक साख प्रदान करते हैं। इसमें युवा शिक्षित बेरोजगारों, निर्धन युवाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

मंदसौर जिले में वाणिज्य बैंकों द्वारा सेवा-क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश ग्रामीण ऋण लघु यातायात एवं हाथ ठेला, तांगा-घोड़ा, फुटकर व्यापारी, साइकिल मरम्मत का कार्य, नाई का कार्य, वेल्डिंग, रिवाईंडिंग, सुतारी, सिलाई मशीन, लुहारी, लांड्री, मेडिकल स्टोर्स, स्टेशनरी दुकान, टेंट हाऊस, लघु कारोबार—पान की दुकान, होटल-हलवाई, शीतल पेय, घुमटी आदि के लिए साख प्रदान की गई है। यातायात संवाहक, मेटाडोर के लिए लाभार्थियों की संख्या कम है, किंतु राशि अधिक है। पेशा और स्व-रोजगार, शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण बहुत कम है। शासकीय योजनाएं ट्राइसेम, सीयु (प्रधानमंत्री रोजगार योजना), विभेदात्मक ब्याज दर आदि के कुछ क्षेत्रों में भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जिले का बैंकों द्वारा वित्त-पोषण किया गया है।

ऋण प्रवृत्ति

रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कुल ऋणों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना है। जिसमें से 17 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को और शेष प्रावधान गैर-कृषि क्षेत्र (लघु उद्योग और सेवा व्यवसाय) के लिए होना चाहिए। भारत में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा वर्ष 1990 के बाद के वर्षों में सेवा क्षेत्र की साख, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कुल साख का औसतन लगभग 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। उल्लेखनीय है कि मूल्य-वृद्धि के बाद भी इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रदत्त साख के आकार में विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

इसी अवधि में मंदसौर जिले में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त बैंकिंग साख मात्रा का प्रतिशत वर्षवार घटा है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की साख मात्रा का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से वर्षवार अधिक तथा लगभग एक समान रहा है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में सेवा क्षेत्र साख की मुख्य जिम्मेदारी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही निभाई गई है। जिला साख योजना की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार साख मात्र की दृष्टि से लक्ष्यानुसार पूर्ति का प्रतिशत अन्य बैंकों की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों का ही अधिक है।

रोजगार निर्माण

इस क्षेत्र की समस्त गतिविधियां साख प्राप्त करने वाले को सीधे रोजगार प्रदान करती हैं। सेवा-क्षेत्र के अंतर्गत उपभोग, शिक्षा तथा मकान ऋण के भी प्रावधान हैं, जो रोजगार नहीं जुटाते हैं। लेकिन बैंकिंग साख योजनाओं में इन ऋणों हेतु अत्यल्प प्रावधान रखे गए हैं क्योंकि व्यापारिक तथा गैर-व्यापारिक बैंक इन क्षेत्रों में अपने ऋणों को असुरक्षित समझते हैं। उदाहरण के लिए, जिले में सेवा-व्यवसाय के अंतर्गत वर्ष 1992-93 में 1,728 में से 66 व्यक्तियों (मात्र 3.89 प्रतिशत) को ही उपभोग, शिक्षा और अन्य गैर-रोजगार साख हेतु प्रावधान थे। गत दशक में जिले के बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में 46,443 व्यक्तियों को रोजगार उत्पन्न कराने का लक्ष्य था और बाद की पांच-वर्षीय अवधि में 23,011 लाभार्थियों को सेवा व्यवसाय के माध्यम से रोजगार उत्पन्न कराने के प्रावधान थे। स्पष्ट है कि प्रारंभ की पांच-वर्षीय अवधि की तुलना में वर्तमान वर्षों में बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार के लक्ष्य नहीं बढ़ाए गए हैं। रोजगार निर्माण की दृष्टि से वाणिज्यिक बैंकों के पास समस्त बैंकों की तुलना में औसतन 64 प्रतिशत प्रावधान थे तथा इनकी लक्ष्यानुसार औसत उपलब्धि लगभग 78 प्रतिशत रही। अध्ययन दर्शाता है कि बैंकों ने रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में क्षेत्रवार जनसंख्या का तो ध्यान रखा है, किंतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अंतर नहीं किया है।

ऋण वसूली

ग्रामीण ऋण की सबसे बड़ी समस्या उनकी कम वसूली है। वसूल न किए गए ऋण में शेष राशि फंसी रहने के कारण धन के समुचित चलन में रुकावट आई है और इन बैंकों को पुनर्वित्त एजेन्सियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सेवा क्षेत्र में कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र की तुलना में वसूली की समस्या अत्यंत गंभीर है। समीक्षित पांच-वर्षीय अवधि में जिले के समस्त बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की औसत वसूली लक्ष्य का 53.9 प्रतिशत था, वहीं सेवा क्षेत्र में लक्ष्यानुसार वसूली का प्रतिशत औसतन 36.6 रहा। इस अवधि में वाणिज्य बैंकों में वसूली का औसत 29.5 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि वाणिज्य बैंकों की अन्य बैंकों के मुकाबले वसूली स्थिति कमजोर है और इच्छा शक्ति तथा क्षमता में कमी दिखाई देती है।

लाभार्थियों पर साख प्रभाव

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक ऋणों की प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए 240 लाभार्थियों का क्षेत्रवार अध्ययन किया गया। सेवा क्षेत्र में प्रदत्त

बैंक साख से हितग्राहियों की आय तथा रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव इस प्रकार था—

आय प्रभाव : सेवा-व्यवसाय के क्षेत्र में बैंक ऋणों के आय प्रभाव को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1
सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वेक्षित हितग्राहियों का आय विवरण

सर्वेक्षित	ऋण-पूर्व आय (रुपये में)	ऋण लेने के पश्चात आय (रुपये में)	आय-वृद्धि (प्रतिशत में)
अ) क्षेत्रवार			
1. सड़क संवाहक (मेटाडोर, ठेला, तांगा, आटो आदि)	8,200	18,386	124.2
2. फुटकर व्यापार (किराना, जनरल स्टोर्स आदि)	5,930	11,456	93.2
3. लघु व्यापार (होटल, गुमटी, अनाज, कम्बल पशु आहार आदि)	4,660	9,470	103.2
4. स्वरोजगार (वेल्डिंग, रिवाईंडिंग, सिलाई मशीन लुहारी, सुतारी, ठेकेदारी, लाण्ड्री, नाई आदि)	4,950	11,880	140.0
ब) औसत प्रति परिवार	5,389	11,543	114.2

तालिका से स्पष्ट है कि सड़क संवाहक में आय वृद्धि सर्वाधिक है। लेकिन इनके न्यादर्शों में से मेटाडोर हेतु ऋण लेने वाले एक हितग्राही को अलग कर दें तो औसतन सड़क संवाहक में आय वृद्धि मात्र 3,220 रुपये रह जाती है। ऐसी स्थिति में स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले हितग्राहियों की आय-वृद्धि सर्वाधिक रहती है। फुटकर तथा लघु व्यापार क्रम में इसके बाद आते हैं।

तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने के पश्चात औसत प्रति परिवार 114 प्रतिशत (11,543-5,389=6,154 रुपये) सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आय वृद्धि हुई। पृथक गणना के अनुसार इस क्षेत्र में औसतन प्रति लाभार्थी बैंक ऋण 7,185 रुपये था। इस प्रकार सेवा-क्षेत्र में बैंक ऋण तथा आय-वृद्धि का अनुपात 7,185:6,154 (या 1:16:1) रहा। सर्वेक्षण परिणाम यह भी था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तीनों क्षेत्रों में बैंक ऋण के साथ आय वृद्धि, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक है तथा कृषि क्षेत्र में सबसे कम है।

रोजगार प्रभाव : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग साख विनियोजन का प्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करने के साथ बेरोजगारी कम करना भी है। बेरोजगारी को यदि निरपेक्ष के आलावा अर्द्ध-बेरोजगारी तथा छिपी बेरोजगारी के रूप में भी देखें तो इसकी विकटता और बढ़ जाती है। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी को बैंक ऋण से पूर्व संलग्न व्यक्तियों के अलावा नवीन जुड़े व्यक्तियों की संख्या, कार्य-दिवस तथा कार्य-घंटों की औसतन स्थिति को 'पूर्ण रोजगार' में परिवर्तित कर तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2
सेवा क्षेत्र में सर्वेक्षित हितग्राहियों में रोजगार सृजन

क्षेत्र	प्राप्त बैंक ऋण	रोजगार में नये संलग्न व्यक्ति	कार्य-दिवस तथा कार्य-घंटों के आधार पर पूर्ण रोजगार	कुल रोजगार प्राप्ति	बैंक ऋण: प्रति व्यक्ति रोजगार
कृषि	12,71,270	51	3	54	23,542:1
ग्रामीण और लघु उद्योग	1,14,600	9	2	11	10,418:1
सेवा क्षेत्र	5,74,780	34	8	42	13,685:1
योग	19,60,650	94	13	107	18,324:1

तालिका-2 सेवा क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित करती है। तालिका से स्पष्ट है कि 240 सर्वेक्षित परिवारों में से बैंक ऋणों के माध्यम से 94 व्यक्ति रोजगार में प्रवृत्त हुए और 13 व्यक्तियों के पूर्ण रोजगार के बराबर कार्य के घंटे तथा कार्य-दिवसों की संख्या बढ़ी। औसतन 18,324 रुपये बैंक ऋण पर एक नये व्यक्ति को रोजगार मिला। रोजगार की यह ऋण लागत कृषि में सर्वाधिक और लघु उद्योगों में सबसे कम रही। कृषि क्षेत्र में ऊंची दर रहने का कारण यह है कि अधिकांश लाभार्थी वे हैं, जो पहले से ही इस धंधे में संलग्न हैं। ग्रामीण और लघु उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में कम ऋण पर भी अधिक व्यक्तियों को इसलिए खपाया जा सकता है कि एक लघु उद्यम अथवा लघु कारोबार खोलने पर सीधे-सीधे नये व्यक्ति को रोजगार मिलता है, अर्थात इनमें श्रम सघन तकनीक रहती है।

ग्रामीण लघु कारोबार के क्षेत्र को बैंक ऋण की सहायता से विभिन्न उपायों द्वारा विकसित करने के बैंकिंग प्रयासों की समीक्षा से यह विश्वास बनता है कि कार्यनीति में लगने वाले प्रयास कितने बड़े और व्यापक होने चाहिए। अभी भी ऐसे अनेक स्थान हैं, जहां वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं और ऋण के अंतर्लयन (खपाने) की क्षमता का उपयोग अभी नहीं किया गया है। मात्रा की दृष्टि से इनमें काफी सुधार की जरूरत है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि हिताधिकारियों का गलत अभिनिर्धारण, लक्ष्योन्मुख संवितरण पर बल, ऋण देने के बाद अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी का पर्याप्त न होना, सहायक सेवाओं का अभाव—कुछ ऐसे कारक हैं, जिनसे ऋणों में गुणात्मक कमी आई है और इससे ग्रामीण गरीबी को कम करने के प्रयासों पर बुरा असर पड़ा है। छोटे व्यवसायों में बैंक साख उपलब्ध कराते समय अपना मुख्य ध्यान अंतरालों को पाटने और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने पर और अधिक केन्द्रित करें, ताकि बैंक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का कार्य कर सकें। ❑

राजस्थान में महिला सरपंच : कुछ संभावनाएं

धीरज चौधरी*

भारत के अन्य अधिकतर प्रदेशों की तुलना में राजस्थान सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा माना जाता है। इस प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.1 प्रतिशत है जो मूलत: कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे है, इसकी साक्षरता दर 1991 की जनगणना के अनुसार 30.37 प्रतिशत है और महिलाओं में तो साक्षरता दर मात्र 11.59 प्रतिशत ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल और पोषक तत्वों का अभाव किंतु बीमारियों का वर्चस्व है। इन सबका खामियाजा महिलाओं को ही भुगतना होता है। गरीबी, अशिक्षा तथा बीमारी की मार पुरुष से अधिक महिलाओं पर पड़ती है।

भारत में महिला विकास के प्रयासों का प्रारंभ 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना से हुआ। स्वयंसेवी संगठनों को महिला और बाल कल्याण कार्यों के लिए प्रेरित करने, वित्तीय सहायता देने तथा समन्वय करने की जिम्मेदारी इस मंडल को दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थानीय स्तर पर महिला मंडलों का गठन किया गया, जिसमें उन्हें स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया गया। पांचवीं योजना के दौरान महिला कल्याण के साथ-साथ महिला विकास को भी लक्ष्य बनाया गया। आठवीं योजना में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने की दृष्टि से उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा उन्हें विकास-प्रक्रिया में भागीदार बनाने का लक्ष्य बनाया गया।

इसी बीच 1985 से इस विचार को बल मिला कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने के लिए शासकीय स्तर पर स्थान दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए पंचायती राज के तीनों स्तरों पर सदस्य तथा कार्यकारी पदों के एक-तिहाई स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में 1994 के पंचायती राज अधिनियम में महिला प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। जनवरी 1995 तक इन संस्थाओं के चुनाव करवा दिए गए। इसके माध्यम से राज्य में कुल 3,062 महिला सरपंच, 79 महिला प्रधान तथा 33 जिलों में 11 महिला जिला प्रमुख शासकीय कार्य कर रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां तथा कार्य सौंपने की दृष्टि से अभी भी बलवंतराय मेहता प्रतिमान चल रहा है। यहां जिला परिषदों को विकास कार्य नहीं सौंपे गए और न ही पंचायत समितियों के कार्यों में कोई इजाफा हुआ है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की देख-रेख में निर्धनता निवारण कार्य ही पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। पंचायती राज के तीनों स्तरों में ग्राम पंचायतें ही कुछ प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। अत: महिला सरपंचों की क्षमताओं और कार्य पद्धति का सर्वेक्षण किया गया है। राजस्थान में टोंक जिले की निवाई पंचायत समिति क्षेत्र की सभी महिला सरपंचों तथा पंचों का इस अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

नेतृत्व की प्रकृति

यद्यपि महिला साक्षरता दर की दृष्टि से टोंक जिला, प्रदेश के औसत (11.64 प्रतिशत) से भी पिछड़ा है। फिर भी यहां 56.97 प्रतिशत महिला पंच तथा 92.86 सरपंच साक्षर हैं। नेतृत्व के लिए साक्षर महिलाओं ने आगे आने में अधिक उत्साह दिखाया है। ग्रामीण समुदाय ने भी साक्षर महिलाओं को आगे बढ़ाया है। 1961 में राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के सर्वेक्षण में पाया गया कि एक भी महिला ने पंच तथा सरपंच पद के लिए चुनाव में भाग नहीं लिया। सहवरण के लिए जिन महिलाओं को लिया गया, उनमें से अधिकतर विधवा थीं तथा 50 वर्ष से ऊपर की आयु की थीं। महाराष्ट्र जैसे विकसित पंचायती राज में 1978 में जिला परिषद तथा पंचायत समितियों की कुल 320 महिला सदस्यों में से केवल 6 ही निर्वाचित प्रतिनिधि थीं और शेष सहवृत थीं। राजस्थान में वर्तमान महिला सरपंचों में 67 प्रतिशत की आयु 45 वर्ष से कम है और पंचों का आयु वर्ग इससे भी कम है। अत: स्पष्ट है कि चुनाव में युवा और सक्रिय महिलाओं को मतदाता ने अधिक महत्व दिया है।

*शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

व्यवसाय की दृष्टि से सरपंच महिलाएं प्राय: कृषक परिवारों से चुनी गई हैं जबकि लगभग आधी पंच महिला गैर-कृषि परिवारों से आई हैं। इसी प्रकार लगभग 80 प्रतिशत सरपंच संयुक्त परिवारों से हैं जबकि आधी पंच एकाकी परिवारों से हैं। सरपंच अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों से हैं जबकि पंच प्राय: सामान्य परिवारों से हैं।

ग्रामीण समाज में महिलाओं का सार्वजनिक मामलों में आगे आना परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा जाता है। यहां तक कि जिस परिवार में वयस्क पुरुष न रहा हो और यदि वह परिवार विवाद के घेरे में हो तो उसके लिए समझौता करवाने के लिए मध्यस्थ पुरुष बैठक (पंचायत) करते हैं। ऐसी स्थिति में भी उस परिवार की महिला का सबके सामने अपना पक्ष रखना—प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना जाता है जबकि प्राय: सभी महिला सरपंच तथा पंचों को चुनाव के लिए उनके ससुर या पति प्रेरित करते हैं।

अभिवृत्ति

यह देखा गया कि महिला नेतृत्व, लड़की के विवाह की आयु वर्तमान 8-10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की पक्षधर हैं किंतु वे 18 वर्ष को ग्रामीण परिवेश में उचित नहीं मानती। उनके अनुसार यदि लड़की की 18 वर्ष तक शिक्षा की व्यवस्था बनी रहे, तभी यह आयु उचित हो सकती है। इसी प्रकार वे सभी बालिका शिक्षा की पक्षधर हैं। परंतु बाल विवाह, निर्धनता तथा बालिका छात्रावासों के अभाव को वे बालिका शिक्षा में बाधक तत्व मानती हैं। उनके अनुसार गांव की प्राथमिक शाला के बाद उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

वे मानती हैं कि पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की आधी भागीदारी है। पंचायत के लिए चुने जाने के बाद यह भागीदारी बढ़ी है। उनके अनुसार उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। पुरुष वर्ग ने यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि महिला सरपंचों का परिवेश का ज्ञान, प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी तथा अन्य संस्थाओं से संपर्क निरंतर बढ़ रहा है। महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत की बैठकों में पर्दे की आड़ से ही सही, खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। इससे पर्दा प्रथा में कुछ उदारता आई है।

अभी तीन-चौथाई महिला नेतृत्व की राजनीतिक दलों ने सहमति नहीं दी है। परंतु पंचायत में अपनी वर्तमान राजनीतिक स्थिति से वे ऊबी नहीं हैं। अधिकतर महिला सरपंच दोबारा इसी पद के लिए निर्वाचित होना चाहती हैं। संपर्क सूत्रों की दृष्टि से महिला नेतृत्व केवल उन्हीं से मिलना पसंद करता है जिनसे पंचायत का काम पड़ता है। वे महसूस करती हैं कि उन पर प्रभावी लोगों का दबाव बहुत कम है। महिला प्रतिनिधियों की मान्यता है कि शराब बंदी तथा लोगों के बीच के झगड़े निबटाने का कार्य भी पंचायतों द्वारा किया जाना चाहिए।

समुदाय की प्रतिक्रिया

जब 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तब यह भय व्यक्त किया जा रहा था कि सरपंच, प्रधान तथा जिला प्रमुख के पदों पर महिलाओं के आरक्षण से ये संस्थाएं पंगु हो जाएंगी। महिलाएं अपने पंचायत क्षेत्र के लिए पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम कार्य कर पाएंगी। महिलाएं अन्य कार्यालयों में भागदौड़ नहीं कर सकतीं, बोल नहीं सकतीं और उनकी समझ भी कम है। नई व्यवस्था में पुरुष अपनी पत्नियों के माध्यम से स्वयं सरपंच या प्रधान का कार्य करेंगे। परंतु व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि महिला सरपंच अपनी पंचायतों में अन्य पंचायतों की तरह ही कार्य करवा रही हैं क्योंकि ग्रामीण विकास के निर्धारित लक्ष्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पूरे किए जाते हैं और उसका माध्यम पंचायतें ही होती हैं।

महिलाएं स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के मार्गदर्शन में कार्य करें, इसकी भी ग्रामीण समाज में अब कोई चर्चा नहीं है। वैसे भी ग्रामीण संस्कृति में व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को सामाजिक इकाई माना जाता है। जब पुरुष सरपंच होता है तो उसके भी कुछ नजदीकी समर्थक होते हैं, जिनसे वह राय लेता है।

उत्तरदाताओं के साथ अनौपचारिक संपर्क के उद्देश्य से उनके पारिवारिक परिवेश का अवलोकन किया गया। महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषयों तथा निर्णयों पर विचार-विमर्श का दायरा रसोईघर तक पहुंच गया है जबकि पहले यह हुक्का समूह तक ही सीमित था। सार्वजनिक मामलों में पुरुष वर्ग के जोड़-तोड़ को महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं और वे उसे गोपनीय भी नहीं रख पाती हैं। फलस्वरूप कार्य-पद्धति में स्पष्टवादिता तथा खुलापन पहले की तुलना में कुछ अधिक है। इससे भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो रहे हैं।

संभावनाएं

पंचायती राज महिला पदाधिकारियों के इस लघु अध्ययन के आधार पर कुछ संभावनाएं इस प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं:

- महिला पदाधिकारियों के कारण पंचायत में सक्रियता, उपलब्धियों तथा कुशलता में गिरावट की अधिक संभावना नहीं है क्योंकि कार्य की मात्रा पंचायत सचिव, विकास अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बीच निश्चित होती है।

- महिला प्रतिनिधित्व से संयुक्त परिवार अधिक सुदृढ़ हो सकता है क्योंकि एकाकी परिवार बढ़ने का एक कारण पुरुषों का परस्पर अलगाव तथा महिलाओं की निष्क्रियता भी रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के आने से उन्हें संयुक्त परिवार की आवश्यकता महसूस होगी। नई व्यवस्था में बच्चों का उचित दिशा में सामाजीकरण अधिक संभव है।

- ग्राम स्तर पर झगड़े, गुटबंदी, पक्षपात आदि महिलाओं के आगे आने से कम हो सकते हैं।

- महिलाओं में चेतना तथा सहभागिता बढ़ने से समुदाय की शक्तियों में वृद्धि होगी। ❑

नीबू सेवन : स्वस्थ जीवन का सशक्त आधार

डा. विजय कुमार उपाध्याय*

एक लोक कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में एक वैद्य थे जो लोक कल्याण हेतु प्रतिदिन गांव-गांव घूमा करते थे तथा लोगों को नीरोग रहने के संबंध में समुचित परामर्श दिया करते थे। रोज की तरह एक दिन वह चिकित्सक अपने पुत्र के साथ गांव-गांव घूम रहे थे। इसी भ्रमण के क्रम में वे जब एक गांव की बगल से गुजर गए तो उनके पुत्र ने उन्हें टोका, "पिताजी! आपने इस गांव में प्रवेश क्यों नहीं किया?" इस पर वैद्य ने जवाब दिया, "बेटे देखते नहीं हो, इस गांव के चारों ओर नीबू के कितने पौधे हैं। भला यहां कोई बीमार पड़ सकता है?" ऐसी मान्यता है नीबू के बारे में।

नीबू का उपयोग आदिकाल से ही होता आ रहा है। भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में नीबू के संबंध में अनेक चर्चाएं मिलती हैं। गांधी जी ने नीबू पर अनेक प्रयोग किए तथा उन्होंने इसे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक एवं उपयोगी बताया। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले एडमंड हिलेरी का कहना है कि इस पर्वत चोटी पर चढ़ने में उन्हें जो सफलता मिली उसमें नीबू का बहुत बड़ा योगदान था। भारत के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डा. कुलरंजन मुखर्जी के मतानुसार नीबू अधिक अम्लता तथा कम शर्करावाली नारंगी है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर फनमूलर ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि नीबू में जीवाणुनाशक गुण मौजूद रहते हैं। इस बात का समर्थन डा. कॉक्स, डा. कलौग तथा डा. बिल्सन ने भी किया है।

नीबू का मूल स्रोत भारत को ही माना जाता है, जहां से यह सारे संसार में फैला। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, मेक्सिको तथा वेस्ट इंडीज में इसका उत्पादन विपुल मात्रा में होता है। आजकल नीबू संसार के अधिकांश देशों में उपजाया जाने लगा है।

नीबू दो प्रकार से उगाया जाता है—एक बीज से तथा दूसरा कलम से। इसका पौधा लगभग तीन से साढ़े तीन मीटर तक ऊंचा होता है। इसमें टेढ़ी-मेढ़ी अनेक शाखाएं निकलती हैं। इसके पत्ते छोटे-छोटे तथा आकृति में थोड़ी लंबाई लिए गोल होते हैं। पत्तों से नीबू की सुगंध निकलती है। पौधे को जमीन में रोपने के तीन-चार वर्ष के बाद उसमें फल लगने लगते हैं। कच्चा नीबू रंग में हरा परंतु पकने पर पीला हो जाता है। नीबू की अनेक जातियां होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं—कागजी, जंभीरी, संतरा, चिकोतरा, पपनस, मोसम्बी, नारंगी, बिजौरा इत्यादि। कागजी नीबू सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

नीबू हालांकि स्वाद में खट्टा होता है, परंतु यह अम्लधर्मी न होकर क्षारधर्मी है। पचने के बाद यह शरीर में क्षारीय अवशेष छोड़ जाता है। अत: इसका सेवन वैसे लोग भी निश्चिंत होकर कर सकते हैं जो अम्लता रोग से पीड़ित हैं।

नीबू के रस के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि इसमें लगभग 1.2 प्रतिशत प्रोटीन, 8.5 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 0.9 प्रतिशत वसा, 0.07 प्रतिशत कैल्शियम, 0.77 प्रतिशत लोहा, 2.7 प्रतिशत सोडियम, 0.45 प्रतिशत पोटाशियम, 0.51 प्रतिशत मैगनेशियम, 0.03 प्रतिशत फास्फोरस, 0.03 प्रतिशत गंधक, 0.48 प्रतिशत क्लोरीन तथा शेष जल है। इसमें विटामिन सी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में विटामिन ए तथा विटामिन पी भी पाए जाते हैं।

आयुर्वेदिक ग्रंथों में नीबू को काफी गुणकारी बताया गया है। यह खट्टा, उष्ण, पाचक, तीखा तथा कसैला होता है। यह भोजन को पचाता है तथा कब्ज को दूर रखता है। नीबू के रस में शक्तिशाली जीवाणुनाशक गुण मौजूद रहते हैं। मलेरिया, हैजा, डिप्थीरिया, टायफायड तथा कई अन्य रोगों के जीवाणु नीबू के रस से नष्ट हो जाते हैं। सुबह खाली पेट यदि हल्के गर्म पानी में नीबू का रस तथा एक चम्मच शहद मिलाकर पी लिया जाए तो पेट साफ हो जाता है तथा कब्ज की शिकायत नहीं रहती। नीबू का रस इनफ्लुएंजा तथा न्युमोनिया

(शेष पृष्ठ 44 पर)

*प्राध्यापक, भूगर्भ, इंजीनियरी कालेज, भागलपुर

राजस्थान के संदर्भ में

प्यासे ग्रामीणों के लिए सुजलम परियोजना

डा. एस.आर. सिंह

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पेयजल की कमी से प्रभावित दूरस्थ मरुस्थलीय गांवों तथा ढाणियों तक पहुंची 'विद्युत अपोहन जल निर्लवणीकरण संयंत्र' (इलेक्ट्रो डायलिसिस डीसेलाइनेशन प्लांट) परियोजना ने, सच पूछिए तो सदियों से प्यासे ग्रामीणों को मृगमरीचिका से मुक्ति दिलाना प्रारंभ कर दिया है। जाहिर है देश के अग्रणी वैज्ञानिक संगठन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई तथा जोधपुर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप बाड़मेर जिले के पेयजल की विकट समस्या वाले चयनित कुल 93 गांवों में 'सुजलम परियोजना' के प्रथम चरण में 25 गांवों में करीब 30 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

विद्युत अपोहन जल निर्लवणीकरण संयंत्र वैज्ञानिकों के अथक प्रयास का सुपरिणाम है, जिसकी प्रौद्योगिकी रक्षा प्रयोगशाला ने विकसित की है और मरुस्थलीय ग्रामीण जनता को खारे पानी से मीठा पीने योग्य पानी सुलभ कराने का संकल्प लिया है। वस्तुत: स्वदेशी तकनीक पर आधारित निर्लवणीकरण की यह योजना न तो अधिक महंगी है और न ही इसमें अधिक तकनीकी उलझनों का समावेश है। रक्षा प्रयोगशाला द्वारा पिछले पांच वर्षों में बाड़मेर जिले में पंद्रह संयंत्रों के संचालन के कई सफल प्रयोग प्रौद्योगिकी मिशन के तहत किए गए। इसके पश्चात 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' ने बाड़मेर के 1,750 गांवों में से मरुस्थलीय समस्याग्रस्त 93 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के चुनौतीपूर्ण कार्य के अंतर्गत 33 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से 115 संयंत्र लगाने का प्रावधान किया। इस परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार और भारत रत्न से सम्मानित डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 22 अगस्त 1996 को बाड़मेर जिले के शिव तहसील के तुड़वी गांव में स्थापित संयंत्र का लोकार्पण किया था। प्रथम चरण का समापन भी डा. कलाम ने 13 दिसंबर 1997 को जिले के अरावा दूदावता गांव में स्थापित ई.डी. प्लांट का लोकार्पण करके किया।

खारे पानी की समस्या से ग्रस्त बाड़मेर के ग्रामीणों को सर्वप्रथम 1986-87 में भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मिशन के तहत अत्यधिक घुलनशील खनिज लवण वाले भूमिगत जल प्रभावित 15 गांवों में एक-एक विद्युत अपोहन जल निर्लवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए। ये संयंत्र जिले के क्रमश: सून्दरा, पांचला, मुनानाव, जैसिन्धर स्टेशन, जैसिन्धर गांव, सरगिला, खारा राठौड़ान, पारा नोख, बक्शे का तला, सांवलोर, सनाऊ, आकोड़ा, बोली तथा गिड़ा गांवों में स्थापित किए गए। तत्पश्चात राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत सुजलम परियोजना में खबड़ाला, बरपा, तुड़वी, सुराजागीर, रामदान का तला, नवोड़ा बेरा, दुर्गापुरा, भोजरिया, जैसर, रतासर, केलनोर, मेघवालों का तला, सराणों का तला, आकल, कुर्जा, बुधे का तला, भीलों की ढाणी, डिड़ावा आदि गांवों में प्रथम चरण के तहत संयंत्र स्थापित किए गए।

निर्लवणीकरण संयंत्र की प्रौद्योगिकी

जल निर्लवणीकरण संयंत्र 'इलेक्ट्रो डायलिसिस' के सिद्धांत पर कार्य करता है। संयंत्र में एक विशेष प्रकार की बनाई गई आयन विनिमय झिल्लियों से खारा पानी प्रवाहित कर विद्युतधारा प्रवाहित करते हुए पानी में कथित अत्यधिक लवणों को उनके आयनों में तोड़कर, उन पर स्थित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बल पर आयनों को हटाया जाता है। एक संयंत्र में दो लोहे की चौखटों के मध्य रबर गैस किट, पी.वी.सी. गैस किट, स्पेयर तथा धनायन एवं ऋणायन झिल्लियां क्रमानुसार एक के बाद दूसरी तथा तीसरी लगाकर 'कम्पार्टमेंट' बनाए जाते हैं। इसकी मोटाई करीबन 3.5 मिलीमीटर होती है। यह कम्पार्टमेंट इस प्रकार बनाया जाता है कि धन आवेश विनिमय झिल्ली पर बहने वाला पानी हमेशा धन आवेश झिल्ली पर तथा ऋण आवेश झिल्ली पर बहने वाला पानी हमेशा ऋण आवेश झिल्ली पर ही बहे।

साधारणतया इस प्रकार के 100 से 120 कम्पार्टमेंट्स का 'माड्यूल' बनाया जाता है और इसके दोनों छोरों को धनाग्र तथा ऋणाग्र से जोड़ा जाता है जिससे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। जाहिर है विद्युत धारा प्रवाहित होते ही एक प्रकार के कम्पार्टमेंट में लवण की मात्रा कम हो जाती है तथा दूसरे प्रकार के कम्पार्टमेंट में बढ़ जाती है। इस विधि से प्राप्त अधिक लवणयुक्त जल एक नली द्वारा ड्रेन में डाल दिया जाता है तथा लवणरहित मीठा जल पीने के काम आता है। आयन विनिमय झिल्लियों पर आधारित इस संयंत्र मं दस हजार लीटर लवणरहित जल प्रति घंटा उत्पादित करने की क्षमता होती है।

बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे जल निर्लवणीकरण संयंत्र की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपये है जो 5,000 पी.पी.एम. वाले खारे जल से 30 घन मी. प्रतिदिन तथा 10,000 पी.पी.एम. वाले

खारे जल से 15 घन मी. प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाता है। संयंत्र से उत्पादित मीठे पेयजल का मूल्य 37 रुपये प्रति हजार लीटर आंका गया है। बहरहाल उत्पादित पेयजल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित पेयजल के मानकों (स्टैंडर्ड) के अनुरूप पीने योग्य होता है। संयंत्र की एक विशेषता यह भी है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फ्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट जैसे लवणों की अत्यधिक मात्रा को भी दूर करता है।

आपातकालीन निर्लवणीकरण किट

राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में खारे जल से शुद्ध जल बनाने के लिए रक्षा प्रयोगशाला ने एक आपातकालीन मरुस्थलीय निर्लवणीकरण किट तैयार की है। इस आपातकालीन किट में एक छन्ना युक्त पालीथीन का बैग तथा 8 रसायनों के पैकेट होते हैं। जल शुद्धिकरण के लिए हर बार पालीथीन बैग में 500 लीटर खारा पानी लिया जाता है और उसमें एक पैकेट रसायन मिलाकर 10 मिनट तक हिलाया जाता है। इसके बाद बैग के नीचे की तरफ लगी टोंटी से सीधे मीठा जल पीने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञात हो कि यह किट तकरीबन चार लीटर जल उपचारित कर सकता है।

इस प्रकार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान के सुदूर मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का यह प्रयास सराहनीय है। ❑

(पृष्ठ 24 का शेष) **ग्रामीण राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम : अपने लक्ष्य से दूर**

सुझाव

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के आवश्यक पक्षों का आकलन करने से प्रतीत होता है कि कार्यक्रम विशेष उपयोगी तथा लाभप्रद होते हुए भी अपेक्षानुसार नहीं है। अत: उसमें जैसा लाभार्थियों ने भी सुझाया है, सुधार अपेक्षित हैं जिसके लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं—

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का वितरण नियमित रूप से प्रतिमाह या तीन महीने पर किया जाना चाहिए।
- यदि पति-पत्नी दोनों पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तो दोनों को पेंशन उपलब्ध कराई जाए।
- पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से होना चाहिए।
- पेंशन की धनराशि 125 रुपये है जो बहुत कम है। इसमें वृद्धि की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए सत्यापन की प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।
- पेंशन कार्यक्रम को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि वितरण प्रणाली में गुणात्मक सुधार तथा परिवर्तन लाया जाए।
- कार्यक्रम को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए। ❑

(पृष्ठ 42 का शेष) **नीबू सेवन : स्वस्थ जीवन का सशक्त आधार**

को रोकता है तथा सर्दी को दूर रखता है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के ज्वर में नीबू का रस काफी लाभ पहुचाता है। मानसिक तनाव या उत्तेजना के समय यदि नीबू के रस का सेवन किया जाए तो राहत महसूस होती है तथा हदय को शांति प्राप्त होती है।

नीबू में विटामिन सी प्रचुर परिमाण में उपलब्ध रहने के कारण इसके सेवन से दांत तथा हड्डियों को मजबूती प्राप्त होती है। नीबू के रस में विटामिन पी की उपस्थिति के कारण इसके सेवन से रक्त वाहिनियों को शक्ति प्राप्त होती है तथा शरीर के भीतर होने वाला रक्तस्राव बंद हो जाता है। नीबू के नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप में काफी लाभ पहुंचता है। गठिया तथा जोड़ों के अन्य रोगों में नीबू के नियमित सेवन से काफी लाभ होता है।

मसूढ़ों में दर्द होने पर यदि गर्म जल में नमक तथा नीबू का रस मिलाकर उससे कुल्ला किया जाए तो लाभ पहुंचता है। रात में सोते वक्त यदि रोज गर्म जल में नीबू का रस डालकर पी लिया जाए तो धीरे-धीरे शरीर का मोटापा दूर होता है। बुखार के बाद प्राय: भूख न लगने की शिकायत रहती है। ऐसी स्थिति में नीबू को काट कर उस पर नमक तथा गोल मिर्च का चूर्ण छिड़क लिया जाए तथा इसे उपले पर हल्का सेंक कर चूसा जाए तो भूख जाग उठती है। ❑

(आवरण पृष्ठ 2 का शेष)

प्रधानमंत्री ने व्यापार, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए मजदूरों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभारना है। श्री वाजपेयी ने कहा कि हम उदारीकरण की प्रक्रिया का किसी को अनुचित लाभ नहीं उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि 'स्वदेशी' का अर्थ यह नहीं है कि हम कूपमंडूक हो जाएं। हमें खुली अर्थव्यवस्था में अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर विश्व-स्पर्धा में डटकर खड़े रहना है।

देश और विदेश में बसे हर भारतीय को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनिवासी भारतीयों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने अनिवासी भारतीयों से 'रिसर्जेंट इंडिया बांड' का लाभ उठाने का आह्वान किया, जिससे अब तक पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा आ चुकी है। कुछ चीजों की बढ़ती कीमतों से लोगों की, विशेषकर महिलाओं की, खासी परेशानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई से जूझने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने इस प्रयास में व्यापारी वर्ग से सहयोग की अपील की।

भ्रष्टाचार की समस्या का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इससे लड़ने के निर्णय को दुहराया। इस दृष्टि से उन्होंने राजनीति और नौकरशाही के उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि लोक सभा में पेश किए गए लोकपाल विधेयक में प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय के उस कक्ष के क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाहियों की देखरेख करता है।

बेरोजगारी की समस्या दूर करने के अपने संकल्प पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले दस सालों में दस करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगा।

महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को क्रमिक पुस्तकें मुफ्त दी जाएंगी और इस पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महिला कल्याण बीमा योजना 'राजराजेश्वरी' और लड़कियों के लिए एक विशेष योजना 'भाग्य श्री' शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह केवल एक रुपया देना होगा और आवश्यकता पड़ने पर एक रुपया देने वाले को 25 हजार रुपये मिल सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। शासन तंत्र को इन वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा।

श्री वाजपेयी ने युवाओं का राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में स्वयं को समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी' के गठन की घोषणा की, जिसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के युवक-युवतियां सम्मिलित हो सकेंगे। यह योजना अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म-दिवस 12 जनवरी को लागू की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उपग्रह पर आधारित 'स्वर्ण जयंती विद्या विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की ताकि भारत सूचना तकनीक के क्षेत्र में महाशक्ति बन सके। इस दिशा में पहले कदम के रूप में 15 अगस्त 1999 से पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा छह ट्रांसपोन्डरों से युक्त इन्सेट तीन-बी प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह देश में सभी विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सभी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा केन्द्रों को अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले सूचना तकनीक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता तो अक्षुण्ण रखी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई अभी तक नहीं जीत सके हैं।' उन्होंने आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों का आह्वान किया कि हम स्वतंत्रता की दूसरी अर्द्धशताब्दी के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने की प्रतिज्ञा करें। श्री वाजपेयी ने कहा कि वह आम सहमति की राजनीति में विश्वास करते हैं, और हाल ही में हुआ कावेरी का समझौता इसी का परिचायक है। उन्होंने भाईचारा और सहनशीलता की भावना से नदी जल विवादों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक मिली-जुली सरकार चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विवादास्पद मुद्दों को इस एजेंडे से बाहर रखा गया है। सरकार ने जो कुछ भी किया है, वह राष्ट्र-हित में किया है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा राष्ट्र-हित को दल-हित से और व्यक्तिगत हित से ऊपर माना है। सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता न करने का उल्लेख करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि सत्ता का सहवास और विपक्ष का वनवास मेरे लिए एक जैसा है और मुझे विपक्ष में बैठने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

प्रधानमंत्री ने चुनौतियों से घबराकर बाजी छोड़कर विरक्ति में नहीं जाने के अपने संकल्प की घोषणा की। ❑

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

क तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एल) 12057/98
ई.एस.एस.एन. 0971 8451
भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

P&T Regd. No. D (DL) 12057
ISSN 0971-84
Licenced under U (DN)-
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित। मुद्रक तारा आर्ट प्रेस, बी-4 हंस भवन, नई दिल्ली-110002. प्रकाशन स्थान : 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001. सम्पादक : बलदेव सिंह मदान